खण्ड-241, अंक-5
गुरूवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1885
(28 मार्च, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 241 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४०५–४०८
प्रश्नोत्तर	४०९–४४६
तारांकित प्रश्न संख्या २६–२७ का स्थगन	४४६
तारांकित प्रश्नों को अतारांकित कर दिये जाने पर आपत्ति ..	४४६
श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	४४६–४४७
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	४४७–४४८
श्री दीपनारायणसिंह के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न	४४८–४५१
श्री रामकिशोर वर्मा के कांग्रेस दल में सम्मिलित होने की सूचना समाचार-पत्रों द्वारा प्रकाशित किये जाने पर आपत्ति	४५१–४५३
रायबरेली–डलमऊ मार्ग पर बड़ी शारदा नहर कट जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४५३–४५५
लोक लेखा समिति में १९६३–६४ के लिये विधान परिषद् के ५ सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में संकल्प	४५५
समाजवादी संयुक्त दल को मान्यता देने के संबंध में श्री होरीलाल यादव का पत्र ..	४५५–४५६
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित) ..	४५६–४७०
अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिये सहभाषा बनाने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	४७०–४७१
उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६३ (पुरःस्थापित किया गया)	४७१
अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिये सहभाषा बनाने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा (जारी)	४७१–४९५
नव योजित संयुक्त समाजवादी दल को मान्यता के सम्बन्ध में घोषणा ..	४९५–४९६
अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिये सहभाषा बनाने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा (समाप्त)	४९६–४९८
विभिन्न समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा ..	४९८
सत्थियां	४९९–५३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २८ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
उमादत्त, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्क्रेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री

दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री

बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त माथुर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हुसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायणमुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
राममेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूशीला रोहतगी, श्रीमती
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री

हिम्मतसिंह श्री हेतरामसिंह, श्री हेमराज, श्री	होतीलाल अग्रवाल, श्री होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा सिंचाई उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २८ मार्च, १९६३

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बस्ती में हरिजनों को वजीफा न मिलना

*१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

(अ) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बस्ती में (जो राजा मैदान पुरानी बस्ती में है) फिटर की ट्रेनिंग पाने वाले सभी प्रशिक्षार्थियों को वजीफा मिल गया केवल हरिजनों को अभी तक नहीं मिला है जिस से वह ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं?

(ब) उन हरिजन प्रशिक्षार्थियों को वजीफा मिलेगा या नहीं ? यदि मिलेगा, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र बस्ती से कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, वह यह हैं, कि उसमें फिटर की ट्रेनिंग के लिये १८ प्रशिक्षार्थी हैं, जिनमें से १५ को वजीफे मिल रहे हैं। उनमें से २ हरिजन हैं, जिनको नहीं मिल रहे हैं।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बस्ती में कुल कितने फिटर्स प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और उनकी संख्या क्या है ?

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, यह तो बता दिया कि कुल १८ प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उनमें से २ हरिजन हैं ।

श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या माननीय मंत्री जी आज के कुसमय को देखते हुए कि आज के युग में टेक्निशियन्स की बहुत आवश्यकता है और कुछ ट्रेनीज टेक्निशियन की लाइन को छोड़कर जा रहे हैं इसमें जो डिपार्टमेंन्ट की शिथिलता मालूम पड़ती है, क्या सरकार उसके लिये उचित कदम उठायेगी कि भविष्य में ऐसी गलती न हो सके और जिससे हरिजनों का लाभ हो सके ?

श्री वीरसेन—

श्रीमन्, इसमें जो इस तरह की बात हुई है और जो वह कह रहे हैं, उसका भविष्य में ध्यान रखा जायगा ।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि उन दो हरिजनों को वजीफे देने में क्या अड़चन हैं ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)—

श्रीमन्, उसमें कुल विद्यार्थी १५ होने चाहिये थे, जब कि भरती १८ हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

उनका मतलब यह है कि जब १५ जगहें थीं, तो १८ भरती क्यों किये गए ?

श्री फूलसिंह—

श्रीमन्, इसमें १५ वजीफे हैं, जगह का कोई सवाल नहीं है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वजीफे देने का आधार क्या है और क्या उनको यह पता है कि जिन हरिजनों को वह वजीफे नहीं दिये गए हैं, वह जितनी भी क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये थी, वह सब वह पूरी करते थे। लेकिन कुछ कारणवश उनको न देकर, कुछ ऐसे दूसरे विद्यार्थियों को वजीफा दिया गया, जो कि क्वालिफिकेशन्स नहीं सैटिसफाई करते थे ? क्या यह सत्य है ?

श्री अध्यक्ष—

आप नाम पूछ सकते हैं इनका जिनको दिया गया और नहीं मिलना चाहिये था और जिनको नहीं दिया और मिलना चाहिये था।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, उनका नाम तो मैं.....।

श्री फूलसिंह—

श्रीमन्, सूचना एकत्र की जा रही है। वैसे हरिजनों को एकमुडेट किया जाय तो अच्छा है।

श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन विद्यार्थियों को वजीफा दिया गया है, उसके वितरण का क्या आधार रहा है ?

श्री बीरसेन—

श्रीमन्, इसकी जांच हो रही है कि जो स्टाइपेन्ड्स दिये गये हैं, वह किस आधार पर दिये गए हैं।

श्री रामलखन वकील—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे नियम, जिन पर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाय, उनके क्या आधार हैं ?

श्री बीरसेन—

श्रीमन्, इन्हीं चीजों की सूचना यहां पर नहीं आई। यह तो उत्तर दे दिया गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि राजकीय प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र बस्ती में जो फिटर्स की ट्रेनिंग हो रही है, उसमें भविष्य में वजीफे ट्रेनीज को देने के लिये क्या योजना बना रहे हैं ?

श्री फूलसिंह—

श्रीमन्, यह तो बजट का सवाल है, जितना कहा जायगा उतना, दे दिया जायगा।

श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन दो हरिजन विद्यार्थियों को वजीफे नहीं दिये जा रहे हैं, और १५ को दिये जा रहे हैं, तो यह उसके बाद उनका दाखिला किया गया या कि पहले किया गया था ?

श्री फूलसिंह---

जब दाखिला होता है, कमेटी बनती है, सिलेक्शन होता है, तो पता नहीं कब दाखिला हुआ है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

यह जानते हुए कि केन्द्रीय और प्रादेशिक स्तर पर हमारी नीति है कि प्रत्येक हरिजन विद्यार्थी को हम छात्रवृत्ति दें, तो क्या सरकार ने दो बचे हुए हरिजनों के लिये कोई उपाय करेगी जिससे उनको छात्रवृत्ति मिल जाय ?

श्री फूलसिंह---

यह तो हरिजन वेल्फेयर बोर्ड की बात करते हैं, यह उसके अलावा है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला शाहजहांपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १५ की जगह होते हुए १८ व्यक्ति वहां पर लिये गये, इसकी सूचना सरकार को कब प्राप्त हुई और इम्मिडिएट ऐक्शन उनके खिलाफ छात्रवृत्ति देने के लिये क्यों नहीं किया गया ?

श्री फूलसिंह---

१५ की जगह १८ भर्ती करने में कोई प्रश्न नहीं है ।

*२---श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर) तथा श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ।]

श्री मगोले शाह, रामपुर मथुरा के प्रार्थना-पत्र पर जांच

*१---श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र श्री मगोलेशाह, रामपुर मथुरा ने एस० पी०, सीतापुर को १८ दिसम्बर, १९६२ को दी है उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

श्री मगोलेशाह, निवासी रामपुर मथुरा के दिनांक १८-१२-६२ के प्रार्थना-पत्र के संबंध में जांच सब-इंस्पेक्टर ने की ।

*२---श्री शिवेन्द्रप्रताप (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मंत्री इस जांच का पूरा विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जांच का विवरण संलग्न है :

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९९ पर)

जालौन जिले के थानों में नवीन फायर आर्म्स देने का सुझाव

*३---श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

क्या गृह मंत्री जालौन जिले में दस्युओं के उपद्रवों को देखते हुए इस बात पर विचार करेंगे कि जिले के थानों पर ३०३ बोर राइफिल्स तथा ब्रेनगन आदि नवीन फायर आर्म्स दिये जायें ?

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)---

जालौन जिले में दस्युओं के उपद्रवों को देखते हुये वहां के बहुत से थानों में अन्य शस्त्रों के साथ ३०३ बोर की राइफिले तथा टामी गन दी गई हैं ।

ब्रेनगन केवल पी० ए० सी०, जिन्हें उनको चलाने का विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है, को ही दी जाती है। सशस्त्र दस्युओं से मुठभेड़ करने के लिये आवश्यकतानुसार पी० ए० सी० की टुकडियां लगा दी जाती हैं अतः थानों में ब्रेनगन देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयसिंह---

जो ३०३ बोर राइफल और टामीगन बहुत से थानों को दी गयी हैं उनमें आपरेशन एरिया के कौन-कौन से थाने हैं जिनको यह आर्म्स दिये गये और कब दिये गये ?

श्री नवलकिशोर---

जो आपरेशनल एरिया है उसके थाने हैं---थाना रामपुरा, चौकी माधोगढ़, थाना रामपुरा, थाना रेढर, चौकी नदी गांव, थाना रेढर, थाना कुठौद, थाना केलिया।

श्री विजयसिंह---

ये आर्म्स कब दिये गये ?

श्री नवलकिशोर---

कब दिये गये, इसकी सूचना नहीं है।

फतेहपुर जिले में कत्ल

*४---श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत दिसम्बर, ६२ ई० में हत्याओं की कितनी-कितनी घटनायें जिला फतेहपुर के विभिन्न थानों के अन्तर्गत घटित होने की सूचनायें दर्ज हुई हैं और इन घटनाओं में कितने व्यक्तियों की जानें गईं ?

श्री नवलकिशोर---

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०० पर)

श्री दीपनारायणसिंह---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कोतवाली फतेहपुर में जिन दो घटनाओं में जो हत्यायें हुईं, तीन आदमी मारे गये यह दिन की घटना हुई और किशनपुर में और जहानाबाद में जो घटनाए हुई वह भी दिन की हैं ? इनके कितने मुलजिम अब तक फरार हैं ?

श्री नवलकिशोर---

कोतवाली में जो दो मर्डर्स हुए, एक में १२ व्यक्तियों का चालान हो गया और न्यायालय के विचाराधीन है। दूसरे में जांच जारी है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ?

श्री दीपनारायणसिंह---

कोतवाली में जिन दो व्यक्तियों को एक ही घटना में मारा गया उसके सभी मुलाजिमान जो नामजद थे वह कमिटिंग कोर्ट से छोड़ दिये गये जमानत पर ? आपने उनके विरुद्ध बेल कैंसिलेशन के लिये कोई दरख्वास्त भी दी है या नहीं ?

श्री नवलकिशोर---

मेरे पास तो सिर्फ यह सूचना है कि इतने आदमी गिरफ्तार किये गये और मुकदमा कोर्ट के विचाराधीन है।

श्री हिम्मतसिंह---

इसकी जांच सी० आई० डी० के द्वारा हो रही है या किसी थानेदार के द्वारा ?

श्री नवलकिशोर---

थाने के अध्यक्ष द्वारा हो रही है।

श्री रामपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

फतेहपुर जिले के किसनपुर में मर्डर का तांता लगा हुआ है। कभी किसी दल का कत्ल तो कभी किसी दल का। तो क्या माननीय मंत्री जी वहां के लिये कोई विशेष प्रबन्ध करेंगे ?

श्री नवलकिशोर---

ऐसी सूचना तो मेरे पास है नहीं कि वहां कत्लों का तांता लगा हुआ है। जो प्रश्न पूछा गया, उसी की सूचना है।

श्री दीपनारायणसिंह---

जहानाबाद थाने के, दिसम्बर, १९६२ के, जिस कत्ल का उल्लेख किया गया है, उस संबंध में क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि उस रिपोर्ट में जो मुलाजिमान नामजद थे उनको छोड़ दिया गया है ?

श्री नवलकिशोर---

मुलाजिमान छोड़ दिये गये, ऐसी बात नहीं है। ४ आदमी गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री दीपनारायणसिंह---

कितने मुलाजिमान हत्या के संबंध में प्रथम सूचना के अन्दर नामजद किये गये थे और उनमें से कितनों के खिलाफ चार्जशीट लगायी गयी ?

श्री नवलकिशोर---

इसकी इंफार्मेशन तो है नहीं, कई महीने पहले यह प्रश्न पूछा गया था। एफ० आई० आर० मेरे पास नहीं है।

माझा क्षेत्र में भेड़ियों का कथित आतंक

*५---चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)---

क्या सरकार घाघरा के किनारे माझा के इलाके में झाड़ियों में रहने वाले भेड़ियों को मारने और उनकी नसल को खत्म करने के लिये कोई Squad बनाने जा रही है या शिकारियों को इनाम देकर यह कार्य करायेगी ?

विद्युत् उप-मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---

प्रश्न में बताए गए इलाके में भेड़ियों का कोई आतंक इस समय नहीं है। अतः उनको मारने के लिये किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। भेड़ियों और अन्य जंगली पशुओं को मारने के लिये इनाम दिये जाने की योजना उक्त इलाके में भी लागू है और जो वर्तमान स्थित की दृष्टि में रखते हुए पर्याप्त है।

चौधरी अब्दुल हसीब खां---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि आये दिन अखबारों में जो लकड़बग्गों का जिक्र रहता है वे वाकई में भेड़िये हैं, लकड़बग्गे नहीं हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

अब यह तो आपको ज्यादा मालूम होगा, आप वहां के रहने वाले हैं, कि वे लकड़बग्गे हैं या भेड़िये हैं।

चौधरी अब्दुल हसीब खां---

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

आपने तो यह प्रश्न किया था कि वहां आतंक है या नहीं, इस समय वहां कोई आतंक नहीं है। और आतंक है, लेकिन भेड़िये या लकड़बग्गों का नहीं है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

जो इनाम जंगली जानवरों के मारने के लिये रखा गया था, क्या वह मन्सूख कर दिया गया है अब ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

इनाम मन्सूख नहीं किया गया है, उसके लिये तो हम हर साल बजट में रुपया रखते हैं।

मुरादाबाद जिले में कथित गो-हत्यारे की गिरफ्तारी

*६-श्री बेदराम (जिला एटा)---

क्या यह सत्य है कि मुरादाबाद में २९ जनवरी, १९६३ को पुलिस द्वारा किसी गौ-हत्यारे को मांस सहित गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नवलकिशोर---

जी नहीं। २९-१-६३ को मुरादाबाद में पुलिस द्वारा ऐसा कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री बेदराम---

२९-१-६३ के आसपास कोई पकड़ा गया क्या ?

श्री नवलकिशोर---

यह अटकल-पच्चू बात है।

श्री रक्षपालसिंह---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि मुरादाबाद में नहीं, तो मुरादाबाद जिले में कोई पकड़ा गया है ?

श्री नवलकिशोर---

जिस समय की सूचना मांगी गई है उसमें कोई नहीं पकड़ा गया।

आजमगढ़ जिले में उद्योग

*७---श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)---

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत राजकीय सहायता प्राप्त लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग तथा व्यक्तिगत चलाये जाने वाले कार्य अब तक चल रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरसेन---

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री सुरजनराम विशारद---

अध्यक्ष महोदय, यह दूसरी बार हमको बताया गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। कब तक माननीय मंत्रीजी ने अधिकारियों को सूचना एकत्रित करने के लिये लिखा है, तारीख बताने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरसेन---

कई बार लिखा जा चुका है और चूंकि बहुत डिटेल की सूचना है, इसलिये जरा देर लग रही है।

श्री सोहनलाल धुसिया---

मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें कौन सूचना एकत्रित की जा रही है, उद्योग चल रहे हैं या नहीं ?

श्री फूलसिंह---

सारे उद्योगों को देखना होगा और यह भी देखना होगा कि कौन चल रहे हैं और कौन बन्द हो गये हैं इस समय।

श्री सोहनलाल धुसिया—

डिस्ट्रिक्ट अथारीटीज को हर महीने में रिपोर्ट आती रहती है अगर यह नहीं है तो इंस्पैक्टर की लापरवाही और गोलमाल है। मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट को सख्त स्टैप लेना चाहिये।

श्री फूलसिंह—

ऐसी रिपोर्ट हर महीने आना तो सम्भव नहीं है कि कोई आदमी तमाम जिलों को देख ले।

सेन्ट्रल टैक्सटाइल कोआपरेटिव सोसाइटी, अमरोहा में अव्यवस्था

*८—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सेन्ट्रल टैक्सटाइल कोआपरेटिव सोसाइटी, अमरोहा, जिला मुरादाबाद के ९० मेम्बरान ने सोसाइटी से इस्तीफा दे दिया है? यदि हां, तो किस तारीख को और किन कारणों से?

श्री वीरसेन—

(क) ९० सदस्यों ने नहीं,

बल्कि केवल ७५ ने ही इस्तीफा दिया है।

(ख) इस संबंध में जांच की जा रही है।

*९—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि इस सोसाइटी की जनरल बाडी की मीटिंग कब से नहीं बुलाई गई और इस सोसाइटी के लिये सरकार की ओर से प्रबन्धक किस तारीख को नियुक्त किया गया और उसने किस तारीख तक इस सोसाइटी में कार्य किया? क्या यह सही है कि प्रबन्धक महोदय ने पार्टीबाजी करके सोसाइटी को ठप कर दिया है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीरसेन—

(क) सोसाइटी की जनरल बाडी की गत मीटिंग ७ मार्च, १९६३ को बुलाई गई थी।

(ख) प्रबन्धक जून, १९५९ में नियुक्त किया गया और उसने उक्त सोसाइटी में १३ अक्तुबर, १९६० तक कार्य किया।

(ग) इस बात की जांच की जा रही है कि आया प्रबन्धक ने पार्टीबाजी करके सोसाइटी को ठप कर दिया अथवा नहीं। जांच के बाद यदि वह दोषी पाये जायेंगे, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

*१०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जिस समय सोसाइटी को बन्द किया गया उस समय सोसाइटी पर मजदूरों का कितना रुपया बाकी था और उसे किन कारणों से अदा नहीं किया गया?

श्री वीरसेन—

सोसाइटी को बन्द नहीं किया गया बल्कि उसमें उत्पादन का कार्य स्थगित किया गया। कार्य स्थगन के समय सोसाइटी पर मजदूरों के ५,०९० रुपये २९ नये पैसे बाकी थे। यह इस कारण अदा नहीं किये गये कि ज्यादातर उन व्यक्तियों पर खुद समिति का इस रकम से अधिक धन बाकी था।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि सोसाइटी के ७५ आदमियों के इस्तीफा देने का क्या कारण है?

श्री वीरसेन---

इसमें कुछ शिकायतें की गई हैं प्रबन्धक और सोसाइटी के सेक्रेटरी के विरुद्ध, उनकी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या इन ७५ व्यक्तियों ने इसलिये इस्तीफा दिया कि प्रबन्धक ने पार्टीबाजी करके सोसाइटी के काफी रुपये का गबन और दुरुपयोग किया है ?

श्री वीरसेन---

ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन जांच की जा रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह कोआपरेटिव बेसिस पर चलाई जारही थी और इसमें एन-मास इस्तीफे हुए हैं, सब लोगों ने इस्तीफा दिया है, और प्रबन्धक के खिलाफ आरोप हैं तो इसकी गम्भीरता को देखते हुए माननीय मंत्रीजी स्वयं रिजाइन करने के कारणों को देखेंगे ?

श्री फूलसिंह---

इसकी तो जांच हो रही है । प्रबन्धक सन् ६० में हट गया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---

मैंने पूछा था कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए मंत्रीजी स्वयं या किसी और उच्च अधिकारी द्वारा जांच करा रहे हैं ?

श्री वीरसेन---

ज्वाइन्ट डाइरेक्टर के मार्फत जांच की जा रही है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या प्रबन्धक ने इस बीच में सामान तैयार कराया या वैसे ही टाइम पास कर दिया ?

श्री वीरसेन---

इस तरह की कोई सूचना नहीं है ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या मंत्रीजी को जानकारी है कि वहां के मजदूरों और औरतों का रुपया, जो दरी वगैरह बनाती थीं सोसाइटी की ओर शेष रह गया है ? यदि हां, तो उसकी अदायगी कराने के लिये सरकार क्या करेगी ?

श्री फूलसिंह---

मेरी जानकारी का कोई सवाल पैदा होता नहीं । आप शिकायत करेंगे तो उसकी जांच कराऊंगा ।

श्री ब्रह्मदत्त आयर---

जिस प्रबन्धक के खिलाफ इतनी शिकायतें हैं और ७५ आदिमयों ने इस्तीफा दिया है उसे सस्पैन्ड न करन का क्या कारण है ?

श्री फूलसिंह---

सन् ६० में वह हट गये ।

गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ में मैन्योर इंचार्ज

*११—श्री बालकराम वैश्य (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ मे मैन्योर इंचार्ज का स्तर उस संस्था द्वारा नियुक्त स्पेशल सेक्रेटरीज के बराबर है ? यदि हां, तो कितने प्रथम ग्रेड सेक्रेटरीज की ज्येष्ठता को ध्यान में न रखकर वर्तमान मैन्योर इंचार्ज को पदोन्नति दी गई ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ, ने मैन्योर इन्चार्ज का स्तर दिनांक ६-३-६२ से उस संस्था द्वारा नियुक्त स्पेशल सेक्रेटरीज के बराबर मान लिया है। संघ के वर्तमान मैन्योर इन्चार्ज की इस पद पर नियुक्ति १२-८-६० ही को हो गई थी। संघ ने इस नियुक्ति को चुनाव द्वारा माना है, न कि पदोन्नति द्वारा। यह अभी शासन के विचाराधीन है।

*१२—श्री बालकराम वैश्य—

क्या मैन्योर इंचार्ज का स्तर स्पेशल सेक्रेटरीज का नहीं है, तो वर्तमान मैन्योर इंचार्ज को स्पेशल ग्रेड सेक्रेटरीज की ज्येष्ठता सूची में स्थान क्यों दिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

चूंकि दिनांक ६-३-६३ से संघ द्वारा मैन्योर इन्चार्ज का पद स्पेशल सेक्रेटरीज के पदों के बराबर मान लिया गया है, अतएव तत्पश्चात् वर्तमान मैन्योर इन्चार्ज को स्पेशल सेक्रेटरीज की ज्येष्ठता सूची में स्थान दे दिया गया।

*१३—श्री बालकराम वैश्य—

क्या वर्तमान मैन्योर इन्चार्ज इस पद पर नियुक्त होने से पूर्व फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर के पद पर ५ वर्ष की सेवापूर्ण कर चुके हैं ? यदि नहीं, तो गन्ना संघ नौकरी के नियमों की अवहेलना क्यों की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वर्तमान मैन्योर इन्चार्ज इस पद पर नियुक्त होने से पूर्व फर्टिलाइजर इन्सपेक्टर के पद पर लगभग ४ वर्ष २ माह की सेवा कर चुके थे। गन्ना संघ की नौकरियों के लिये उस समय तक कोई नियम नहीं थे। अतः उनकी अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बालकराम वैश्य—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि मैन्योर इन्चार्ज को चुनाव द्वारा नियुक्त किया गया माना गया, तो कितने व्यक्तियों को चुनाव में बुलाया गया और कहां, और चुनाव करनेवाले अधिकारी कौन-कौन थे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उस वक्त यह मैन्योर इन्चार्ज इन्स्पेक्टर था, उसी को बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट कमेटी ने नियुक्त कर दिया और कोई आदमी नहीं बुलाया गया ?

श्री बालकराम वैश्य—

तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि सेलेक्शन हुआ ही नहीं, उसी की पदोन्नति कर दी गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उस वक्त जितने अधिकारी थे उनकी सूची को देखते हुये एस्टेब्लिशमेंट कमेटी ने उनको ही नियुक्त करना मुनासिब समझा।

श्री बालकराम वैश्य—

क्या यह सत्य है कि सेलेक्शन कमेटी ने जिस व्यक्ति को चुना वह कमेटी के ही एक व्यक्ति का लड़का था ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह बात सही है कि श्री आर० एन० सिंह जो इस वक्त मैन्योर इंचार्ज है, उसके पिता उस कमेटी के मेम्बर थे ।

गंगा-धारा-परिवर्तन का कानपुर की बिजली पर प्रभाव

*१४--श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि गंगा नदी की धारा कानपुर से उन्नाव की तरफ हट जाने के कारण कानपुर नगर की बिजली व्यवस्था आदि को गम्भीर संकट बना रहता है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि गंगा की धारा कानपुर से उन्नाव की तरफ कितनी हट गयी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वह तो हमेशा बरसात में हट जाती है । इस समय यह पता नहीं है, कितनी हट जाती है ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

क्या सरकार बतायेगी कि गंगा की धारा जो उन्नाव की तरफ ४ मील हट गयी है, जिससे उन्नाव के कई गांव कट गये हैं, उस धारा को कानपुर की तरफ लाने के लिये हर वर्ष टैम्परेरी इन्तजाम करके हटाया जाता है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

नाला खोदकर हम पावर हाउस के लिये पानी लेते हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)--

यह जो नाला खोदा जाता है उससे केवल टैम्परेरी रिलीफ मिलता है । सरकार ने दो वर्ष पहले चीफ इंजीनियर, श्री मित्रा से बिठूर से कानपुर तक की रिवर ड्रेनेज सर्वे करायी थी । क्या सरकार बतायेगी कि उनकी उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

उसका सर्वे हुआ था । इसके अलावा बहादुराबाद में हमारा एक इन्वेस्टीगेशन सेन्टर भी है, वहां पर भी इसको देखा गया है, तो यह पाया गया कि उन्नाव की तरफ एक स्पर्न बना दिया जाय जो बरसात के समय के अलावा और समय में काम देगा, लेकिन बरसात में डर है कि इससे शहर को कोई खतरा पैदा न हो जाय । इसलिये स्पर्न लगाकर गंगा को इधर लाना उचित नहीं समझा गया ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

सर्वे कराने के बाद जो सिफारिश की गयी, उसको प्रैक्टिकल नहीं समझा गया और उसके बारे में उत्तर में कहा गया कि शहर को खतरा हो सकता है, तो क्या सरकार ने इस खतरे को दूर करने हेतु कोई स्थायी प्रबन्ध करने पर विचार किया है और क्या उसके लिये किसी एक्सपर्ट से सर्वे कराया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

ड्रजर्स ४--५ पहले थे जो अब दस कर दिये गये हैं । और अब दो और बढ़ा कर बारह कर दिये जायेंगे । उससे आशा है फिर पानी की दिक्कत न होगी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

गंगा की धारा बदल जाने से कानपुर में बिजली की समस्या पैदा हो जाती है। तो क्या सरकार किसी ऐसी स्थायी व्वस्थथा पर विचार कर रही है कि पानी की कमी के बावजूद भी बिजली की कमी को दूर किया जा सके ? यदि हां, तो क्या ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एक उपाय था कि कोलिंग टावर लगा दिया जाय लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खर्च पड़ता है और हमारे प्लान्ट की एफिशिएंसी भी कम हो जायगी, इसलिये यह उचित समझा गया कि ड्रेजर्स बढ़ा दिये जायं जिससे पानी का प्रबन्ध रहे, वहां सर्वदा पानी आता रहे।

श्री हिम्मतसिंह—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि गंगा नदी उन्नाव की तरफ हट गयी है लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि बिजली की व्यवस्था के लिये पानी की जो गंभीर समस्या हमेशा बनी रहती है, उस पर उन्होंने काबू पा लिया है या नहीं। तो माननीय मंत्री जी इसको बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने पहले सवाल के उत्तर में सबसे पहले कहा था कि संकट तो बना ही रहता है, पानी की व्यवस्था हम कर रहें हैं। आगे जब रिहन्द डैम से इसको जोड़ दिया जायगा और कानपुर में बहुत बड़ा एक दूसरा स्टेशन बन जायगा तब वह खतरा कम हो जायगा। क्योंकि अगर कभी पानी निकल जायगा तो भी हमारे पास दूसरा साधन बिजली देने का रहेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि ड्रेजर्स काम कर रहें हैं, लेकिन अक्टूबर–नवम्बर के महीने में पानी एकदम से १०–१२ फीट कम हो जाता है जिससे वाटर वर्क्स व पावर हाउस को बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो क्या सरकार स्थायी तौर पर एक कम्प्रहैंसिव ड्रेनेज स्कीम बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जहां तक स्थायी तौर पर बिजली देने का प्रश्न है, इस वक्त हमारे ड्रेजर्स वहां काम कर रहें हैं, और बिजली देने का इन्तजाम हम कानपुर में कर रहें हैं। अगर कभी ऐसी आवश्यकता हुई तो दूसरे सोर्स से हम कानपुर को बिजली देने का इन्तजाम कर सकते हैं।

*१५–१६—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

संयुक्त संचालक, वाराणसी के अधीन सेवामुक्त शिक्षकों के पावने का भुगतान

*१७—श्री उमाशंकर ~~तिवारी~~ (जिला ~~वाराणसी~~ आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या लघु-उद्योग मंत्री दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने शिक्षक सेवा मुक्त हुये थे और सेवा मुक्त होने के कारण क्या-क्या हैं ?

श्री फूलसिंह—

संयुक्त संचालक, वाराणसी के अधीन कुल २३ शिक्षक सेवा मुक्त हुये थे, इनके मुक्त होने का कारण मृत्यु होना, त्याग-पत्र देना, रिटायर होना और पदों का तथा नियुक्ति–पत्र की शर्त के अनुसार अस्थायी सेवाओं का समाप्त होना है।

*१८—श्री उमाशंकर ~~तिवारी~~ (अनुपस्थित)—

क्या लघु-उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवा मुक्त शिक्षकों के पावने का भुगतान कब तक हो जायगा और प्रत्येक का कितना-कितना सरकार के जुम्मे हैं ?

श्री फूलसिंह---

वांछित सूचना संलग्न सूची में है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५०१-५०३ पर)

गोंडा जिले में कोडिया थानान्तर्गत अपराध

*१९---श्री गंगाप्रसाद---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में थाना कोडिया में गत वर्ष १ जनवरी, १९६२ से लेकर १५ फरवरी, सन् ६३ तक। कितने कत्ल हुये, डकैतियां पड़ीं और कितनी चोरियां हुई और उनमें कितने में केस चला और कितने में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है? कितने अपराधियों को सजा दी गई है?

श्री नवलकिशोर---

वांछित सूचना संलग्न तालिका "क" में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५०४ पर)

*२०---श्री गंगाप्रसाद---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त केस किन-किन गांवों में हुये डकैती या चोरी हुईं और जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनके नाम तथा पते क्या हैं?

श्री नवलकिशोर---

डकैती तथा कत्ल के मामलों का विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया हुआ है। चोरी के मामलों की संख्या अधिक है अतः उनका विवरण देना संभव नहीं है। माननीय सदस्य यदि जानकारी करना चाहें तो मेरे कार्यालय में आकर देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५०५ पर)

*२१---श्री गंगाप्रसाद---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि थाना कौडिया, जिला गोंडा में १ जनवरी, १९६२ ई० से लेकर १५ फरवरी, सन् ६३ तक कितनी फौजदारियां हुईं और उनमें कितने लोग गिरफ्तार हुये?

श्री नवलकिशोर---

थाना कौडिया, जिला गोंडा में उक्त अवधि में १० फौजदारियां हुईं जिसमें ९३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

श्री गंगाप्रसाद---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो ५ डकैती हुई उसकी रिपोर्ट लिखित हुई या वहां के हेड कांस्टेबिल ने खुद लिखी?

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, यह तो डिटेल नहीं है, यह है कि ५ की रिपोर्ट हुई।

श्री गंगाप्रसाद---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन ५ डकैतियों में जो दो डकैती नहीं चोरी लिखी गयी हैं, उसका क्या कारण है?

श्री नवलकिशोर---

जांच के बाद मालूम हुआ कि दो डकैतियों की रिपोर्ट गलत थी लिहाजा उनको एक्सपंज कर दिया गया और उनको १४७/३२३ आई० पी० सी० के अन्तर्गत दर्ज किया गया है और उनकी जांच जारी है।

श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सही है कि वहां के डी०वाई०एस०पी० और दरोगा में इन डकैतियों के संबंध में मतभेद है ?

श्री नवलकिशोर—

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, इस बात को देखते हुये कि उत्तर प्रदेश के केवल फैजाबाद जिले में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में हर साल चोरी, डकैती, कत्ल और रहजनी के केसेज बढ़ते ही जा रहें हैं, क्या माननीय मंत्री जी इनको रोकने के लिये कोई सक्रिय कदम उठाने के प्रश्न पर विचार कर रहें हैं ?

श्री नवलकिशोर—

यह तो पुलिस बजट के बारे में ही स्वीकार किया गया है कि क्राइम्स बढ़ रहें हैं, उनको चैक करने की कोशिश की जा रही है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुये कि दो डकैतियों का जुर्म घटा कर दिखाने के लिये ही चोरी में दिखाया गया है, सरकार अपने जिले स्तर के किसी उच्च अधिकारी से इसकी छानबीन कराने की कृपा करेगी ?

श्री नवलकिशोर—

जैसा मैंने अर्ज किया वह दोनों डकैतियां एक्सपंज हो गई और उनके मुताल्लिक जो जरूरी कार्यवाही कानून के अन्दर है वह की जा रही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

जिन थानों में इस प्रकार से अधिक क्राइम्स बढ़ रहें हैं वहां के थानेदारों को क्या मंत्री जी मुअत्तल करने की कृपा करेंगे ताकि वहां ऐसें क्राइम्स न बढ़ें ?

श्री नवलकिशोर—

हमने अपराधों की संख्या को अपना मयार नहीं माना है बल्कि कितने प्रतिशत मामले वर्कआउट होते हैं इसको मयार माना है ताकि कन्सीलमेंट न हो। जहां अपराध अधिक हों वहां के थानेदारों को मुअत्तल किया जाय, ऐसी बात सरकार नहीं मानती है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि किसी कत्ल, डकैती या चोरी के मामले में जब थानेदारों से पूछतांछ की जाती है तो वह कहते हैं कि हर मामले में पोलिटिकल हस्तक्षेप होता है और अगर यह बात सही है, तो क्या वह कोई ऐसी जांच करेंगे कि इस तरह की बात बन्द की जाय और अगर यह गलत है तो उन के द्वारा ऐसी अफवाहों का फैलाना बन्द किया जायगा ?

श्री नवलकिशोर—

यहां तो अफवाहें फैलाने की बात नहीं थी।

*२२–२४—श्री रामलखन—

[हटा दिये गये।]

*२५–२६—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

आगरा जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

*२७—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में पिछले ७ मास में डकैती, अपहरण व कत्ल के क्रमशः कितने केस हुये और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री नवलकिशोर---

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५०६ पर)

*२८---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या सरकार को ज्ञात है कि चम्बल घाटी के डकैतों ने एक 'डकैत संघ' का निर्माण किया है और आगरा जिले का मशहूर डकैत, जगजीत सिंह उर्फ जंगा उसका प्रधान बना है? यदि हां, तो इसकी क्या गतिविधियां हैं और इसकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये?

श्री नवलकिशोर---

इस बात की कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि जगजीत सिंह उर्फ जंगा डकैत के नेतृत्व में चम्बल घाटी में किसी 'डकैत संघ' का निर्माण किया गया है। अतः कथित 'संघ' के संबध में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*२९---श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले ६ माह से आगरे जिले में जंगा व माधो सिंह डकैतों की क्रिमिनल गतिविधियां बढ़ रहीं हैं जिससे जनता में भय, आतंक का वातावरण व्याप्त है? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

श्री नवलकिशोर---

पिछले ६ माह (सितम्बर, १९६२ से फरवरी, १९६३) में जंगा डकैत की गतिविधि केवल एक ग्राम में डकैती व अपहरण की घटना के संबंध में दृष्टि में आई। माधोसिंह डकैत की गतिविधियां माह दिसम्बर, १९६२ व जनवरी, १९६३ में अधिक रही हैं। इस क्षेत्र में इनके अतिरिक्त कुछ अन्य डकैतों की गतिविधियों से भी जनता में भय व आतंक रहा परन्तु इस दिशा में विशेष अभियान व प्रयत्न के फलस्वरूप कुख्यात डाकू मिजाजी, जसराम व डोगरा का पूर्ण रूप से सफाया किया गया।

श्री बालोजी अग्रवाल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में पिछले ६ मास में डकैती के २२, कत्ल के २१ और अपहरण के १६ केस हुये, तो इस वृद्धि को देखते क्या मंत्री जी ने कोई विशेष प्रबन्ध उस जिले में अपराधों की रोकथाम का किया है?

श्री नवलकिशोर---

जहां तक आगरे का संबंध है यह सही है कि वहां ऐसे अपराध होते रहते हैं लेकिन अगर इनका हम पिछले साल के आंकड़ों से मुकाबला करें तो डकैती और कत्ल में कमी हुई है केवल किडनेपिंग कुछ अधिक हुई है। जहां तक प्रबन्ध का संबंध है सरकार जागरूक है, वहां पर पी० ए० सी० की टोलियां पड़ी हुई हैं और निरन्तर आवश्यक प्रबन्ध किया जा रहा है।

कुमारी श्रद्धा देवी (जिला मेरठ)---

क्या मुख्य मंत्री जी इस बात पर ध्यान देंगे कि ललितपुर और आगरा में बहुत कत्ल और डकैतियां होती हैं तो इसके लिये गांव वाले कुछ पुलिस की सहायता करना चाहते हैं तो ग्राम रक्षा समितियां या इसी किस्म की कोई समितियां कायम करें ताकि पुलिस की मदद गांव वाले कर सकें क्योंकि उनको हर बात का पता रहता है?

श्री नवलकिशोर---

जो सुझाव दिया गया है इस पर आलरेडी काम हो रहा है और आगरा जिले में ग्राम रक्षा समितियों में बढ़ा अच्छा काम किया है और कई एनाकाउन्टर्स में तथा डाकुओं के पकड़ने में पुलिस की मदद भी की है।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या मंत्री जी का ध्यान आगरा रेंज के डी० आई० जी० के १३ अगस्त के बयान की ओर गया है जिसमें कहा है कि इस डकैत समस्या का कोई हल नहीं है जब तक कि बाह और चम्बल घाटी के क्षेत्र में, जो उनके छुपने के विशेष स्थान हैं, उस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से विकसित न किया जाय और कटाव को एक सा करके खेती योग्य न बनाया जाय ? यदि हां, तो मंत्री जी उस ओर ध्यान देंगे तथा उसको विकसित करने और कटाव खत्म करने के लिये कोई प्रबन्ध करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—

डी० आई० जी ने क्या बयान दिया, उसको मैंने पढ़ा नहीं और न मेरे सामने है अतः मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं ।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

मंत्री जी ने कहा कि डकैती की घटनायें पिछले साल से ज्यादा नहीं हुई, अपहरण की ज्यादा हुई हैं, तो उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या विशेष व्यवस्था की ?

श्री नवलकिशोर—

कई डकैतों को लिक्वीडेट कर दिया गया और बाकी गैंग्स को परसू किया जा रहा है। यही कोशिशें होती हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

इस बात को देखते हुए कि इटावा, आगरा और जालौन के बार्डर पर डकैतों का जोर रहता है तो क्या सरकार पुलिस फोर्स को बढ़ायेगी तथा नागरिकों को ज्यादा हथियार देगी ?

श्री नवलकिशोर—

जहां तक पुलिस फोर्स को बढ़ाने का प्रश्न है उस तरफ सरकार का कदम बढ़ा है तथा जहां तक हथियारों की बात है आर्म्स ऐक्ट, जो १९६२ से लागू हुआ है उसमें हथियार देने के तरीकों को लिबरेलाइज कर दिया गया है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

यह देखते हुये कि डकैती में पकड़ने की संभावना ज्यादा बढ़ रही है इसलिये क्रिमिनल्स का रवैया किडनेपिंग की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है । अतः इसको रोकने के लिये क्या सरकार कोई विशेष प्रबन्ध करेगी ?

श्री नवलकिशोर—

साथियों को पता होगा कि पी०आर०डी०, होम गार्ड, पुलिस और थाने, चौकियां तथा पी०ए०सी० बढ़ायी जा रही है । यही सब इन्तजाम हो रहा है ।

श्री क्षेमचन्द (जिला आगरा)—

मंत्री जी ने कहा कि जंगा के दल के संगठन की उनको कोई सूचना नहीं है । साथ ही उन्होंने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जंगा के द्वारा एक डकैती का केस नोटिस में आया है । तो जो डकैती उसने डाली थी वह अकेले डाली थी या दल के साथ डाली थी ?

श्री नवलकिशोर—

जंगा के बारे में बात थी, मैंने कहा माधो सिंह की हरकतें ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं और जंगा का एक ही केस डकैती और अपहरण का हमारे सामने आया है ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

डकैतियों की संख्या अधिक बढ़ी है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी डकैतियां बर्क आउट हो गई और कितने डकैत गिरफ्तार हो चुके हैं ?

श्री नवलकिशोर—

यह फीगर्स मेरे पास नहीं हैं कि कितने गिरफ्तार हो चुके हैं ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जो समितियां गांवों में पुलिस को सहायता देने के लिये बनायी गई हैं क्या उनके जिम्मेदार लोगों को लाइसेंस और हथियार देने पर विचार कर रहे हैं ताकि आसानी से वह पुलिस की सहायता कर सकें।

श्री नवलकिशोर—

ग्राम रक्षा समितियों को हथियार देने के लिये सरकार काफी ध्यान देती है और काफी तादाद में हथियार देने की चेष्टा कर रही है ?

श्री ऊदल—

चम्बल घाटी और आगरा की यह समस्या इसलिये जटिल है कि जमुना के किनारे टीला है और काफी छिपने लायक जगह है। एक डी० आई० जी० साहब ने कहा कि बड़े बड़े बुलडोजर बना कर उस टीले को साफ करा दिया जाय और मैदान बना दिया जाय तो समस्या का समाधान हो जायगा, क्या सरकार इस पर विचार करने को तैयार है ?

श्री नवलकिशोर—

हिस्ट्री में मुहम्मद तुगलक पैदा हुये, उनकी याद आ जाती है। इससे ज्यादा क्या कहूं।

श्री छत्रपति अम्बेश—

डाकुओं के पास आधुनिकतम हथियार हैं जब कि पुलिस का कहना है कि उसके पास नहीं है, तो क्या सरकार बतलायेगी कि इसका क्या कारण है ?

श्री नवलकिशोर—

पुलिस के किस कर्मचारी ने माननीय सदस्य से यह बात कही, मुझे इत्तिला नहीं है लेकिन जो भी संभव और उचित हथियारों की जरूरत है उनको हमने पुलिस को दे रखा है।

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार को सूचना है कि नया तरीका डाकुओं ने बच्चों को उठा ले जाने का निकाला है उसका मुख्य कारण यातायात का साधन न होना है ? जिस इलाके में ये घटनायें हो रही हैं क्या सरकार विशेष रूप से प्रयत्न करेगी कि यातायात के साधन सुलभ हो जायं ?

श्री नवलकिशोर—

मैंने अर्ज किया कि सरकार इस बात को चाहती है कि जितने हथियार दिये जायं वह सही रूप से इस्तेमाल हों। पिछड़े इलाके में यातायात की तरफ भी सरकार ध्यान है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

चम्बल घाटी के डाकुओं की जो समस्या है इसमें पिछली बार सरकार ने काफी प्रयास किया मध्य प्रदेश की सरकार से मिल कर। यहां जो डाकू आते हैं राजस्थान और पंजाब से आते हैं, तो सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश के उच्च पुलिस अधिकारियों की कान्फ्रेन्स करके ज्वाइंट आपरेशन किया जा सके ?

श्री नवलकिशोर—

यह बात सही है कि जो डकैत आते हैं वह मध्य प्रदेश और राजस्थान से काफी आते हैं और वहीं वापस चले जाते हैं। जहां तक ज्वाइंट कमांड की बात है पहले यह बात शुरू की गयी थी, वह अब नहीं है लेकिन यह बतला दूं कि जो राज्यों के पुलिस आफिसर्स हैं उनमें कोआर्डिनेशन काफी रहता है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

अपहरण की घटनायें हो रही हैं और लोग पैसा देकर वापस अपने आदमी को ले आते हैं, रिपोर्ट इसलिये नहीं लिखाते कि उनको भय रहता है कि अपहरण किये हुये आदमी की जान चली जायगी। दूसरे अन्तरप्रान्तीय गिरोह इस तरह के हैं जो एक

प्रान्त से दूसरे प्रान्त में ले जाते हैं। तो अब तक प्रान्तीय सरकार ने इन बढ़ते हुये अपहरण कांडों को रोकने के लिये क्या मौलिक कदम उठाये हैं ?

श्री नवलकिशोर—

लोग चुपचाप रुपया दे कर ले आयें और हमको इत्तिला न दें तो हम क्या कर सकते हैं ? शिकायत आने पर हम आश्वासन देते हैं कि जितनी हिफाजत हो सकती है हम करेंगे और उसकी कोशिश भी करते हैं।

कत्ल की जांच के लिए श्री मानसिंह का बुलन्दशहर से पत्र

*३०—श्री दयाराम शाक्य—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको श्री मानसिंह चौहान, बनकौर, बुलन्दशहर, का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक ६ जुलाई, १९६२ उनके पुत्र के कत्ल के मामले में स्पेशल सी०आई०डी० की नियुक्ति के बारे में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नवलकिशोर—

जी हां, उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। इसके संबंध में जांच कराई गई जिससे ज्ञात हुआ कि मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया। प्राथमिक सूचना में कत्ल के विषय में सीधा किसी को नामजद न करने के कारण तथा अनुसंधान में किसी के विरुद्ध अपराधप्र का माण न मिलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है।

श्री दयाराम शाक्य—

क्या मृतक के पिता मानसिंह चौहान का कोई पत्र उनको इस विषय का प्राप्त हुआ कि सी०आई०डी० के द्वारा इस विषय पर इन्क्वायरी कराई जाय ?

श्री नवलकिशोर—

यह बात सही है कि उनकी मांग यह थी कि सी० आई० डी० के द्वारा जांच कराई जाय।

श्री दयाराम शाक्य—

यह देखते हुये कि स्थानीय पुलिस इन्क्वायरी के बाद भी कोई पता न लग सकी, क्या उस पत्र के आधार पर मंत्री महोदय सी०आई०डी० द्वारा पता लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, इस मामले की जांच की गयी। मामला कोई कम्प्लीकेटेड नहीं था। चूंकि कोई सबूत बरामद नहीं हुआ इसलिये फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी और कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया। लिहाजा अब सी० आई० डी० से जांच कराने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती।

श्री दयाराम शाक्य—

ऐसे जघन्य अपराधों के होने पर और मुलजिम न पकड़े जाने के कारण अपराधों की संख्या बढ़ती है और अपराधियों का उत्साह बढ़ता है। तो क्या मंत्री महोदय विशेष रूप से इसमें सी० आई० डी० नियुक्त करने की कृपा करेंगे क्योंकि उसके द्वारा ज्यादातर केसेज वर्क आउट हो जाते हैं ?

श्री नवलकिशोर—

हर केस की सी०आई०डी० से जांच कराना संभव नहीं होता है। कम्प्लीकेटेड केसेज को हम कोशिश करते हैं कि सी० आई० डी० को दें।

श्री अध्यक्ष—

उनके कहने का मतलब यह कि जब सरकर को शंका होती है तब तो वह सी०आई०डी० को देती है वरना हर केस को सी०आई०डी० को देने में दिक्कत होती है।

चायल तहसील में उद्योगों के लिए सहायता

*३१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नर्वदा आश्रम, चायल, इलाहाबाद, को सन् १९५२ से १९६२ तक कितना धन सरकार द्वारा दिया गया है और इस धन के सहारे उक्त आश्रम में कौन-कौन से उद्योग धन्धे चलाये जाते हैं ? उक्त धन्धे आज किस स्थिति में हैं ?

श्री बीरसेन—

नर्वदा आश्रम, चायल, इलाहाबाद, नामक संस्था को सन् १९५२ से १९६२ तक सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

*३२—श्री नाथूराम शिक्षक—

उक्त आश्रम की सहायता किन सज्जन के नाम दी गई है और उनका पता क्या है ?

श्री बीरसेन—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील चायल के अन्दर किसी भी उद्योग के लिये कोई आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री बीरसेन—

मैं समझता हूं बहुत उद्योगों को दी गयी होगी ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मंत्री महोदय बतायेंगे कि वह कौन कौन सी संस्थायें हैं जिनको आर्थिक सहायता दी गयी है ?

श्री बीरसेन—

इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी । इसमें तो उन्होंने चायल का नाम दिया था । उसी के बारे में सूचना एकत्रित की गयी थी ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन कौन से उद्योग हैं जिनको आपने आर्थिक सहायता दी है ?

श्री बीरसेन—

यह मैं बता चुका ।

बांदा जिले में दियासलाई की सींकें बनाने वाली लकड़ी

*३३—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सरकार को पता है कि बांदा जिले में ऐसी लकड़ी बहुतायत से पायी जाती है जिसका उपयोग दियासलाई की सींकें बनाने में किया जा सकता है ? क्या सरकार वहां का सर्वेक्षण कराकर उक्त उद्योग स्थापना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीरसेन—

बांदा जिले में दियासलाई की सींकें बनाने वाली लकड़ी अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है । इस उद्योग में सेमल अथवा अरूं (एलेन्थस) की लकड़ी मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है जिसका जिले में अत्यन्त अभाव है । अतः ऐसी परिस्थिति में वहां का सर्वेक्षण कराने और उक्त उद्योग के स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री मतोलालसिंह—

हमारे मंत्री महोदय को इसका बिलकुल ज्ञान नहीं है कि बांदा जिले में साल और गुरजा की इतनी लकड़ी होती है कि वह काट कर फेंक दी जाती है। वन मंत्री महोदय से इसकी रिपोर्ट ले लें। मैं आशा करता हूं कि वन मंत्री साहब से रिपोर्ट लेकर इसकी सही रिपोर्ट दें कि साल और गुरजा की कितनी लकड़ी बांदा जिले में है जिससे दियासलाई बन सकती है और वह लकड़ी इमारती नहीं है, उसको आदमी काट कर फेंक देते हैं।

श्री वीरसेन—

यह जांच वन अधिकारियों से कराई गयी और उन्होंने ही यह सूचना दी है कि इस तरह की कोई लकड़ी वहां पर बहुतायत में नहीं होती है जिससे उद्योग चलाया जा सके।

श्री मतोलालसिंह—

क्या मंत्री महोदय को साल और गुरजा की लकड़ी की जानकारी है और ऐसी कितनी लकड़ी वहां पायी जाती है?

श्री वीरसेन—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत साफ नहीं हुआ। लेकिन मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि दियासलाई जिन लकड़ियों की बनती है वह सेमल और अरूं की लकड़ी होती है। एक शायद गुरसा नाम की लकड़ी है उसके बारे में अभी जांच नहीं हो पायी है, वह नरम होती है। वह दियासलाई बनाने में काम आ सकेगी या नहीं, इसका अभी पता नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह—

क्या मंत्री जी एक्सपर्ट से जांच करायेंगे कि जिन दो लकड़ियों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उनके द्वारा दियासलाई बनाई जा सकती है अथवा नहीं और उसको सदन में बताने की कृपा करेंगे?

श्री वीरसेन—

अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि माननीय सदस्य ने जो लकड़ियों के नाम बताये वह समझ में नहीं आये। यदि वे दुहरा देंगे तो मैं देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी कह रहे हैं कि जिन लकड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, लिखकर दे दीजिये ताकि विशेष रूप से जांच करा ली जाय।

श्री मतोलालसिंह—

साल और गुरजा है।

श्री अध्यक्ष—

नोट कर लीजिये।

बदायूं जिले में मोजा बनाने वाली फर्म

*३४—श्री कैलाश (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मन्त्री बतायेंगे कि जिला बदायूं में किस-किस की और कितनी फर्में मोजा बुनने की चल रही हैं और उनका सालाना आउटपुट कितना है?

श्री फूलसिंह—

जिला बदायूं में मोजा बुनने की केवल एक फर्म चल रही है, जिसके मालिक श्री रामधन हैं। चूंकि इस फर्म ने इसी साल के जनवरी के महीने से अपना उत्पादन आरम्भ किया है, इसलिये इसका सालाना आउट-पुट इस समय बताना सम्भव नहीं है।

बदायूं जिले में लाइसेंसदारों से सुरक्षा कोष में प्राप्ति

*३५—श्री सूरजपालसिंह (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के जिलाधीश ने १ नवम्बर, १९६२ से अब तक के कितने लायसेंस रिवाल्वर व बन्दूक के दिये गये हैं ? जिन्हें दिये गये हैं उनसे कितना रुपया सुरक्षा कोष में और सेविंग बैंक में जमा कराया गया है और कितने के सर्टिफिकेट खरीदवाये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जिला बदायूं के जिलाधीश ने १ नवम्बर, १९६२ से २८ फरवरी, १९६३ तक ६ लाइसेंस रिवाल्वर अथवा पिस्तौल के दिये हैं । बन्दूक के लाइसेंस उन्होंने कोई नहीं दिये । लाइसेन्स की स्वीकृति के संबंध में उक्त लाइसेन्सदारों से कोई रुपया नहीं जमा करवाया गया । परन्तु उक्त ६ लाइसेंसदारों में से २ ने क्रमशः १,५०० रु० तथा २,००० रु० सुरक्षा कोष में स्वेच्छानुसार जमा किया । उक्त ६ लाइसेंसदारों ने सेविंग बैंक में कितना रुपया जमा किया और कितने के अल्प बचत सर्टिफिकेट खरीदे हैं, इसके संबंध में जिलाधीश के कार्यालय में कोई रिकार्ड नहीं रहता है । लोग सेविंग बैंक में रुपया डाकखाने में जमा करते हैं और सर्टीफिकेट भी स्वयं डाकखाने से खरीद लेते हैं ।

शामली चीनी मिल में गन्ने का मूल्य

*३६—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को पता है कि जिला मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर तथा खतौली मिलों के गेट तथा सेन्टर पर किसानों को गन्ने का बराबर मूल्य मिलता है और शामली मिल के दो सेन्टरों—लालू खेड़ी तथा बुढ़िना का गन्ना जो इस समय मंसूरपुर मिल को दे दिया गया है, को भी गेट ही के भाव पर गन्ने का मूल्य मिलता है; किन्तु शामली मिल के सेन्टर के काश्तकारों को वह मूल्य नहीं मिलता जो गेट के काश्तकारों को मिलता है, यानी सेन्टर के काश्तकारों को गेट के काश्तकारों के मुकाबिले में गन्ने की कम कीमत मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार शामली मिल में भी मंसूरपुर तथा खतौली मिलों की तरह गेट तथा सेन्टर का एक ही भाव कराने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य देना व यातायात संबंधी कटौती की दर में कमी करना मिलों की स्वेच्छा पर निर्भर है । अतएव इस वर्ष मंसूरपुर चीनी मिल ने निर्दिष्ट सेन्टरों से तथा खतौली मिल ने अपने आउट सेन्टरों से अधिक गन्ना पाने के लिये उक्त सेन्टरों पर गन्ने का मूल्य गेट की दर से केवल निश्चित अवधि के लिये भुगतान किया जो इस प्रकार है :

चीनी मिल का नाम	अवधि जिसमें कथित सेन्टर्स पर गेट की दर से गन्ने का मूल्य भुगतान किया गया
१	२
मंसूरपुर	५-२-६३ से २५-२-६३ तक
खतौली	५-२-१९६३ से २५-२-६३ तक

अतः सरकार द्वारा शामली मिल के गेट तथा सेन्टरों पर समान दर से गन्ने का मूल्य दिलाने के लिये किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*३७—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।

थानेदार घोसी के खिलाफ शिकायत

*३८—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामसुन्दर पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा, का कोई पत्र २२ सितम्बर, १९६२ को लिखित उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसके साथ ग्राम मलेरी कोट, थाना घोसी, जिला आजमगढ़ का ही एक प्रार्थना-पत्र संलग्न था जिसमें थानेदार घोसी की शिकायत लिखी थी ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी और परिणाम क्या निकला ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र तथा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है । प्रार्थना पत्र की जांच करायी गयी । जांच के फलस्वरूप थानेदार के विरुद्ध लगाये आरोप सही नहीं पाये गये ।

मनिया टीकरी गांव के कूप से श्री रघुबर दयाल की लाश मिलना

*३९—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को पता है कि जो कत्ल रघुबर दयाल, पुत्र रोशन लाल, निवासी भदौरा का १० मई, १९६२ को हुआ था और जिसकी लाश २३ मई, १९६२ को ग्राम मनिया टीकरी, थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर के एक कूप से बरामद हुई थी, उसके विषय में अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की है और क्या कातिलों का पता पाने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट भेज दी ? यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक १३-५-६२ को ग्राम मनिया टीकरी, थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर के एक कूप से श्री रघुबर दयाल, पुत्र रोशन लाल की लाश बरामद हुई थी । इस संबंध में जांच के पश्चात् पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेज दी है । प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

ललितपुर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के विचाराधीन गबन का मामला

*४०—श्री श्यामलाल, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री विजयपालसिंह, श्री शराफत हुसैन रिजवी तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १४ फरवरी, १९६३ के प्रश्न संख्या ४५, ४६, ४७ के सन्दर्भ में ऐसे कौन से कारण जनहित के अभियुक्तों के प्रार्थना पत्रों में सरकार को प्राप्त हुये हैं जिन के आधार पर गबन व जालसाजी इत्यादि के गम्भीर मुकदमे सरकार न्यायालय से वापिस लेने पर काफी समय से विचार कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—

हर प्रार्थना पत्र पर सरकार विचार करती है । अतः जैसा कि उल्लिखित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर में बताया जा चुका है, मुकदमों की वापिसी के लिये एक पत्र कुछ अर्सा हुआ प्राप्त हुआ था जो सरकार के विचाराधीन है ।

*४१—श्री श्यामलाल, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री विजयपालसिंह, श्री शराफत हुसैन रिजवी तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १४ फरवरी, १९६३ के प्रश्न संख्या ४५, ४६, ४७ के सन्दर्भ में क्या यह सही है कि उपरोक्त मुकदमों में अब तक न्यायालय में एक भी शहादत इस कारण पुलिस द्वारा पेश नहीं की गयी चूंकि सरकार मुकदमों की वापसी पर विचार कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—

जी हां ।

*४२—श्री श्यामलाल, श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री विजयपालसिंह, श्री शराफत हुसैन रिजवी तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १४ फरवरी, १९६३ के प्रश्न संख्या ४५, ४६, ४७ के सन्दर्भ में क्या यह सही है कि विरोधी दल के कई नेताओं द्वारा भी उपरोक्त मुकदमात न्यायालय से वापस न किये जाने की लिखित प्रार्थना सरकार से सन् १९६२ में की गयी है ? इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नवलकिशोर—

जी हां । पत्र विचाराधीन है ।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किसी मुकदम को किस आधार पर वापस लेते हैं ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, इसमें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट होती है, जुडीशियल सेक्रेटरी की रिपोर्ट मांगते हैं, फिर विदड्रा किया जाता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो पत्र उनके पास आया है मुकदमे के वापसी के सिलसिले में, वह कब आया और किन की तरफ से आया है ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, पत्र की तारीख १४-१२-६२ है । कुछ विरोधी पक्ष के नेताओं की तरफ से आया है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि पहला पत्र जो आया था, जिस पर से मुकदमा वापस लिये जाने के लिये सरकार सोच रही है, वह किस ने भेजा और कब आया ।

श्री नवलकिशोर—

श्रीमन्, १९ जून, १९६२ को आया था और श्री गज्जूराम चौधरी ने भेजा था ।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, झांसी जिले में एक अदालत में जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप है, क्या यह सही नहीं है कि उसके खिलाफ हजारों रुपये का गबन है ? यदि सत्य है, तो ऐसे गंभीर केस को क्या सरकार वापस लेने के लिये विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः उसको वापस न लेने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, यह तो कई बात मानकर माननीय श्यामलाल जी चले, एक केस कोर्ट में आया जिसमें लांछन यह था कि कुंआ बनाने के झूठे व्वाउचर देकर रुपया वसूल किया गया । गज्जूराम जी का कहना यह है कि उन्होंने कुछ लोगों के कहने से उनके विश्वास पर कुछ वाउचर्स को सर्टिफाई कर दिया था जिसका कि उसके बाद भी सरकारी कर्मचारियों के सर्टीफाई करने के बाद पेमेंट हुआ । इसलिये वह कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं और इस मामले की सरकार जांच पड़ताल कर रही है, अभी वह विचाराधीन है ।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इस मुकदमे को इसलिये वापस लेने के लिये सोच रही है कि यह जो गबन और जालसाजी आदि के मामले थे इनके सम्बन्ध में वहां के नियोजन अधिकारी और और विभागीय अधिकारियों ने जांच की और यह गबन आदि का मामला बिलकुल झूठा पाया गया, इसलिये सरकार ने वापस लेने का विचार किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सरकार के पास तो बहुत से सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के सम्बन्ध में समय-समय पर सिफारिशें आती रहती हैं और बड़े बड़े जुर्म के लोग जो हैं उनके बारे में भी सिफारिशें आती हैं और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के विषय में सरकार विचार करती है । तो यह जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं इनके उपर तो कोई वैसा बहुत बड़ा जुर्म नहीं है । इससे बहुत बड़े बड़े जुर्मों के लिये सिफारिशें आती हैं और सरकार सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के विषय में उनके ऊपर विचार करती है ।

श्री ऊदल—

मेरा सवाल दूसरा था । मैं यह जानना चाहता था कि जो गबन आदि के आरोप हैं उनके खिलाफ, गबन और जालसाजी के, वह जाली हैं और उसकी नियोजन अधिकारी तथा और अधिकारियों ने जांच की, उन्होंने उसे झूठा पाया, इसलिये यह सरकार इस मुकदमें को वापस लेने की कोशिश कर रही है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अब सरकार के पास तो अभी मामला विचाराधीन पड़ा हुआ है, अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है । जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया, बहुत से माननीय सदस्य उनके विरुद्ध बात कहते हैं और कुछ आकर उनकी सिफारिश करते हैं, तो वह कागज अभी सरकार के विचाराधीन है, अभी सरकार ने उस पर कोई निर्णय तो लिया नहीं है ।

[२८ मार्च, १९६३ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—२—श्री काशीनाथ मिश्र—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

करछना तहसील में शंकरगढ़ के पहाड़ से पत्थर निकालने का ठेका

*३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में तहसील करछना में शंकरगढ़ पहाड़ के पत्थरों के तोड़ने का ठेका सरकार की ओर से दिया जाता है या राजा साहेब शंकरगढ़ की ओर से ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

शंकरगढ़ के पहाड़ से पत्थर निकालने का एक शाश्वत पट्टा सरकार ने रानी राजेन्द्र कुमारी को दिया है । पत्थरों के तोड़ने के ठेके उन्हीं की तरफ से होते हैं ।

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद में शंकरगढ़ पर पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों के रहने का कोई प्रबन्ध किया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां तो, कितने मजदूरों का ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी नहीं, क्योंकि सरकार ने कोई आवश्यकता नहीं समझी ।

नोट—तारांकित प्रश्न ४०—४२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि शंकरगढ़ के पत्थर तोड़ने का ठेका प्रत्येक वर्ष नीलाम किया जाता है ? यदि हां, तो १९६०-६१ और ६१-६२ में कितने को ठेका दिया गया ?

श्री हरगोबिन्दसिंह—

प्रश्न नहीं उठता।

आटन ग्राम में श्री सूरत भाट का कत्ल

*६—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत थाना हसनगंज में कस्बा नियुतनी के पास ग्राम आटन में ठाकुर सूरजसिंह का कत्ल करीब दिन के दो बजे १७ जनवरी, १९६३ को कर दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

दिनांक १७-१-६३ को कत्ल की ऐसी कोई घटना नहीं हुई, किन्तु दिनांक १६-१२-६२ को ग्राम आटन में श्री सूरत भाट नामक व्यक्ति का कत्ल हुआ था ।

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी तथा श्री नरोत्तमसिंह—

यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मृतक ने तथा उसके साथियों ने इस घटना के पूर्व मुख्य मंत्री को २४ अक्तूबर, १९६२ ई० को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था कि पुलिस मुल्जिमान से मिली हुई है, हम लोगों की जान माल का खतरा पैदा हो गया है, इलाके में वारदातें बढ़ रही हैं और इससे पहले थाना हसनगंज में रिपोर्ट भी लिखाई थी कि मुल्जिमान से जानमाल का अन्देशा है तो पुलिस ने मृतक तथा उसके साथिमों का ही उल्टा चालान ताजीरात हिन्द की दफा १०७/११७ में कर दिया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में इस प्रकार के प्रार्थना पत्र की प्राप्ति नहीं पाई जाती और नहीं थाना हसनगंज में इस संबंध में कोई रिपोर्ट लिखाई गई। धारा १०७/११७ सी० आर०-पी० सी० के अन्तर्गत मृतक श्री सूरत भाट तथा उनके साथियों का चालान किया गया था।

*८—श्री गणेशचन्द्र काछी तथा श्री नरोत्तमसिंह—

क्या यह सत्य है कि मृतक के भाई ठाकुर दर्शन सिंह ने ए० डी० एम० उन्नाव को उपरोक्त मुकदमें के सिलसिले में प्रार्थना-पत्र दिया है कि मैंने सात व्यक्तियों के नाम से कत्ल की रिपोर्ट की है कि पुलिस चार हजार रुपया लेकर तीन मुल्जिमों को छोड़ रही है, जबकि चश्मदीद शहादत मौजूद हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां । मृतक के भाई श्री दर्शन सिंह ने ए० डी० एम० को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु जांच से आरोप असत्य पाये गये ।

रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों की गिरफ्तारी

*९—श्री श्यामलाल तथा श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सदन की ३१ फरवरी, सन् ६३ की बैठक में श्री झारखंडे राय द्वारा उठाये गये तारांकित प्रश्न संख्या १, २, ३ नत्थी (ग) के संदर्भ में बताये गये उत्तर में जिन पांच रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों को भारतीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत पकड़े जाने का उल्लेख किया गया है उनके नाम सहित पूरे पते क्या हैं, वे कब और कहां गिरफ्तार किये गये और इस समय किस-किस जेल में हैं और किस श्रेणी के बन्दी बना कर रक्खे गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५०७ पर)

*१०—श्री श्यामलाल तथा श्री हलीमुद्दीन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उनको भारतीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है या उन्हें संदेह में पकड़ा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इन व्यक्तियों की कार्यवाहियां ऐसी पाई गईं जो देश की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा तथा देश में शान्ति व सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये बाधक प्रतीत हो रही थीं ।

*११—श्री श्यामलाल तथा श्री हलीमुद्दीन—

सरकार ने उनके छोड़ने के सम्बन्ध में क्या विचार किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इन मामलों में डिफेन्स आफ इन्डिया रूल्स के अधीन पुनरीक्षण की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

*१२—श्री चन्द्रजीत यादव तथा श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

[हटा दिया गया ।]

*१३-१४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सिंगरौली की रानी की हत्या

*१५—श्री ऊदल, श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़), श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९/२० फरवरी, ६३ की रात में सिंगरौली की रानी का शव प्रतापगढ़ से ६ मील दूर सकरनी पुल से १०० फुट नीचे मिला ? यदि हां, तो क्या शव का पोस्ट मार्टम कराया गया और कितनी चोटें रिपोर्ट में दर्ज हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां । सिंगरौली की रानी का शव १९/२० फरवरी, १९६३ की रात को प्रतापगढ़ से करीब ७ मील दूर सकरनी पुल के नीचे एक कार में मिला । शव का पोस्ट मार्टम कराया गया और ३१ चोटें रिपोर्ट में दर्ज हैं ।

*१६—श्री ऊदल, श्री रामकिंकर, श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार को पता है कि रानी की कार में ८०० रुपये नकद तथा कुछ आभूषण भी थे और इस हत्या को जानबूझ कर कुछ लोगों ने करवाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच सी० आई० डी० से करवाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां । कार में लगभग इतना ही रुपया और कुछ आभूषण पाये गये । इस घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है । जांच जारी है और अभी कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती ।

*१७—१९—श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ)—

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०-२१—श्री रियासत हुसैन—

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गोंडा या बहराइच पुलिस प्रशासन को लखनऊ क्षेत्र में मिलाना

*२२---श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा या बहराइच जिले के पुलिस प्रशासन को लखनऊ पुलिस रेंज के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिये जाने के सम्बन्ध में कुछ विधायकों ने लिखित सुझाव दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही व निश्चय लिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जी हां, सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

तिब्बती शरणार्थी

*२३---कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भारत पर कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण के पश्चात् अब तक उत्तर प्रदेश में कितने तिब्बती शरणार्थी आये हैं ? वे कब-कब तथा किन स्थानों पर अपनी सीमा में प्रविष्ट हुये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

सरकार के पास अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार भारत पर कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण के पश्चात् उत्तर प्रदेश स्थित भारतीय सीमा से होकर कोई तिब्बती शरणार्थी नहीं आया । अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

*२४---कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त शरणार्थियों की जांच कर ली गई है, उनमें कितने गुप्तचर तथा कितने वास्तविक शरणार्थी हैं ? यदि हां, तो उनमें कितने प्रतिशत जासूस निकले हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ पुलिस द्वारा रेल की पटरियों से लदी ट्रक की गिरफ्तारी

*२५---कुंवर श्रीपालसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि मई, १९६२ में लखनऊ के आलमबाग थाने की पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा जिसमें ४१ रेल की पटरियां लदी थी जो चोरी करके अजगैन स्टेशन के पास से लाकर किसी लखनऊ की ही रोलिंग मिल में ले जाई जा रही थीं ? यदि हां, तो उक्त मामले का पूर्ण विवरण क्या है, तथा इस समय उस मामले में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

घटना का पूर्ण विवरण, मय मामले की वर्तमान स्थिति, संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५०८ पर)

*२६-२७---श्री चन्द्रजीत यादव---

[स्थगित किया गया ।]

कानपुर जिले में पुलिस अधिकारी

*२८---श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत वह कौन-कौन से सर्किल आफिसर व थानेदार हैं जो ३ वर्ष या इससे अधिक बराबर एक ही क्षेत्र में नियुक्त हैं, उनके स्थानान्तरण न होने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

कानपुर जिले के अन्दर ऐसा कोई सर्किल आफिसर व थानेदार नहीं है जो तीन वर्ष या उससे अधिक से बराबर एक ही क्षेत्र में तैनात हो ।

*२९--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३०--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

*३१-३३--श्री मतोलासिंह--

[१०वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४--श्री राम सुन्दर पांडेय--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

सिंगेरा निवासी फेंकू के घर में डकैती

*३५--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर) तथा श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १७, १८ फरवरी की रात को ग्राम सिंगेरा, थाना मरदह, जिला गाजीपुर के निवासी फेंकूराम के घर पर डकैती पड़ी और जिस समय डकैती पड़ रही थी उस समय थाना मरदह, जिला गाजीपुर व मऊ व चिरैयाकोट, जिला आजमगढ़ के थानेदार ४२ सिपाहियों के साथ डाका स्थल पर मौजूद थे ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा कितने डकैतों को पकड़ा गया ?

*३६--क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि दरोगा, थाना मरदह को इस बात की सूचना पहले से थी कि उक्त फेंकू के यहां डकैती पड़ने वाली है ? यदि हां, तो डकैती को रोकने व डाकुओं को पकड़ने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

१७-१८ फरवरी की रात को ग्राम सिंगेरा, थाना मरदह, जिला गाजीपुर के निवासी फेंकूराम के घर पर कोई डकैती नहीं पड़ी । १७ फरवरी की रात में उक्त व्यक्ति के यहां डकैती पड़ेगी इस आशय की सूचना चिरैयेकोट तथा मऊ थाने के थानेदारों को मुखबिर से मिली थी और वे अपने थानों की पुलिस तथा थाना कर्मचारियों को साथ लेकर उक्त ग्राम में १७-२-६३ को पहुंचे और चार पार्टियों में विभाजित होकर मकान से कुछ दूर पर ठहर गये ।

मध्य रात्रि में लगभग ६-७ व्यक्ति फेंकूराम के घर पर आये और दरवाजा खटखटाया । इनमें से दो आदमियों ने टार्च जलाकर पुलिस के कुछ व्यक्तियों को देख लिया, अतः वे खेतों की ओर भाग निकले । थानेदार ने १ वी० एल० पिस्तौल से फायर किया तथा पुलिस कर्मचारियों ने उनका पीछा किया, परन्तु किसी को पकड़ा नहीं जा सका ।

हरदुआगंज के थानेदार के विरुद्ध शिकायत

*३७--श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री खेमचन्द--

क्या थानेदार हरदुआगंज, अलीगढ़, ने ग्राम असगरपुर में दिनांक १६ जनवरी, १९६३ को तफतीश करते हुये सुरक्षा के नाम पर १,६०० रु० लेकर उसकी रसीद नहीं दी ? क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई जिसमें यह आरोप हो कि थानेदार हरदुआगंज ने १६-१-६३ को तफतीश करते हुये सुरक्षा के नाम पर १,६०० रु० लेकर उसकी रसीद नहीं दी, यद्यपि यह शिकायत अवश्य प्राप्त हुई है कि थानेदार हरदुआगंज ने एक मकदमें की तफतीश के दौरान में ग्राम

असगरपुर के निवासियों से लगभग १,६०० रु० धमका कर लिये हैं और किसी को कोई रसीद नहीं दी । यह शिकायत रेंज डी० एस० पी० कम्पलेंट आगरा को जांच के लिये भेज दी गई है ।

*३८--श्री भूपसिंह तथा श्री खेमचन्द्र--

क्या उक्त थानेदार हरदुआगंज ने असगरपुर की जनता के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट भी की ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

उपर्युक्त शिकायत में प्रश्न में वर्णित आरोप भी लगाये गये हैं । सम्पूर्ण शिकायत रेंज डी० एस० पी० कम्पलेन्ट आगरा को जांच के लिये भेज दी गई है । जांच का परिणाम ज्ञात होने के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो उचित कार्यवाही की जायेगी ।

राजकीय पाइलट वर्कशाप, बकेवर

*३९--श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)--

क्या लघु उद्योग मंत्री प्रथम सत्र के १९६२ के १४ वें गुरुवार के प्रश्न संख्या २३ के उत्तर के संदर्भ में बताने को कृपा करेंगे कि राजकीय पाइलट वर्कशाप बकेवर, जिला इटावा में सभी ट्रेड्स के शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है ? यदि हां, तो मोल्डिंग ट्रेड में कौन से शिक्षक नियुक्त किये गये हैं ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री फूलसिंह--

जी हां । मोल्डिंग ट्रेड में श्री एम० ए० अन्सारी नियुक्त किये गये थे जिन्होंने २७ जनवरी, १९६३ को त्याग पत्र दे दिया था ।

*४०--श्री सहदेवसिंह--

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अनुसूचित जातीय कर्मचारियों के लिये प्रोमोशन में रिजर्वेशन

*४१--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह कहां तक सत्य है कि २० फरवरी, १९६३ को दिल्ली में मुख्य मंत्रियों की बैठक में भारत के गृह मंत्री ने राज्य के सरकारों का ध्यान अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के प्रोमोशन में भी रिजर्वेशन देने की ओर आकर्षित किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कौन से पग उठाने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मुख्य मंत्रियों की बैठक की कार्यवाही गोपनीय होती है । उनको बताना उचित और जनहित में नहीं होगा ।

सूचना विभाग से ख्वाजा अहमद अब्बास को फिल्म बनाने का काम मिलना

*४२--श्री उमाशंकर तिवारी--

क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री ख्वाजा अहमद अब्बास प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक और सिनेमा चित्र निर्माता को उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने किसी फिल्म के बनाने का कार्य सौंपा था ? यदि हां, तो वह फिल्म कब तक बनकर तैयार होगी ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--

श्री मन्त नया संसार इन्टरनेशनल, बम्बई, जिससे श्री ख्वाजा अहमद अब्बास संबंधित हैं, को विभाग द्वारा "पारस पत्थर" तथा "अमर भारत" शीर्षक दो फिल्मों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था । इनमें से प्रथम फिल्म बनकर तैयार हो गई है । दूसरी का कथानक प्राप्त हुआ था और अस्वीकार कर दिया गया है । फिल्म के बनने का प्रश्न नहीं उठता ।

*४३—श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री ख्वाजा अहमद अब्बास को दी गई फिल्म की कितनी शूटिंग हुई और वह प्रोडक्शन की किस स्टेज पर है और उसके लिये सरकार ने उनको कुछ रुपया अग्रिम भी दिया है ?

श्री बनारसीदास—

प्रश्न नहीं उठता । सरकार द्वारा निर्माता को अग्रिम धन नहीं दिया गया था ।

*४४—श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ख्वाजा अहमद अब्बास को दी गई फिल्म को के बारे में कोई झगड़ा उठा है और पंडित नेहरू ने इस मामले में कोई पत्र मुख्य मंत्री को लिखा है और वह पत्र क्या है ? क्या सूचना मंत्री उसे सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

दूसरी फिल्म के संबंध में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं उठा है । फिल्म का कथानक अस्वीकार कर दिया गया था । पंडित नेहरू ने इस मामले में मुख्य मंत्री जी को दो गोपनीय पत्र लिखे थे जिन्हें सदन के सम्मुख रखना सम्भव नहीं है ।

*४५—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

[१० वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६—४७—श्री बेदराम—

[हटा दिये गये ।]

उत्तर काशी नगर की रक्षा

*४८—श्री सुखलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तरकाशी, जो कि भारत-तिब्बत सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण नगर है, भागीरथी नदी के कटाव के कारण संकट में पड़ गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां ।

*४९—श्री सुखलाल—

यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसकी रक्षा के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किया गया है तथा आगे की क्या योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उत्तर काशी नगर की बाढ़ तथा भू-स्खरण से रक्षा करने के लिये १,०७,५९१ रुपये की तखमीनी लागत की योजना पर शासन द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है और सिंचाई विभाग द्वारा इस योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है ।

औद्योगिक शिक्षण केन्द्र, बस्ती

*५०—श्री श्यामलाल—

बस्ती शहर राजा मैदान में जो औद्योगिक शिक्षण केन्द्र है उसमें किन-किन चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है और प्रत्येक लाइन में कितने शिक्षार्थी हैं ?

श्री फूलसिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ?

*५१—श्री श्यामलाल—

क्या इसमें सभी ट्रेड के शिक्षार्थियों को वजीफा मिल गया है ? अगर नहीं, तो क्यों और कब तक मिल जायगा ?

श्री फूलसिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माल निकासी में असुविधा

*५२---श्री ऊदल, श्री विजयपालसिंह तथा श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसानों के घरों में जब इस समय तोरी नामी सरसों पैदा हो गयी है उसी समय वैगनों के न मिल सकने के कारण प्रदेश की तेल मिलों में बड़े पैमाने पर उत्पादन के रुकने से अधिकांश मिलें बन्द हो गयी हैं जिसके कारण किसानों के नकदी अन्न में सस्ती का बनावटी दौर पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार माल निकासी का कोई प्रबन्ध करेगी, और इस नकली सस्ती को रोकेगी ?

श्री फूलसिंह---

प्रथम भाग---जी नहीं ।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता ।

तृतीय भाग---प्रश्न नहीं उठता ।

मकान मालिकों द्वारा सरकारी मकान न खाली करना

*५३---श्री महादेव (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार को मालूम है कि सरकार द्वारा इस माननीय सदन में यह आश्वासन, कि वह व्यक्ति जिनके निजी मकान हैं सरकारी मकानों में नहीं रहने पायेंगे, दिये जाने के बावजूद भी कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके निजी मकान हैं सरकारी मकानों में रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब तक उनसे सरकारी मकान खाली कराये जा सकेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यह सही है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके निजी मकान हैं और जो अभी भी सरकारी मकानों में रह रहे हैं । सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह इन लोगों को अपने निजी मकानों में भेजने की चेष्टा करेगी । रूल्स के मुताबिक इन लोगों से सरकारी मकान खाली कराना सम्भव नहीं है । इसके अतिरिक्त, अधिकतर इन लोगों को भी अपने निजी मकानों में जाना सम्भव नहीं है क्योंकि कानूनन किरायेदार को नहीं निकाला जा सकता ।

हाइडिल विभाग में एम० बी० ए० का प्रोमोशन

*५४---श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाइडिल विभाग में १ जनवरी, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक कितने एम० बी० ए० विभागीय परीक्षा पास करने के आधार पर और कितनी सीनियारिटी के आधार पर प्रोमोट हुये हैं ? इन प्रोमोट किये गये लोगों को डेट आफ परमानेन्ट अप्वाइंटमेंट अलग-अलग बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधायकों को यात्रा सुविधा

*५५---श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार एम० एल० ए० और एम० एल० सी० को रेल तथा गवर्नमेन्ट रोडवेज में मुफ्त सफर की सहूलियत प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास---

ऐसा कोई प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है

अतारांकित प्रश्न

१—३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये ।]

नागरिक परिषद्, सेना समितियां, सुरक्षा कोष में गड़बड़ी

४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या मुख्य मंत्री कृपया प्रश्न संख्या १४ नत्थी (घ), दिनांक २८ फरवरी के उत्तर के सन्दर्भ में बतलायेंगे कि प्रदेश में कितने नागरिक परिषद् तथा सेना समिति प्रदेश में बनायी गयी हैं तथा उनको सामान एकत्र करने हेतु सरकार की ओर से कोई मान्यता दी गयी अथवा रसीद दी गयी है जिसके द्वारा वह सामान इकट्ठा करें ? यदि हां, तो उनके द्वारा कितना-कितना सामान इकट्ठा कर के प्रदेश से जवानों के पास भेजा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अभी तक प्रदेश में प्रदेश के स्तर पर केवल एक नागरिक परिषद् है । जिन जिलों में सेना समिति स्थापित हुई है और जिनकी सूचना यहां प्राप्त हुई है उनकी सूची संलग्न है ।

चूंकि ये सेना सेवा समितियां कोई सरकारी सहायता प्राप्त करके नहीं बनीं और न ये समितियां सरकार की थीं, इसलिये सरकार की ओर से रसीद देने का प्रश्न नहीं उठता ।

यह सूचना यहां उपलब्ध नहीं है और इसको मंगवाने में जो श्रम और व्यय होगा वह सम्भवतः सार्थक न हो ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ५०९ पर)

५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार प्रश्न संख्या १५, नत्थी (घ) दिनांक २८ फरवरी, १९६३ के सन्दर्भ में कृपया बतलायेगी कि किन-किन २८ जिलों से सुरक्षा फण्ड के हिसाब में गड़बड़ी होने के समाचार सरकार को प्राप्त हुये हैं तथा वह धन किसके द्वारा गायब हुये हैं और कितना-कितना धन ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वे २८ जिले जिनसे सुरक्षा कोष के धन में गड़बड़ी अथवा जबरदस्ती धन वसूल करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं—फतेहपुर, बदायूं, वाराणसी, जौनपुर, बहराइच, बरेली, रायबरेली, बिजनौर, बस्ती, देवरिया, बाराबंकी, प्रतापगढ़, मेरठ, देहरादून, आगरा, एटा, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, बांदा, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, गोरखपुर, मथुरा, सीतापुर, रामपुर, जालौन और शाहजहांपुर हैं ।

ये शिकायतें अध्यक्ष अंतरिम जिला परिषद्, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, तहसीलदार, सुपरवाइजर कानूनगो, लेखपाल, प्रधान आदि के विरुद्ध हैं । जहां तक कितना कितना धन का प्रश्न है, उसका कोई उल्लेख नहीं है, ये फिर भी जिसमें धन का उल्लेख है उसकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५१० पर)

सचिवालय में अस्थायी टंकक

६—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला एटा) तथा श्री सुखलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्य करने वाले टंककों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री चन्दभानु गुप्त—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्य करने वाले टंककों की कुल संख्या २८२ है ।

७--श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री सुखलाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त टंककों में से किसने स्थायी तथा कितने अस्थायी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

उक्त सभी टंकक अस्थायी हैं।

८--श्री राजेन्द्रसिंह तथा श्री सुखलाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अस्थायी टंककों को स्थायी करने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

ढिकौली निवासी श्री रामसिंह के नाती की हत्या

९--श्री श्यामलाल--

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या यह सही है कि मेरठ जिले में बागपत तहसील में ढिकौली नामक ग्राम के निवासी रामसिंह के १४ वर्षीय बालक को हाल ही में सामा नामक किसी व्यक्ति ने मार डाला है ? यदि हां, तो क्या घटना का पूरा विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

१३-१२-६२ को ग्राम ढिकौली के श्री राम सिंह ने थाना बालेनी पर अपने नाती (पुत्र नहीं) की संदेहजनक स्थिति में मृत्यु होने के बारे में रिपोर्ट लिखाई, इस संबंध में विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५११ पर)

गोरखपुर व वाराणसी डिवीजनों में औद्योगिक आस्थानों पर व्यय

१०--श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन के किन किन जिलों में और किन स्थानों पर औद्योगिक आस्थानों की स्थापना के प्रस्ताव तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत हैं और उनके स्थापित करने का लक्ष्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री फूलसिंह--

वांछित सूचना संलग्न सूची नं० १ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५१२-५१३ पर)

११--श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त औद्योगिक अस्थानों पर अलग-अलग कितने रुपये खर्च होंगे और उनमें किन-किन लघु उद्योगों के एवं कार्य की व्यवस्था होगी ?

श्री फूलसिंह--

संलग्न सूची के कालम ६ में प्रत्येक औद्योगिक आस्थानों पर व्यय की जाने वाली धनराशि दी हुई है। उपरोक्त औद्योगिक आस्थानों में ऐसे लघु उद्योग चलाये जायेंगे, जिनमें से कतिपय के नाम संलग्न सूची नं० २ में दिये हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ठ' तथा 'ड' आगे पृष्ठ ५१४ पर)

*१२—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त औद्योगिक आस्थानों के लिये आवश्यक भूमि एवं मशीनों की व्यवस्था हो चुकी है ? यदि नहीं, तो कब तक होने की सम्भावना है ?

श्री फूलसिंह—

औद्योगिक आस्थानों के लिये आवश्यक भूमि की व्यवस्था की स्थिति संलग्न सूची के कालम ७ में दे दी गई है परन्तु इनमें लगाई जाने वाली मशीनों की व्यवस्था उद्योगपति स्वयम् करेंगे। सरकार द्वारा संचालित सेन्ट्रल वर्कशाप के लिये आवश्यक मशीनों की व्यवस्था कारखानों के लिये भवन निर्माण के समय तक हो जायगी।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५१२-५१३ पर)

१३—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[१०वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

१४—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

१५—श्री रघुनाथसिंह—

[हटा दिया गया।]

फिरोजाबाद थाने में अहस्तक्षेप्य व हस्तक्षेप्य अपराध

१६—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के फिरोजाबाद थाने के अन्तर्गत १९६२ ई० में कितनी पुलिस हस्तक्षेप योग्य (cognizable) घटनायें और कितनी पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य (non-cognizable) घटनाओं की प्रथम सूचनायें दर्ज हुईं और उनमें से कितनी की तफतीश हुयी व कितनी में फाइनल रिपोर्ट लगी और कितनी में चार्जशीट लगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

८९५ पुलिस हस्तक्षेप योग्य और १,०४९ पुलिस-हस्क्षेप अयोग्य घटनाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। ८१४ घटनाओं की तफतीश की गई व ३९२ में फाइनल रिपोर्ट लगी और ४०५ में चार्जशीट लगी।

१७—श्री भगवानदास यादवेन्दु—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त फिरोजाबाद थाने के अन्तर्गत उन घटनाओं, जिन में पुलिस ने गत वर्ष १९६२ में चार्ज शीट अदालत में प्रस्तुत की थी उनमें से कितने मुकामों के प्रथम न्यायालय से, कितनों में अपील के न्यायालयों से सजायें हुयीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

१६८ मुकदमों में प्रथम न्यायालय से और ५ अभियागों में सेशन्स कोर्ट से सजा हुई।

गोंडा जिले के लिये अनुदान

१८—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के लिये प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किन-किन मदों में कितना-कितना रुपया दिया और कितना खर्च हुआ ?

१९—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के लिए तृतीय पंच वर्षीय योजना किन किन मदों में कितना कितना धन निर्धारित किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राइफल क्लब, हमीरपुर में कारतूसों की खरीद

२०—श्री मदनपालसिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर के राइफल क्लब के कितने सदस्य हैं तथा राइफल क्लब हमीरपुर ने सन् १९६२ में कितने कारतूस खरीदे तथा वह कारतूस सदस्यों को कितनी संख्या में बेचे गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

राइफल क्लब हमीरपुर में इस समय ७०१ सदस्य हैं। राइफल क्लब हमीरपुर ने सन् १९६२ में ११,२६० कारतूस खरीदे। यह कारतूस न तो सदस्यों को बेचे जाने के लिये खरीदे गये और न उनको बेचे ही गये। यह सदस्यों की ट्रेनिंग के सिलसिले में प्रयुक्त होने के लिए खरीदे गये हैं।

मैनपुरी जिले में लाइसेंसदारों के प्रार्थना-पत्र

२१—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों में मैनपुरी जिले में कितनी बन्दूकें किस-किस अपराध में लाइसेंसदारों से जमा करा ली गयीं ?

२२—क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि जमा करायी गयी बन्दूकों के लाइसेंसदारों पर न्यायालयों में केस भी चलाये गये ? यदि हां, तो कितने ? कितने लाइसेंसदारों को दण्ड दिया गया और कितनों को दण्ड से मुक्त कर दिया गया ?

२३—क्या न्यायालय से निर्दोष साबित होने पर दण्ड से मुक्त किये गये लाइसेंसदारों ने अपनी बन्दूकों को वापस पाने के लिये भी प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो कब और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'द', आगे पृष्ठ ५१५-५१६ पर)

जौनपुर जिले को अनुदान

२४—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग किन-किन मदों में कितना रुपया दिया गया और कितना खर्च हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जौनपुर जिले में प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के लिये राज्य के सभी विभागों द्वारा अलग-अलग धन निर्धारित करने का प्राविधान था और उसमें व्यय भी हुआ है। नियोजन कार्यों हेतु अन्तरिम जिला परिषद् को अनुदान के रूप में इन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो धन दिया गया तथा जो धन तहसीलवार व्यय किया गया, उसका विवरण परिशिष्ट* (क) पर है और सामुदायिक विकास के कार्य क्रमों में विकास क्षेत्रों के द्वारा तहसीलवार जो धन दिया गया तथा व्यय हुआ उसका विवरण परिशिष्ट† (ख) पर है।

२५-२६—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

---

†छापी नहीं गई।

घोसी थाने के नायब थानेदार के विरुद्ध शिकायत

२७—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग ७ व्यक्तियों के हस्ताक्षर से ग्राम बड़े गांव, थाना घोसी, जिला आजमगढ़, के निवासियों का २७ जनवरी, १९६३ का भेजा हुआ प्रार्थना-पत्र उनके कार्यालय के अलावा जिलाधीश आजमगढ़, डी० आई० जी० पुलिस, गोरखपुर और उप-पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को प्राप्त हुये हैं जिसमें स्थानीय थाने के नायब थानेदार द्वारा २२ जनवरी, १९६३ को गाली देने, जबरदस्ती घरों में घुसकर तलाशी लेने आदि की शिकायत की गयी है? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी और क्या प्रार्थियों से भी पूछ-ताछ की गयी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

९ व्यक्तियों के हस्ताक्षर से ग्राम बड़ेगांव, थाना घोसी, जिला आजमगढ़, के निवासियों का दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री के कार्यालय के अतिरिक्त उप पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ तथा डी० आई० जी० पुलिस वाराणसी रेंज को प्राप्त हुआ था, जिसमें घोसी थाने के नायब थानेदार द्वारा २३-१-६३ को गाली देने तथा जबरदस्ती घरों में घुस कर तलाशी लेने की शिकायत की गई थी। इन आरोपों की जांच सर्किल इंस्पेक्टर द्वारा की गई जो सिद्ध नहीं हुए। कुछ प्रार्थियों से पूछ ताछ की गई थी।

सगड़ी तहसील में बन्दूक के लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र

२८—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में १ दिसम्बर, १९६२ से ३१ जनवरी, १९६३ तक कुल कितने प्रार्थना-पत्र बन्दूक के लाइसेंस के निमित्त किन-किन व्यक्तियों से प्राप्त हुये और उनमें से कितने लोगों को लाइसेंस प्रदान किये गये और कितने प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उक्त अवधि में सगड़ी तहसील में बन्दूक के लाइसेंस के निमित्त प्रार्थना पत्र सर्वश्री शिवशरण सिंह, निवासी ग्राम चंगईपुर, मकरध्वज सिंह, निवासी ग्राम हरीसिंहपुर, राजाराम निवासी कस्बा अजमतगढ़, रामदासराम, निवासी ग्राम फुलवरिया तथा खुरपत्ती, निवासी ग्राम उसरहा से प्राप्त हुए। इन सभी प्रार्थना पत्रों के संबंध में अभी जांच हो रही है।

हरिजन पुलिस इंस्पेक्टर

२९—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पुलिस विभाग में रिजर्व शाखा में कुल कितने सब-इन्स्पेक्टर तथा इन्स्पेक्टर हैं और उनमें हरिजनों की क्या संख्या है?

३०—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हैं और उनमें हरिजन कितने हैं और पुलिस में भर्ती करने में हरिजन नवयुवकों को क्या-क्या सुविधा दी जाती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

३१—३३—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ल लिये गय।]

मंत्रियों तथा सभा सचिवों के दौरों पर व्यय

३४---श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती) तथा श्री विजयसिंह---

इस सदन में दिनांक ६ सितम्बर, १९६२ को सरकार ने प्रश्न संख्या ९७--९८ तथा ९९ नत्थी (ग) के उत्तर में एक तालिका दी थी, जिसके अनुसार बतलाया गया था कि १७ मार्च, १९६२ और १२ मई, १९६२ के बीच जिस दौरे का जिक्र है "श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा सचिव ने किसी सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं किया" परन्तु दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२ को प्रश्न ७१ तथा ७२ के उत्तर में जो तालिका दी गयी, उसके अनुसार उन्हीं दिनों सरकारी गाड़ी यू० एस० ए० ४७५ या यू० एस० जे० ७६९९ अधिकांश रूप से उपरोक्त सभा सचिव के दौरे के सिलसिले में उनके सवारी में रही अब प्रश्न यह है कि उपरोक्त दोनों उत्तरों में कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

दोनों उत्तर सही दिये गये थे। जब कि प्रश्न संख्या ९७-९९ में स्टेशन से निवास स्थान एवं निवास स्थान से स्टेशन जाने के लिये सरकारी सवारी के प्रयोग किये जाने की सूचना प्रस्तुत की गयी थी, प्रश्न संख्या ७१-७२ में बतलाई गई सूचना दौरों में उपयोग की गई गाड़ियों के सम्बन्ध में थी।

३५---श्री भानुप्रतापसिंह तथा श्री विजय सिंह---

यदि दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२ का उत्तर सही है, तो दिनांक ६ सितम्बर, १९६२ को उत्तर गलत क्यों दिया गया कि सभा सचिव ने किसी सवारी का प्रयोग नहीं किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

प्रश्न नहीं उठता।

३६---श्री भानुप्रतापसिंह तथा श्री विजय सिंह---

दिनांक ४ दिसम्बर, १९६२ के उत्तर में दिये गये तालिका के अनुसार जो बताया गया कि सरकारी गाड़ी यू० एस० ए० ४७५, दिनांक ११ तथा १२ मई, १९६२ को नहीं चली, तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उन तारीखों में यह गाड़ी कहां रही और यदि हेड क्वार्टर से बाहर रही, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यह गाड़ी ११ एवं १२ मई, १९६२ को गोंडा स्थित गैरेज में बन्द रही।

जेल विभाग से पुलिस विभाग को कम्बलों की सप्लाई

३७---श्री हिम्मतसिंह तथा श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में पुलिस विभाग ने जेल विभाग को कितने कम्बल बनाने का आर्डर दिया और तैयारी के बाद कितने कम्बल लिये और किन-किन खराबियों की वजह से बाकी कम्बल लेने से इन्कार किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

पुलिस विभाग ने सन् १९६२-६३ में जेल विभाग को १०,००० कम्बल बनाने का आर्डर दिया था, बाद में आवश्यकता कम हो जाने के कारण उक्त आर्डर को कम कर के ७,००० कर दिया गया। अभी तक ५,०६९ कम्बल लिये जा चुके हैं तथा शेष १९३१ कम्बलों का निरीक्षण गत १७ मार्च को केन्द्रीय कारागार, आगरा, में होने को था।

३८---श्री हिम्मतसिंह तथा श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २४ दिसम्बर, १९५९ को श्री श्याम सिंह मंगोटिया ने जो एफ० आई० आर० हजरतगंज, थाना लखनऊ, में श्री ई० पी० नेगी के खिलाफ दर्ज करायी थी, उन पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों और इसका कौन जिम्मेदार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

श्री श्यामसिंह मंग्रोटिया ने थाना हजरतगंज में दि० १०-१०-५८ को श्री हनुमान प्रसाद नामक व्यक्ति के विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज कराई थी तथा इस एफ० आई० आर० के क्रम में उन्होंने थाना हजरतगंज में दि० २४-१२-१९५९ को एक रिपोर्ट और भेजी थी जिसमें उन्होंने ई० पी० माही नामक व्यक्ति का नाम भी अंकित किया था। एफ० आर० आर० के आधार पर धारा ४०९/४६७/४६५/भा० दं० वि० के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया तथा पुलिस द्वारा जांच होने के उपरान्त मामले का चालान किया गया।

३९---श्री मुहम्मद रफी खां---

[१०वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

आगरा में बिजली के खम्भों से शेड हटाना

४०---श्री छत्रपति अम्बेश---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि आगरा में आज तक सड़क के किनारे के बल्बों से शेड नहीं हटाये गये जब कि यू० पी० के अन्य शहरों में वे शेड नहीं हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

आगरा शहर के सभी भागों से बिजली के बल्बों से शेड हटा दिये गये हैं।

४१---श्री छत्रपति अम्बेश---

क्या यह सच है कि शेड होने के कारण अंधेरा रहता है और यातायात में असुविधा होती है और अनेक मोटर तांगा भिड़ंत की दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

इसका प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सुरक्षा फंड

४२---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा फण्ड का रुपया प्रदेश में एक से अधिक एजेन्सीज द्वारा इकट्ठा किया गया है ? यदि हां, तो इन एजेन्सीज का नियन्त्रण प्रत्येक जिले में किसके द्वारा हुआ और अन्तिम हिसाब-किताब किसको दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जी हां।

जिलाधीश के नियन्त्रण में।

जिलाधीश को।

४३---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त फण्ड प्राप्ति की रसीदें प्रत्येक जिले में किसी एक अधिकारी विशेष के नाम पर जारी हुई अथवा एक से अधिक नामों पर ? यदि अधिक नामों पर हुई तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

शुरू में एक से अधिक नामों पर।

जिलाधीश द्वारा रसीदें छपवाने में विलम्ब होने से चन्दा वसूलने में कोई रुकावट न हो।

४४---श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रसीदें छपवाने का अधिकार किन-किन एजेन्सीज को दिया गया और क्या उक्त एजेन्सियों ने सरकार को सूचित किया कि इन्होंने कितनी रसीदें छपवायी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
जिलाधीश को।

पूर्ण विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

तारांकित प्रश्न संख्या २६-२७ का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्रजीत यादव, नत्थी (ग) में आपके दो प्रश्न थे २६-२७। उसमें कुछ गलती हो गई है तो यह दोनों प्रश्न आपके स्थगित समझे जायंगे और आइन्दा इनका जवाब दिया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

यह गलती किस तरह की है जरा बतला दी जाय क्योंकि उत्तर बड़ा साफ मुझे मिल गया है। क्या गलती थी?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न संख्या २६ में यह लिखा है कि क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्म्यू-नियम फैक्ट्री, पिपरी में उत्पादन कार्य कब से प्रारम्भ होने की सम्भावना है और उसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? और इसके बाद प्रश्न संख्या २७ में यह है कि क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त फैक्ट्री ने अब तक रिहन्द बिजली घर से कुल कितने किलोवाट कितने रुपये की बिजली लिया है...., तो यह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रश्न हैं, यह जरा-सी गलती हो गई।

तारांकित प्रश्नों को अतारांकित कर दिये जाने पर आपत्ति

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ प्रश्न दिये थे और उनके ऊपर अपने हाथ से तारांकित प्रश्न लिख कर दिया था लेकिन माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें अतारांकित कर दिया है। मेरा कहना यह है कि अगर वह तारांकित प्रश्न थे तो उनके ऊपर कुछ सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का मेरा अधिकार था, लेकिन अतारांकित कर देने से मेरा वह अधिकार समाप्त हो गया। तो इसकी क्या आप कृपा कर के जांच कराकर मुझे बतायेंगे कि वह अतारांकित क्यों कर दिये?

श्री अध्यक्ष--

भगवानदास जी, वह मंत्री जी का कसूर नहीं है, वह हमारा कसूर है। आप हमसे बात-चीत कर लीजिएगा कि क्यों वह अतारांकित कर दिए गए।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

एक प्रिविलेज का मोशन है माननीय गयाप्रसाद जी मेहरोत्रा का। "माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं दल के अपने कमरे के सामने सदन की ओर जा रहा था तो श्री मिश्र, सब-इंस्पैक्टर ने आ कर मुझको असभ्यतापूर्ण रूप से हटाने की कोशिश की तथा मेरे प्रति अपमानजनक रवैया अपनाया। सदस्यों को सदन के रास्ते में जाने से रोकना सदन के कार्यों में बाधा डालना है। मैं श्री मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पेश करता हूं।

यह मैं विशेषाधिकार समिति के पास भेज रहा हूं इसलिये कि जो बातें कही जा रही हैं वह पूर्ण रूप से उन सब बातों की जांच करके रिपोर्ट करें कि इसमें कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है या नहीं और अगर उठता है तो उसकी क्या सिफारिश है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत कई सूचनाएं आई हैं। एक माननीय रामकिशोर त्रिपाठी की है। आपने चिकित्सालयों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है कि उनमें चिकित्सक नहीं हैं। यह बात तो अभी जब स्वास्थ्य सम्बन्धी बहस, बजट के सम्बन्ध में हुई थी तो इसकी काफी चर्चा हो चुकी है और जो कुछ सरकार के बस में है वह सरकार कर रही है, यह स्पष्ट कर दिया है। इसको मैं नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं करता हूं। यह अविलम्बनीय महत्त्व का विषय भी नहीं मालूम होता है।

एक सूचना माननीय शुकदेवप्रसाद की है। वह मुझे कुछ महत्त्वपूर्ण लगी है। मैं उसको केवल वक्तव्य के लिये माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं। वह यह है कि "गत ८ मार्च को जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा नाविक जल मजदूर सरकारी समिति, कोनी को करमैनी घाट का ठेका एक लिखित आदेश पत्र द्वारा दे दिया गया तथा १५ दिन के अन्दर रुपया जमा कर दिये जाने को कहा गया। सहकारी समिति द्वारा समय के भीतर ही धन जमा कर दिया गया। परन्तु अब सचिव, जिला परिषद् द्वारा उक्त समिति को अकस्मात् सूचित किया गया है कि उक्त ठेका प्रदेशीय सरकार के आदेश से कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि ठेके के कैंसिल करने का आदेश प्रदेशीय सरकार की इच्छानुसार किया गया है अस्तु, जनता में सरकार को सहकारिता विरोधी होने का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। सरकार के इस मनमाने रवैये के प्रति जनता में घोर असन्तोष व्याप्त हो रहा है"।

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

यह विषय विकास मन्त्री से सम्बन्धित है। इसके लिये यदि आप ३ तारीख रख दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष---

३ तारीख को इस पर अपना वक्तव्य दे दीजियेगा।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, आज उस घाट का नीलाम हो रहा है। तब तक के लिये उस नीलाम को रोक दीजिये। उनकी सोसाइटी के साथ नीलाम हो जायगा। फिर उसके बाद वक्तव्य दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना माननीय बालोजी अग्रवाल की है जो मूल्य सूची न टांगने पर हुई कुछ गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में है। अब सुरक्षा कानून के अन्तर्गत मूल्य सूची टांगने के लिये आदेश है कि प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान पर मूल्य सम्बन्धी सूची रखेगा और अगर वह नहीं रखेगा तो उस पर कार्यवाही की जायगी। वह भी मैं माननीय मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं इस विचार से कि वह इसको देख लेंगे और उस पर उचित कार्यवाही कर लेंगे नियम ५२ का विषय नहीं है।

दूसरी सूचना माननीय दीपनारायणसिंह जी की है। उस को भी मैं फार इन्फार्मेशन एण्ड सूटेबिल ऐक्शन के लिए मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं। बहुत से विद्यार्थी चेचक की वजह से

[श्री अध्यक्ष]

इम्तहान नहीं दे पाये। यह मैटर बोर्ड का है। बोर्ड के कुछ नियम हैं। मैं इसको मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं। वह इसके ऊपर उचित कार्यवाही कर लेंगे। अल्मोड़े में ओलाबारी का सवाल जो है वह भी मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, एक नियम ५२ का प्रश्न मेरा भी था।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में डाक्टरों की कमी के बारे में प्रश्न उठाया जाता रहा है और उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि एक हाई पावर कमेटी बैठाई जायगी। वह इस प्रश्न पर विचार कर रही है। आज प्रदेश में ऐसे भी अस्पताल हैं कि जहां ५, ५ वर्षों से डाक्टर नहीं हैं केवल कम्पाउण्डरों से काम चल रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कमी को दूर करने के लिये तत्काल कोई ठोस कदम उठाया जाय और गांव की जनता को जो परेशानी है उसको दूर करने के लिये कोई व्यवस्था तत्काल की जाय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामकिशोर जी, मैं आप से निवेदन कर दूं कि यह प्रश्न कि हमारे बहुत से चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं, यहां कई बार उठ चुका है। माननीय मुख्य मन्त्री ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने बहरहाल कह दिया है कि क्या-क्या उनकी कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये आपने पढ़ा होगा कि क्या-क्या किया जा रहा है। डाक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिये हमारे स्कूल और कालेजों में अधिक संख्या में विद्यार्थी लिये जा रहे हैं। तो यह सब बातें कही गयी हैं और अब दुबारा उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, मैं एक बात एक मिनट में कह दूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय दीपनारायण जी, जो आप ने एक पत्र भेजा है वह मेरे पास .....

श्री दीपनारायणसिंह--

बड़ा प्रभावशाली.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

वह मैं देख रहा हूं। हम सब को उससे हमदर्दी है, सारे सदन को हमदर्दी है।

मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय दीपनारायणसिंह जी ने मुझे एक पत्र भेजा है जो बहुत काफी लम्बा है। उसमें उन्होंने, मैं समझता हूं कि प्राग्दर्शन में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे चेयर का और इस सदन का अवमान होता है और इस वजह से मैं इस पत्र को विशेषाधिकार समिति के पास भेज रहा हूं कि वह इस पत्र पर विचार करे और रिपोर्ट करे कि.....

श्री दीपनारायणसिंह--

मान्यवर, उस पत्र को इस सदन के सामने पढ़ने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

और विशेष रूप से उन्होंने माननीय सदस्य ने, मैंने जो निर्णय दिये हैं, उनके सम्बन्ध में बहुत सी बातें लिखी हैं। एक जगह वे लिखते हैं कि "माननीय श्री उग्रसेन जी सदन की सेवाओं से आपके इंगित किये जाने पर कई दिनों से निलंबित हैं। उनके कार्य को आपने स्वयं और सदन ने भी असंसदीय कह कर निंदित किया है तभी उन्हें निलंबित किया गया है। आपका उनके पत्र पर ही उनके दल को भंग करना, यह बतलाता है कि आपकी मंशा स्वस्थ जनतंत्र व समाजवाद को दृढ़तर होने देने की नहीं है और आप जिस प्रकार सदन के सामने अपनी दी गई व्यवस्थाओं को बदलने के लिये हमारे प्रस्तावों को भी आने न देने की अब तक प्रणाली को चलाये जा रहे हैं और अपने गलत निर्णयों को इस सदन के द्वारा खंडित या परिवर्तित कराये जाने की संसदीय प्रणाली को निरस्त किए हुए हैं उसी प्रकार आप माननीय श्री उग्रसेन जी के निजी निर्णय को उनके संयुक्त समाजवादी दल के ऊपर जबर्दस्ती थोपने में अत्यन्त सहायक व बल देने वाली व्यवस्था को दे कर जनतंत्र की परम्पराओं को सदा के लिये विनष्ट कर रहे हैं।" इस प्रकार के आरोप कई जगह हैं। मैं इसको भेज रहा हूं ताकि उक्त समिति इस पर विचार करे।

श्री दीपनारायणसिंह---

चूंकि मेरी अपील को आप अध्यक्ष के आसन पर होने के कारण.....

श्री अध्यक्ष---

आपको जो कुछ कहना हो, वह आप को विशेषाधिकार समिति के सामने कहना चाहिये।

श्री दीपनारायणसिंह---

मैं अभियुक्त बनाया गया हूं आप के द्वारा तो मेरा एक्सप्लेनेशन भी आप के सामने और सदन के सामने आना चाहिये। सिर्फ मेरे पत्र को पढ़ने से काम नहीं चल सकता।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समिति के सामने जावें और वहीं कहें।

श्री दीपनारायणसिंह---

आप भेज रहे हैं कोर्ट के सामने तो फिर मेरा पूरा पत्र पढ़ा जाय। अगर मुझमें आपसे अपील करने के भी अधिकार रखने की क्षमता नहीं है तो मुझे आप से आपके निर्णयों को बदलने के लिये अपील सदन के सामने करने का तो अधिकार है ही।

श्री अध्यक्ष---

आप बहीं जाइये। माननीय दीपनाराण जी, आप उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं जिनको आपने अपने पत्र में लिखा है। आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह---

आप पूरा पत्र भी नहीं पढ़ते और न मुझे मौका देते हैं अपनी बात सदन को सुनाने का तो क्या आप इस तरह से संसदीय प्रथा को और प्रजातंत्र की रक्षा कर सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

देखिये, दीपनारायण सिंह जी, या तो आप बैठ जाइये या फिर सदन छोड़ दीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह---

आप मुझे अभियुक्त बना रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष---

दीपनारायण जी, आप नहीं बैठते हैं तो आप सदन को छोड़िये।

श्री दीपनारायणसिंह---

यानी आप से निवेदन भी न करूं।

श्री अध्यक्ष--

आप सदन को छोड़ रहे हैं या नहीं ?

श्री दीपनारायणसिंह--

मैं सदन को छोड़ तो रहा हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं साफ-साफ कि आप अधिनायकवाद को पनपा रहे हैं। नेहरू जी जिस जनतंत्र को इस देश में लाना चाहते हैं आप उस जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं।

(इसके उपरान्त श्री दीपनारायणसिंह सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। श्रीमन्, हमारे जो नियम बने हुये हैं सदन के उनके अन्तर्गत कोई भी प्रिविलेज मोशन जो आप ऐडमिट करें प्राइमाफेसी केस में, तो आप को सदन के समक्ष उसको रखना पड़ेगा। या तो आप उस प्रश्न को उन्होंने उठाया था, जो पत्र उन्होंने आप को लिखा था और सदन को उसके जरिये से अपील की थी, उसको स्वयं डिस एलाऊ कर देते और नहीं ऐडमिट कर लिया है तो सदन के सामने उस पत्र को पूरा पढ़ना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--

मैंने वह पोर्शन्स तो पढ़े।

श्री नेकराम शर्मा--

न्याय तो यह है कि या तो आप डिस एलाऊ करते या फिर अगर आप कमेटी के सुपुर्द करते हैं तो उस पत्र को सदन के समक्ष पढ़ना चाहिये था। उसके बाद यह कहते कि यह प्राइमाफेसी केस बन गया है।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, जो पोर्शन आक्षेपनीय थे वह मैंने पढ़े। सारा पढ़ने से लाभ नहीं है। सारा देखना चाहें तो देख लीजियेगा। एक आक्षेपनीय अंश वह है जो मैंने आप के सामने रखा। अब विशेषरूप से एक स्थान पर आया है जो आक्षेपनीय है कि "इस कार्य को आप गद्दार" भी नहीं कहते। कल जो उन्होंने "गद्दार" कहा था उसके लिये मैंने उनसे कहा था कि इसको आप वापस लीजिये। इस पर उन्होंने कहा "हर जिम्मेदार व्यक्ति आपके उक्त निर्णयों के कारण निकलने को विवश है क्योंकि आप की दृष्टि में किसी दल विशेष का नेता दल विशेष के बहुमत की राय की उपेक्षा करके यदि अपने दल को भंग करने की घोषणा करता है तो उसके उस कार्य को आप "गद्दारी" का कार्य नहीं कहते बल्कि अपने निर्णयों द्वारा पुरस्कृत करते हैं।" यह सब बातें हैं उसमें.....

श्री नेकराम शर्मा--

नहीं यह अपील है। आप इसको डिसएलाऊ कर देते। यह आपकी व्यवस्थाओं के विरोध में एक सेंसीबिल प्वाइंट है। अपनी जो व्यवस्थायें हो सकती हैं उनके लिये दीपनारायण जी ने सदन में अपील की। या तो आप उस अपील को सदन में न लाते, स्वयं अस्वीकार कर देते। लेकिन आप ने इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया। उस समय सदन के सामने आना चाहिये था क्योंकि पहले तो प्रश्न यही आ सकता है कि आया यह विशेषाधिकार समिति के रूबरू आप पेश करते भी या नहीं और हाउस इसकी जांच करता कि ऐसा प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सामने जा भी सकता है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

देखिये, नियम ३१८ में मेरे निर्णयो के सम्बन्ध में कोई बहस नहीं हो सकती अगर कोई व्यक्ति हमारे पास इस बात की आपत्ति भेजता है और उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो स्पीकर के करेक्टर और कण्डक्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन करता हो तो वह केवल इस नियम को हो

भंग नहीं करता उस से सदन का अवमान भी होता है। मैं तो उस नियम के अन्तर्गत कह सकता हूं कि अब इस पर बहस नहीं हो सकती है लेकिन, अगर उस को लेकर कोई आपत्ति ऐसी कर देता है जो रिफ्लेक्शन चेयर पर हो तो वह प्राग्दर्शन में अवमान विशेषाधिकार का विषय बन जाता है और मैं उसको विशेषाधिकार के रूप में लेकर भेज सकता हूं। यह मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में भी है और हमारे नियमों में भी है।

श्री नेकराम शर्मा---

आप की व्यवस्था से मैं सहमत हूं लेकिन आप सोचिये अगर उसमें आपके खिलाफ चार्जेज हैं और कमेटी ने उसको एक्जामिन करके सदन के सामने कुछ आप के ही विरुद्ध पेश कर दिया तब ऐसी सूरत में क्या होगा।

श्री अध्यक्ष---

अगर कमेटी कर सकती है और कह देगी तो मैं रिजाइन कर दूंगा।

श्री रामकिशोर वर्मा के कांग्रेस दल में सम्मिलित होने की सूचना समाचार-पत्रों द्वारा प्रकाशित किये जाने पर आपत्ति

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि रामकिशोर वर्मा, फतेहपुर वाले सदन के सदस्य हैं। उनके बारे में प्रेस में बराबर रिपोर्टें आ रही हैं कि वह कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस महासमिति ने उन्हें लेने का अधिकार प्रान्तीय समिति को दे दिया है, यह भी लिखा जा रहा है। उनका कहना यह है कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं कांग्रेस में शामिल होऊं और मेरे लिये यह मानहानि का सवाल है। तो आप कृपया इस विषय पर प्रेस को आदेश दे दीजिए या उनको सुन लीजिए कि उन्हें क्या शिकायत है ताकि इस किस्म की कार्यवाही सदन में न आ सके।

लघु उद्योग मन्त्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)---

इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य में इतनी शक्ति और अधिकार है कि वह अपनी भावना व्यक्त कर सके। मैं समझता हूं कि किसी दूसरे को वकालत के लिये नहीं आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, उनको यह सुझाव देने की क्या जरूरत है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अखबार में क्या छपता है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कौन उसे छपवाता है और भेजता है, यह उसकी जिम्मेदारी है.....

(व्यवधान)

जो सूचना मिली है माननीय सूचना मन्त्री जी से, वह मैंने इस सदन के समक्ष रख दी। आप के सम्बन्ध में न कोई सूचना दी गई है और न मिली। अखबार में अगर छप रहा है और आप समझते हैं कि मानहानि है तो उसकी सदन के बाहर जो उचित कार्यवाही समझें आप करें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

श्रीमन्, आप प्रिविलेज मोशन का रिकर्ड करा लीजिये। कुछ माननीय सदस्य खुद ही कहने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। वाकयात यह है कि मेरा नाम समाचार-पत्रों में.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

संक्षेप में आप कहिये।

श्री रामकिशोर वर्मा--

मैं संक्षेप में कहूंगा ताकि वह बात स्पष्ट हो जाय। समाचार-पत्रों में दिया गया, तो मैंने उसका प्रतिवाद कर दिया, दोबारा जब समाचार-पत्रों में आया तो मैंने माननीय नवलकिशोर जी से कहा कि यद्यपि मैं कांग्रेस की नीतियों में आस्था रखता हूं और उसके सिद्धान्तों तथा आदर्शों पर विश्वास करता हूं तथापि मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ हूं। न मैंने कुछ लिखा है। जब वह समाचार-पत्रों में दिया गया है, तो मैं आप के द्वारा कांग्रेस दल से और माननीय गुप्ता जी से तथा सारे सदन से यह कहता हूं कि मुझे उसमें घसीटा न जाय और मैं निर्दलीय सदस्य के रूप में हूं।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

श्रीमन्, मैं माननीय नवलकिशोर जी और माननीय बनारसीदास जी के खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस देता हूं। आप जबानी ले लें लिखित बाद में दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने वक्तव्य दिया है।

(व्यवधान)

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---

श्रीमन्, माननीय रामकिशोर जी के बारे में जो आपने व्यवस्था दी, मैं यह निवेदन कर दूं कि उन्होंने कई महीने पहले लिखित अपने हस्ताक्षरों सहित यह दिया था। उनका विश्वास कांग्रेस की नीतियों में पूर्णतया है और वह कांग्रेस का समर्थन करते हैं। उसमें यह था। उसके बाद पत्र में किसने दिया, यह पता नहीं। अगर वह वास्तव में नियमानुसार शरीक होते, तो उसकी सूचना आप को दी जाती। अब वह नहीं आना चाहते, इसलिये वह आप को नहीं दिया गया।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर वर्मा--

श्रीमन्, माननीय सूचना मन्त्री जी ने गलत सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायें और शांत रहें।

श्री रामकिशोर वर्मा--

श्रीमन्, वाकयात यह है कि माननीय सूचना मन्त्री जी ने मुझे अपने कमरे म बुलाकर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आप कह लीजियेगा। आप जरा शांत हो कर बैठ जायं।

एक सदस्य—

श्रीमन्, माननीया श्रद्धाजी उधर बैठी है।

श्री अध्यक्ष—

आपने एक बात ऐसी छेड़ी जिसका कि इस सदन से कोई सम्बन्ध नहीं था। आपने समाचार-पत्रों में छपी हुई कुछ बातों का यहां उल्लेख किया और आपने यह कहा कि मैंने निश्चित रूप से माननीय नवल किशोर को लिखकर भेजा कि मैं नहीं शामिल होना चाहता। उसका एक्सप्लेनेशन उनके लिये आवश्यक हो गया कि आपने किसी समय में इच्छा प्रकट की थी इस वक्त नहीं है तो नहीं सही।

श्री बनारसीदास—

उन्होंने लिखकर दिया था।

श्री रामकिशोर वर्मा—

मैंने इस तरह की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की।

रायबरेली-डलमऊ मार्ग पर बड़ी शारदा नहर कट जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

२२ मार्च, १९६३ को लगभग रात एक बजे मील ५८–७–३०० पर पुरवा शाखा बाहिने किनारे पर टूट गयी। पुरवा शाखा की क्षमता १,२०० क्यूसेक्स है। नहर के किनारे का कट जाना सम्भवतः जमीन खोदने वाले जानवरों के कारण हुआ।

श्री अध्यक्ष—

सदन में जरा शांति रहे।

एक सदस्य—

त्रिपाठी जी को डांट रही हैं श्रद्धा जी, इधर बैठी हैं।

श्री अध्यक्ष—

उन्हें अधिकार होगा।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस घटना की सूचना लगभग डेढ़ बजे रात्रि को ओवरसियर को मिली जो कि घटनास्थल से पांच मील दूर गोबिन्दपुर इंस्पेक्शन हाउस में था। सहायक अभियंता को, जो घटनास्थल से १७ मील दूर रामगढ़ इंस्पेक्शन हाउस में थे इसकी सूचना सुबह ६ बजे मिली। अधिशासी अभियंता को जो कि ६५ मील की दूरी पर इंस्पेक्शन हाउस में ठहरे हुये थे। इसकी सूचना उसी दिन दोपहर में मिली। उसी दिन २ बजे नहर की मरम्मत कर दी गयी। नहर के पानी का जोर कम करने के लिये ५०० क्यूसेक्स की क्षमता का एक एस्केप ३–३० बजे रात में ही खोल दिया गया। इसके अलावा और अन्य प्रणालियों द्वारा ३०० क्यूसेक्स क्षमता के जल का वेग कम किया गया। सुबह नौ बजे तक इन सब उपायों का प्रभाव घटनास्थल पर मालूम पड़ा।

[डाक्टर रामनारायण पांडेय]

इस कटाव से सराय दिलावर गांव में ३८ कच्चे मकान और डलमऊ मजरा गांव में एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुए। लगभग २० एकड़ भूमि में खड़ी फसल को नुकसान हुआ।

अनुमानित क्षति लगभग ७,००० रुपये की है।

मैंने स्वयं मौके की जांच की और क्षतिग्रस्त लोगों से बात करके सांत्वना दी। उनको आश्वस्त किया और वे अब संतुष्ट हैं इस समय।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

वक्तव्य से इतना तो सिद्ध हो गया है कि ३८ मकान गिरे हैं मुझे कुछ उससे अधिक की सूचना है, हो सकता है वह गलत हो....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्रद्धा जी, प्लीज।

कुंवर श्रीपालसिंह—

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मकान गिरे हैं उनके लिये सरकार की तरफ से कोई मुआवजा दिया जा रहा है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उनको मुआवजा बहुत जल्दी ही जब तक माननीय सदस्य उसकी जांच करने के लिये पहुंचें, तब तक सब दिया जा चुका होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

कितना दिया जा रहा है? मुझे इत्तला है कि ४–६ रुपया एक-एक मकान का दिया जा रहा है। ४–६ रुपये में कौन मकान बना सकता है?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, जांच हुई और तखमीना हुआ कि ७,००० रुपये का नुक्सान है फसल और मकान का। अब जिसका जैसा नुक्सान हुआ है उसके लिहाज से उसका मुआवजा बांटा जायगा।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

७ लाख के करीब का यह नुक्सान हुआ है। इसमें से कितना रुपया मुआवजे के रूप में माननीय मंत्री जी की ओर से दिया जा रहा है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

हम पाई-पाई जिसका जितना नुक्सान हुआ है वह देंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जमीन खोदने वाले जानवर कौन हैं और जांच कैसे हुई तथा वह पटरी कितनी चौड़ी है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मैंने पहले निवेदन किया कि उसको किसी ने देखा नहीं। हुआ यह है कि चूहे इत्यादि वहां बिल बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, वह वहां अपने बिल खोदते और अन्दर ही अन्दर जमीन खोदते रहे। खोदते-खोदते एक अर्सा ऐसा आता है कि गीली जमीन तक आ जाते हैं और उधर से पानी बह निकलता है, जिसके कारण यह सब हुआ।

श्री महावीरप्रसाद (जिला रायबरेली)—

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र का मामला है। मुझे २५ तारीख को इसकी रिपोर्ट मिली। २२ की रात की यह घटना है। तो मैंने फौरन सिंचाई मंत्री जी को लिखित सूचना दी। मैं यह पूंछ रहा हूं कि वे जांच के लिये किस समय यहां से रवाना हुये और वहां किस समय पहुंचे तथा वहां क्या-क्या देखा ?

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं एक बात पहले कह दूं, आपने जो कहा कि आपने पहले इत्तिला दे दी थी, अगर ऐसा है तो नियम ५२ का जब मैंने प्रस्ताव दिया तो फिर ३ दिन का समय और लेने की क्या जरूरत थी मंत्री जी को ?

श्री राममूर्ति—

मैं पहले कुंवर श्रीपालसिंह जी की शंका दूर कर दूं। यह सही है कि मुझे पहले कुंवर श्रीपालसिंह जी की सूचना मिली और जब आपके जरिये इत्तिला मिली तो उसके बाद पांडेय जी ने भी यही कहा कि ऐसा वाकया हो गया है। तो मैंने डिप्टी मिनिस्टर साहब से कहा कि वे खुद जाकर देखें ताकि वाकयात मालूम हो जायं। अब जो उन्होंने देखा उसको उन्होंने बता दिया है। वैसे पांडेय जी के यहां के लोग तो बड़े सीधे हैं, पर वहां के चूहे बड़े शरारती हैं। अब कोशिश यही की जा रही है कि जिसका नुकसान हुआ है उसको पूरा कर दिया जाय।

लोक-लेखा समिति में १९६३–६४ के लिए विधान परिषद् के ५ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

म प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के पांच सदस्यों को विधान सभा की लोक लेखा समिति में १९६३–६४ के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे पांच सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करें।

श्री टम्मेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह प्रश्न अगले वर्ष के लिये डाक्टर साहब क्यों पेश कर रहे हैं, क्या यह उनको अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—

जो भी वर्त्तमान सभापति होगा, वह प्रस्तुत करेगा। यह आर्डर में है।

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के पांच सदस्यों को विधान सभा की लोक-लेखा समिति में १९६३–६४ के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे पांच सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

समाजवादी संयुक्त दल को मान्यता देने के सम्बन्ध में श्री होरीलाल यादव का पत्र

श्री अध्यक्ष—

मुझे कुछ निवेदन करना है। अभी इस सदन में जब मैं आ रहा था तो माननीय होरीलाल जी द्वारा मुझे एक सूचना मिली। उसमें उन्होंने लिखा है कि "दिनांक २६–३–६३ को

[श्री अध्यक्ष]

जो मीटिंग समाजवादी संयुक्त दल की हुई है, उसके प्रस्ताव तथा संविधान की प्रतिलिपि आपकी सेवा में उचित कार्यवाही हेतु भेज रहा हूं। उक्त विधान पर माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। आशा है आप इसे सदन में पढ़कर सुनायेंगे तथा मान्यता को देने की घोषणा करेंगे। जो सदस्य निलम्बित होने के कारण नहीं आ पाये हैं, उनकी लिस्ट बाद में आने पर भेज दी जायगी।

मैंने शुरू में ही इस सदन में यह घोषित किया था कि संयुक्त समाजवादी दल का मैं स्वागत करता हूं। अब इसको पढ़ने के बाद, उस पर शांतिपूर्वक विचार करके, निर्णय लूंगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

उस पर दस्तखत करने वालों का टोटल नम्बर क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

उसमें ३१ नाम हैं।

श्री जेड०ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरी दरख्वास्त है कि इस रिप्रेजेन्टेशन पर आप जल्दी फैसला ले लें।

श्री अध्यक्ष—

बहुत जल्दी। अगर वे अपना लीडर चुन लेते तो बहुत अच्छा होता। मेरी कठिनाई यह है कि माननीय उग्रसेन जी सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे और बाद में संयुक्त समाजवादी पार्टी के भी थे। उन्होंने एक आथारिटी के साथ एक बात मुझे लिखी। अब मैं उनकी बात सुनूं अथवा दूसरों की बात सुनूं। यहां पर लीडर कौन है इसका पता नहीं चलता। होरीलाल जी मंत्री हैं, लेकिन लीडर का पता नहीं है। इसलिये अगर कोई आथारिटेटिव बात होती तो अच्छा था ताकि वह इसकी जिम्मेदारी भी ले सकता।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

मालूम होता है अभी तय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने आपसे कह दिया और पहले भी मैंने यही कहा था कि मैं इसका स्वागत करता हूं कि जितनी कम पार्टियां हमारे यहां हों वह अच्छा है।

श्री जेड० ए० अहमद—

जब वे अपने नेता को चुन कर आपके पास भेज देंगे तो आप उस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जरूर कर लूंगा।

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

खंड २–१५

परिभाषायें

२––विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में––

(१) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जिसे योजना के कार्यान्वय से लाभ हुआ हो या होने की सम्भावना हो, "लाभग्राही" का तात्पर्य––

(क) भूमिधर या सीरदार द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में, उस भूमिधर या सीरदार से है ; और

(ख) किसी अन्य सम्बन्ध में, भूमि के ऐसे स्वामी, धारक या अध्यासी से है, जिसे भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि में उसके हित के प्रकार और योजना के कार्यान्वय से भूमि को हुये या सम्भावित लाभों को दृष्टि में रखकर, नियत रीति से लाभग्राही घोषित करे और उसके अन्तर्गत लाभग्राही के हित उत्तराधिकारी भी हैं;

(२) "भूमि संरक्षण अधिकारी" का तात्पर्य धारा ८ के अधीन नियुक्त अधिकारी से है ;

(३) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड से है;

(४) "सभापति" का तात्पर्य बोर्ड के सभापति से है;

(५) सिवाय धारा ६ के प्रयोजनों के लिये, "कलेक्टर" के अन्तर्गत अपर कलेक्टर भी है;

(६) "आयुक्त" के अन्तर्गत अपर आयुक्त भी है ;

(७) "निदेशक" का तात्पर्य कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इस अन्तर्गत अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, भी है ;

उ० प्र० अधि-नियम संख्या ३३, १९६१

(८) "खंड" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जो उत्तर प्रदेश, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा ३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में निर्दिष्ट किया जाये;

(९) "योजना" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना से है ;

(१०) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(११) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम की अनुसूची से है;

(१२) "भूमि एवं जल संरक्षण" का तात्पर्य भूमि एवं जल साधनों के उद्धार, अनुरक्षण तथा सुधार से है और द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक उपाय इसके अन्तर्गत है;

(१३) "सचिव" का तात्पर्य बोर्ड के सचिव से है ;

(१४) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(१५) "कार्य" का तात्पर्य योजना के अधीन किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य से है और इसके अन्तर्गत योजना के अधीन व्यवस्थित या लगाया गया पशुचर अथवा वन भी है ;

(१६) "जिला समिति" का तात्पर्य धारा ६ के अधीन स्थापित जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति से है ;

(१७) पद "भूमिधर" और "सीरदार" के वही अर्थ होंगे जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिये गये हैं। १९५१ ई० का उ० प्र० अधिनियम संख्या १

बोर्ड की स्थापना और उसका संघटन

३—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, राज्य के लिये एक भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी।

(२) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

(क) कृषि विभाग के प्रभारी मंत्री, जो सभापति भी होंगे;

(ख) उप मंत्रियों और सभा सचिवों में से तीन से अनधिक जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी;

(ग) राज्य सरकार के कृषि विभाग के सचिव;

(घ) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, जो सचिव भी होंगे;

(ङ) विधान-सभा के चार सदस्य और विधान-परिषद् के दो सदस्य, जिन्हें, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् चुनेगी;

(च) पांच से अनधिक सदस्य जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी; और

(छ) पांच से अनधिक सदस्य जिन्हें खंड (क) से (च) तक में उल्लिखित सदस्य अनुमेलित करेंगे।

सदस्यों का कार्यकाल

४—(१) धारा ३ की उप-धारा (२) के खण्ड (च) या खण्ड (छ) में उल्लिखित सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(२) यदि कोई सदस्य उस पद पर न रहे जिसके कारण वह बोर्ड की सदस्यता का पात्र हुआ हो, तो वह सदस्य न रहेगा।

बोर्ड के कृत्य

५—बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(क) भूमि एवं जल संरक्षण के लिये नीतियां निर्धारित करना;

(ख) योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों के समन्वय के और उनके सम्बन्ध में कठिनाइयां दूर करने के उपाय और साधन निकालना;

(ग) योजनाओं के अन्तर्गत की गयी प्रगति की समीक्षा करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायं।

जिला समितियों की स्थापना और उनका संघटन

६—(१) प्रत्येक जिले के लिये नियत रीति से एक जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति स्थापित की जायेगी।

(२) जिला समिति में निम्नलिखित होंगे:—

(क) कलेक्टर, जो उसका सभापति भी होगा;

(ख) अन्तरिम जिला परिषद् या जिला परिषद् का अध्यक्ष;

(खख) विधान सभा के सदस्य जिनके निर्वाचन-क्षेत्र में जिले का कोई भाग सम्मिलित हो;

(ग) जिले में नियोजन विभाग के कार्य का प्रभारी अधिकारी;

(घ) जिला कृषि अधिकारी;

(ङ) भूमि संरक्षण अधिकारी, जो जिला समिति का सचिव भी होगा;

(च) जिले या उसके किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता;

(छ) जिले या उसके किसी भाग में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले प्रभागीय वन अधिकारी (डिवीजनल फारेस्ट आफीसर्स);

(ज) जिले की क्षेत्र समितियों के प्रमुख; और

(झ) कलेक्टर द्वारा प्रतिवर्ष नियुक्त किया जाने वाला एक से अनधिक ऐसा व्यक्ति जो भूमि एवं जल संरक्षण में अभिरुचि रखता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि विधान सभा के सदस्य, अधिशासी अभियंता, प्रभागीय वन अधिकारी या प्रमुख को जिला समिति की केवल उन कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा जिनका संबंध, यथास्थिति, किसी ऐसे क्षेत्र की योजना से हो, जिससे वह उक्त सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो या जिस पर वह उक्त अभियंता, अधिकारी या प्रमुख के रूप में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो ।

(३) जिला समिति की सदस्यता या उसकी किसी कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से संबंधित किसी विवाद का निर्णय उसके सभापति द्वारा किया जायेगा जिसका उस विषय में निर्णय अंतिम होगा ।

जिला समिति के कृत्य

७—जिला समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) भूमि एवं जल संरक्षण कार्य में लोगों को शिक्षित करने के लिये कार्यवाही करना;

(ख) जिले या उसके किसी भाग का सर्वेक्षण करने, आधार सामग्री एकत्र करने तथा योजनाएं तैयार करने और तत्संबंधी आनुषंगिक कृत्यों का सम्पादन करने के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी को निदेश देना ;

(ग) इस प्रकार तैयार की गयी योजनाओं पर विचार और उनका अनुमोदन करना;

(घ) योजनाओं के यथोचित कार्यान्वय को सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करना और तदधीन कार्य की प्रगति देखते रहना ;

(ङ) योजनाओं का दक्षतापूर्ण कार्यान्वय सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार से सिफारिशें करना;

(च) योजना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों का पालन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायें।

भूमि संरक्षण अधिकारी

८—(१) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिये एक भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक जिलों के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है या एक ही जिले में एक से अधिक व्यक्ति भूमि संरक्षण अधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं ।

(२) भूमि संरक्षण अधिकारी योजनाओं को कार्यान्वित करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन निर्दिष्ट किये जायें ।

भूमि एवं जल संरक्षण योजना तैयार करना

९—(१) जिला समिति यह संकल्प कर सकती है, और यदि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का निदेश दिया जाये तो वह अवश्य ऐसा संकल्प करेगी, कि जिले या उसके किसी भाग में भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य हाथ में लिया जाये।

(२) उपधारा (१) के अधीन जिला समिति के संकल्प पर भूमि संरक्षण अधिकारी एक प्रारूप योजना तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी होंगी—

(क) योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार और उसके ब्यौरे;

(ख) प्रस्तावित कार्य के ब्यौरे ;

(ग) योजना के कार्यान्वय का कार्यक्रम;

(गग) कार्य जो किसी लाभग्राही द्वारा अपने व्यय से किया जायेगा;

(घ) योजना के कार्यान्वय के उपाय और साधन, जिनमें प्राप्य सरकारी अनुदान का भी ध्यान रखा जायेगा;

(ङ) अभिकरण, जिसके या जिनके द्वारा कार्य किया जायेगा ; और

(च) ऐसे अन्य विवरण जो नियत किये जायं।

(३) किसी कार्य को अपने व्यय से करने का उत्तरदायित्व लाभग्राही पर डालने में उस कार्य से उसकी भूमि को होने वाले या सम्भावित लाभों का ध्यान रखा जायेगा।

योजना पर विचार और उसका अनुमोदन

१०—(१) प्रारूप योजना जिला समिति के समक्ष रखी जायेगी जो उस पर विचार करेगी और उपधारा (२) तथा (३) के अधीन उसे प्रकाशित करने की आज्ञा देगी।

(२) जिला समिति द्वारा प्रकाशन की आज्ञा दी जाने पर, भूमि संरक्षण अधिकारी नियत प्रपत्र में एक नोटिस तैयार करेगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि योजना कहां और किस समय सर्वसाधारण द्वारा निःशुल्क देखी जा सकती है। नोटिस का प्रकाशन, कलेक्टर, भूमि संरक्षण अधिकारी, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी के कार्यालयों में चिपका कर किया जायेगा। वह उस गांव या उन गांवों में जिनके संबंध में प्रारूप योजना हो, डुग्गी पिटवाकर भी प्रकाशित किया जायेगा।

(३) प्रारूप योजना की एक प्रति उस खंड की कृषि एवं उत्पादन समिति को भेजी जायेगी जिसमें कार्य किया जायेगा। समिति एक विशेष बैठक में, जो उक्त प्रयोजन के लिये बुलायी जाये, योजना पर विचार करेगी और प्रारूप योजना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप मे ऐसी आपत्तियां भेज सकती है जो वह आवश्यक समझे।

(४) उपधारा (२) के अधीन नोटिस के प्रकाशित होने पर कोई भी व्यक्ति जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, डुग्गी पीटकर प्रकाशन किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप में आपत्तियां भेज सकता है।

(५) यदि अनुमत समय के भीतर उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन कोई आपत्ति न की जाये, तो यथा प्रकाशित योजना अंतिम हो जायगी।

(६) यदि अनुमत समय के भीतर उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कोई आपत्ति की जाये, तो भूमि संरक्षण अधिकारी नियत रीति से उसकी सुनवाई करेगा और आपत्तियों सहित अपना प्रतिवेदन जिला समिति को प्रस्तुत करेगा।

(७) आपत्तियों और उपधारा (६) के अधीन प्रस्तुत प्रतिवेदन पर तथा किसी अन्य ऐसे प्रतिवेदन पर जिसके भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने की वह अपेक्षा करे, विचार करने के पश्चात् जिला समिति योजना को परिष्कार सहित या बिना किसी परिष्कार के अनुमोदित कर सकती है और इस प्रकार अनुमोदित योजना अंतिम हो जायेगी।

योजना का प्राविधिक पहलू

११—(१) निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिला समिति की प्रत्येक ऐसी बैठक में उपस्थित रहेगा जिसमें प्रारूप योजना के संबंध में आपत्ति विचाराधीन हो।

(२) धारा १० की उपधारा (७) में किसी बात के होते हुए भी, जिला समिति, निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति की सहमति के बिना कोई ऐसा परिष्कार न करेगी जिससे कि प्रारूप योजना के प्राविधिक पहलू पर कोई प्रभाव पड़े।

(३) किसी परिष्कार से प्रारूप योजना के प्राविधिक पहलू पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय जिला समिति के सभापति द्वारा किया जायेगा।

योजना का प्रकाशन

१२—योजना के अंतिम हो जाने के पश्चात्, भूमि-संरक्षण अधिकारी, नियत रीति से एक सामान्य नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें यह सूचना दी जायेगी कि योजना अंतिम हो गयी है और नोटिस में उल्लिखित स्थान पर सर्वसाधारण द्वारा वह निःशुल्क देखी जा सकती है।

योजना में अनुवर्ती परिवर्तन तथा भूल सुधार

१३—धारा १० में किसी बात के होते हुये भी —

(१) निदेशक, योजना में ऐसे छोटे-मोटे परिवर्तन कर सकता है जो किन्हीं अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण भूमि में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप किसी भी समय आवश्यक हो जायें :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा परिवर्तन जो किसी लाभग्राही के प्रतिकूल हो, उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना न किया जायेगा।

(२) यदि भूमि संरक्षण अधिकारी का समाधान हो जाये कि योजना में कोई लिपिक या गणना संबंधी भूल है तो वह उसे, स्वतः अथवा हित रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र देने पर, नियत रीति से सुधार सकता है।

भूमि पर अस्थायी कब्जा करने के लिये आज्ञा

१४—(१) यदि कलेक्टर का यह समाधान हो जाये कि योजना के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ यह आवश्यक है, कि किसी भूमि पर अस्थायी कब्जा कर लिया जाये तो वह आज्ञा द्वारा, भूमि संरक्षण अधिकारी को पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाये, उस भूमि पर अस्थायी कब्जा करने का निदेश दे सकता है।

(२) कलेक्टर, आज्ञा द्वारा, समय-समय पर अस्थायी कब्जे की अवधि बढ़ा सकता है, किन्तु अस्थायी कब्जे की अवधि किसी भी दशा में, कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक की न होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ "भूमि" के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि नहीं है जिस पर कोई स्थायी प्रकार का भवन हो।

भूमि पर कब्जा करना

१५—भूमि संरक्षण अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी धारा १४ के अधीन आज्ञा के अनुसरण में भूमि पर अस्थायी कब्जा कर लेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि कब्जा करने के दिनांक तथा अभिप्राय को, उक्त दिनांक से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व नियत रीति से विज्ञापित किये बिना कब्जा न किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

खंड २ से १५ तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २ से १५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६–१७

कब्जे की अवधि का प्रतिकर।

१६—(१) भूमि पर कब्जा करने के दिनांक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, कलेक्टर जांच करेगा और प्रत्येक ऐसे वर्ष या वर्ष के भाग के लिये, जिसमें भूमि उक्त अस्थायी कब्जे में रहे, देय प्रतिकर और उसे पाने के हकदार व्यक्ति का अवधारण करेगा।

(१-क) प्रतिकर एवं उसके पाने के हकदार व्यक्ति के अवधारण के प्रयोजन से कलेक्टर नियत रीति से एवं नियत प्रपत्र में एक सामान्य नोटिस जारी करेगा जिसमें सम्बद्ध व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे अपने दावे नोटिस में निश्चित दिनांक तक तथा नियत रीति से प्रस्तुत करें :

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर कारण अभिलिखित करके उक्त दिनांक को आगे के लिये बढ़ा सकता है।

(१-ख) कलेक्टर दावों की सुनवाई के लिये एक दिनांक भी निश्चित करेगा और उस दिनांक पर, या यदि सुनवाई किसी अन्य दिनांक के लिये स्थगित हो जाये तो उस अन्य दिनांक पर वह ऐसा सब साक्ष्य सुनेगा जो किसी दावेदार के द्वारा प्रस्तुत किया जाये तथा वह अन्य ऐसा साक्ष्य भी ले सकता है जो वह आवश्यक समझे।

(१-ग) प्रतिकर एवं उसके पाने के हकदार व्यक्तियों के अवधारण के लिये कलेक्टर को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये बाध्य करना अथवा किसी का शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर बयान लेना ;

(ख) किसी साक्षी का बयान लेने के लिये अथवा स्थानीय जांच के लिये कमीशन जारी करना ;

(ग) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना;

(घ) ऐसी अन्तरिम आज्ञायें देना जो न्याय की वृष्टि से आवश्यक हों।

(२) प्रतिकर का अवधारण करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जायेगा:—

(क) अस्थायी कब्जा किये जाने के दिनांक से ठीक तीन वर्ष पूर्व की अवधि में भूमि से प्राप्त शुद्ध औसत वार्षिक आय और उस भूमि के विषय में जिसकी कोई ऐसी आय न हो उक्त अवधि में, उस स्थान की उसी प्रकार की अन्य भूमि से प्राप्त शुद्ध औसत वार्षिक आय, यदि कोई हो;

(ख) कब्जा-च्युत किये जाने के परिणामस्वरूप व्यक्ति को हुई क्षति, यदि कोई हो ;

(ग) भूमि को हुई या सम्भावित क्षति, यदि कोई हो; और

(घ) ऐसी अन्य बातें जो कलेक्टर को उक्त अवधारण के प्रयोजनों के लिये संगत प्रतीत हों।

(३) उपधारा (१) के अधीन किये गये अवधारण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उस अवधारण के दिनांक से तीस दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है, जो उस पर ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

(३-क) यदि आयुक्त का समाधान हो जाये कि तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न किये जाने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है।

(४) इस प्रकार अवधारित प्रतिकर का भुगतान उस व्यक्ति को वार्षिक किस्तों के रूप में नगदी में किया जायेगा जो इस धारा के अधीन उसका हकदार पाया जाये और ऐसा भुगतान कर दिये जाने पर राज्य सरकार तथा उसके अधिकारी उस अवधि के प्रतिकर के सम्पूर्ण दायित्व से अंतिम तथा पूर्ण रूप से उन्मुक्त हो जायेंगे जिसके संबंध में भुगतान किया गया हो, किन्तु इससे किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिकर पाने के उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसे वह यथोचित विधि-प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे इस अधिनियम के अधीन भुगतान किया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो ।

कब्जे की वापसी

१७—(१) जब भूमि से अस्थायी कब्जा हटाना हो, और किसी भी दशा में अस्थायी कब्जे के लिये निश्चित अवधि की समाप्ति के पूर्व, कलेक्टर, नियत रीति से जांच करने के पश्चात्, लिखित आज्ञा द्वारा—

(क) यह अवधारित करेगा कि किस व्यक्ति को कब्जा वापस करना है ; और

(ख) यह घोषित करेगा कि उसे भूमि का कब्जा उस दिनांक को वापस किया जायेगा, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किया जाये।

(२) उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक को भूमि का कब्जा उसमें उल्लिखित व्यक्ति को दिया गया समझा जायेगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन कब्जा दिये जाने पर राज्य सरकार तथा उसके अधिकारी कब्जा वापस करने के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व से अंतिम तथा पूर्णरूप से उन्मुक्त हो जायंगे किन्तु इससे किसी अन्य व्यक्ति के भूमि संबंधी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसे वह यथोचित विधि-प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे भूमि का इस प्रकार कब्जा दिया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६ और १७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८–३५

कार्य निष्पादित करने के लिये निदेश।

१८—(१) भूमि संरक्षण अधिकारी नोटिस द्वारा, किसी लाभग्राही से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी ऐसे कार्य को जो योजना के अनुसार उस व्यक्ति द्वारा अपने व्यय से किया जाना है, नोटिस में उल्लिखित रीति से और (उसमें उल्लिखित) अवधि के भीतर अपने व्यय से करे।

(२) यदि लाभग्राही भूमि संरक्षण अधिकारी को लिखित रूप से यह सूचित करे कि वह कार्य को उपयुक्त समय के भीतर करने में असमर्थ है या यदि कार्य तदर्थ निश्चित दिनांक तक या ऐसे और समय के भीतर, जिसकी भूमि संरक्षण अधिकारी अनुमति दे, उक्त अधिकारी के संतोषानुसार न किया जाये, तो भूमि संरक्षण अधिकारी उस कार्य को करा लेगा और किये गये व्यय को तदर्थ नियत उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाभग्राही से मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा।

(३) उपधारा (१) और (२) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि किसी कार्य को भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा करवा लेना जनसाधारण के हित में होगा तो वह उस कार्य को करने का उक्त अधिकारी को निदेश दे सकता है और उस कार्य का व्यय, भूमि संरक्षण अधिकारी तदर्थ नियत उपबन्धों के अधीन रहते हुए लाभग्राही से या लाभग्राहियों से ऐसे अनुपात में जो कलेक्टर उस कार्य से प्रत्येक लाभग्राही की भूमि को होने वाले लाभ तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करे, मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा।

(४) यदि व्यय का भुगतान लाभग्राही या लाभग्राहियों द्वारा नियत समय के भीतर न किया जाये तो उस लाभग्राही या उन लाभग्राहियों पर उस पर ऐसा ब्याज देने का भी उत्तरदायित्व होगा जो नियत किये जाये।

भूमि संरक्षण अधिकारी का प्रगति प्रतिवेदन देना।

१९—(१) भूमि संरक्षण अधिकारी, ऐसे आकार में और ऐसे अन्तरालों पर जो नियत किये जायं, जिला समिति को योजनाओं के निष्पादन में हुई प्रगति का प्रतिवेदन देगा।

(२) प्रगति के प्रतिवेदन की एक प्रति कृषि निदेशक या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को भी भेजी जायेगी।

(३) निदेशक, योजनाओं की प्रगति पर बोर्ड को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

राजस्व अभिलेखों में अधिकारों और दायित्वों की प्रविष्टि

२०—भूमि संरक्षण अधिकारी योजना के अन्तर्गत कार्य पूरा हो जाने पर नियत आकार में एक विवरण तैयार करेगा जिसमें वह लाभग्राहियों के अधिकारों तथा दायित्वों को दिखायेगा और उसे कलेक्टर को भेज देगा जो विवरण-प के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा रखे गये संगत ग्राम अभिलेखों तथा नक्शों में प्रविष्टियां करायेगा।

दायित्वों का निर्वहन

२१--(१) लाभग्राही का यह कर्त्तव्य होगा कि वह—

(क) किसी कार्य का अनुरक्षण तथा उसकी मरम्मत योजना की अपेक्षानुसार अपने व्यय से करे, और

(ख) योजना के अन्तर्गत आरोपित अपने अन्य दायित्वों का निर्वहन करे।

(२) यदि लाभग्राही उपधारा (१) की अपेक्षानुसार कार्य का अनुरक्षण या उसकी मरम्मत अथवा दायित्व का निर्वहन न करे तो कलेक्टर कार्य का अनुरक्षण या उसकी मरम्मत अथवा दायित्व का निर्वहन करा सकता है और वह ऐसे अनुरक्षण, मरम्मत या निर्वहन का व्यय लाभग्राही से मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल करेगा।

भूमि एवं जल संरक्षण के प्रतिकूल कार्यवाही का निवारण

२२--(१) यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर कोई ऐसा कार्य करे जो भूमि एवं जल संरक्षण के हित के प्रतिकूल हो, तो कलेक्टर उसे इस बात का कारण बताने के लिये नोटिस देगा कि उसे उक्त कार्य करने से प्रतिषिद्ध करने की आज्ञा क्यों न दी जाये।

(२) नोटिस के प्राप्त होने पर उक्त व्यक्ति उस कार्य को रोक देगा तथा वह कार्य तब तक रुका रहेगा जब तक कि उक्त नोटिस रद्द न कर दिया जाये।

(३) जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील किया गया हो, वह उसके प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

(४) कलेक्टर आपत्तिकर्त्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आपत्तियों का निस्तारण करेगा। यदि आपत्ति मान ली जाय तो कलेक्टर नोटिस को रद्द कर देगा अन्यथा वह उस व्यक्ति को उक्त कार्य करने से प्रतिषिद्ध करने की आज्ञा देगा।

(५) उपधारा (४) के अधीन कलेक्टर की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से तीस दिन के भीतर डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।

शास्तियां

२३--यदि कोई व्यक्ति बिना सम्यक् प्राधिकार के योजना के अन्तर्गत किसी कार्य को क्षति पहुंचाये या उसमें रुकावट डाले अथवा इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या दी गयी आज्ञा के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करे, वह सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर तीन मास से अनधिक अवधि के कारावास अथवा पांच सौ रुपये से अनधिक अर्थ दंड से अथवा दोनों से दंडनीय होगा और अपराध जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ-दंड से दंडनीय होगा जो प्रथम दोष-सिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें ऐसा अपराध जारी रहे २५ रुपये से कम न होगा।

अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां

२४--भूमि संरक्षण अधिकारी या कलेक्टर या आयुक्त के समक्ष इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही, इंडियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में तथा उक्त कोड की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये भी न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

रिक्ति होने अथवा संघटन में दोष होने के कारण कार्यवाही का अवैध न होना

२५--बोर्ड या जिला समिति में कोई रिक्ति होने या उसके संघटन में कोई दोष होने के कारण ही बोर्ड या जिला समिति का कोई कार्य या कार्यवाही अवैध न होगी।

बहुमत द्वारा निर्णय

२६—यदि बोर्ड या जिला समिति के सदस्यों में किसी प्रश्न के सम्बंध में मतभेद हो तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा और मतों के बराबर होने की दशा में, यथास्थिति, बोर्ड या जिला समिति के सभापति को निर्णायक मत देने का भी अधिकार होगा ।

प्रवेश करने आदि का अधिकार

२७—योजना को तैयार करने या उसके कार्यान्वय अथवा योजना के अन्तर्गत किसी कार्य की मरम्मत करने या उसका अनुरक्षण करने के प्रयोजनों के लिये भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके द्वारा सामान्यतः या विशिष्ट रूप से तदर्थ प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भूमि पर प्रवेश कर सकता है, उसका सर्वेक्षण कर सकता है और उसे चिह्नांकित कर सकता है और उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक सभी काम कर सकता है ।

लेख्यों का निबन्धन ऐक्ट संख्या, १६, १९०८

२८—इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ की किसी बात से यह न समझा जायगा कि किसी ऐसे लेख्य या नक्शे का निबन्धन अपेक्षित है, जो इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना का भाग हो ।

लेख्यों और नक्शों का जनता द्वारा देखा जाना

२९—इस संबंध मे बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, जनसाधारण योजना से संबंधित सभी लेख्यों और नक्शों को देख सकेंगे और उसकी प्रतिलिपियां किसी व्यक्ति को जो प्रार्थना करे नियत शुल्क का भुगतान करने पर दी जायगी ।

अवधारणों तथा आज्ञाओं का अंतिम होना

३०—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में किया गया कोई अवधारण या दी गई कोई आज्ञा अंतिम होगी और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जायेगी ।

सद्भावना से कये गये कार्यों के विरुद्ध वाद या विधिक कार्यवाही का निषेध

३१—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम अथवा दी गयी किसी आज्ञा के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी ।

इस अधिनियम के उपबन्ध अभिभावी होंगे

३२—इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात उनसे असंगत हो ।

नियम बनाने का अधिकार

३३—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकती है ।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) किसी व्यक्ति को लाभग्राही घोषित करने की प्रक्रिया और उसकी रीति ;

(ख) बोर्ड और जिला समितियों की स्थापना और उसके संघठन से संबंधित विषय,

(ग) बोर्ड और जिला समितियों द्वारा कार्य-संचालन की प्रक्रिया (जिसमें गणपूर्ति भी है),

(घ) भूमि संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उसके कृत्य तथा एक ही जिले में भूमि संरक्षण अधिकारियों के कार्य का विभाजन ।

(ङ) प्रारूप योजना में दिये जाने वाले विवरण;

(च) अभिप्रायों को विज्ञापित करने की रीति और अस्थायी कब्जा लेने के अभिप्राय तथा दिनांक के विज्ञापन की रीति;

(छ) ऐसी भूमि के लिये, जिसका अस्थायी कब्जा लिया गया हो देय प्रतिकर और उसे पाने के हकदार व्यक्तियों का अवधारण करने के निमित्त जांच करने की रीति;

(ज) समय जिसके भीतर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा किये गये कार्य के व्यय का भुगतान लाभग्राही द्वारा किया जायेगा, और ऐसे व्यय पर ब्याज ;

(झ) आकार जिसमें और अन्तराल जिन पर भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा ;

(ञ) लाभग्राहियों के अधिकारों तथा दायित्वों के विवरण का प्रपत्र ;

(ट) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन रखे जाने के लिये अपेक्षित विवरण-पत्र, विवरणियां, रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख;

(ठ) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन नोटिसों का प्रपत्र और उन्हें प्रकाशित या तामील करने की रीति ;

(ड) इस अधिनियम के अधीन आपत्तियों तथा अपीलों का प्रस्तुत किया जाना और उनका निस्तारण तथा उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ढ) किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के कर्त्तव्य जिसे इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार प्राप्त हो और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और

(ण) अन्य विषय जो नियत किये जाने हों या नियत किये जा सकते हों।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों तथा अभिशून्यनों (Annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

१९५४ के उ०प्र० अधिनियम संख्या ११ का निरसन

३४—(१) उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४ निरस्त किया जाता है।

(२) उक्त अधिनियम की धारा १५ के अधीन पुष्टीकृत योजना इस अधिनियम के अधीन अंतिम हुई योजना समझी जायेगी और उसके लिये धारा १२ की अपेक्षानुसार एक सामान्य नोटिस प्रकाशित किया जायेगा। पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन तैयार की गयी ऐसी योजना जिसे इस प्रकार पुष्ट न किया गया गया हो इस अधिनियम की धारा ९ के अधीन तैयार की गयी प्रारूप योजना समझी जायेगी और उसके संबंध में तद्नुसार कार्यवाही की जायगी।

कठिनाइयों को दूर करना

३५—(१) यदि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५४ के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण करने के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, ऐसे संक्रमण को सुकर बनाने के लिये गजट में आज्ञा विज्ञापित करके निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट सीमित अवधि के लिये ऐसे परिष्कारों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो इस प्रकार निर्दिष्ट किये जायें।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, इस धारा के अधीन कोई आज्ञा न दी जायेगी।

(३) इस धारा के अधीन दी गयी आज्ञा, दी जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १८ से ३५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, अनुसूचियां, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३

उत्तर प्रदेश में भूमि एवं जल साधनों के संरक्षण तथा सुधार सम्बन्धी विधि को संशोधित और संहत करने के लिये;

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) यह प्रथम अनुसूची में उल्लिखित जिलों में तुरन्त प्रचलित होगा। शेष जिलों में यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियत करे और विभिन्न जिलों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

प्रथम अनुसूची

क्रम-संख्या	जिलों के नाम
१	आगरा
२	फतेहपुर
३	हमीरपुर
४	जालौन
५	झांसी
६	मथुरा
७	मिर्जापुर
८	प्रतापगढ़
९	सुल्तानपुर

क्रम-संख्या					जिलों के नाम
१०	..	..	..	..	टेहरी-गढ़वाल
११	..	..	..	..	लखनऊ
१२	..	..	..	..	सीतापुर
१३	..	..	..	..	फर्रुखाबाद
१४	..	..	..	..	इलाहाबाद
१५	..	..	..	..	बांदा
१६	..	..	.	..	मेरठ

द्वितीय अनुसूची

भूमि एवं जल-संरक्षण से सम्बद्ध विषय—

१—वायु द्वारा कटाव और जल द्वारा कटाव (परत कटाव, जलमार्गों और दरारों का बनाना, किनारों का कटाव और बाढ़) के विरोधी उपाय, यथा;

(क) मेड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकंडा अथवा अन्य भूमिबंधक घासों और पौधों का लगाना,

(ख) भूमि को समतल करना,

(ग) समोच्चरेखीय कृषि,

(घ) किसी भी क्षेत्र में जहां कटाव होता हो, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(ङ) विरल फसलें उगाने की मनाही,

(च) पट्टियों में खेती,

(छ) वर्षा ऋतु में जल्दी पकने वाली फलीदार फसलें तथा अन्य सघन फसलें उगाना,

(ज) हरी खाद देना, और अधिक मात्रा वाली आर्गेनिक खादों, जैसे कम्पोस्ट, फार्मयार्ड, मैन्योर (पांस) इत्यादि का प्रयोग,

(झ) भूमि का खेती से विश्राम, यदि उस पर खेती होते रहना उस भूमि के लिये अथवा अन्य भूमि के लिये हानिकर हो,

(ञ) चराई पर नियंत्रण,

(ट) किसी भूमि के कटाव से बचाव के लिये अथवा अन्य किसी भूमि के बचाव के लिये उसपर वन लगाना अथवा फलवृक्ष लगाना अथवा पशु-चर बनाना,

(ठ) वायु के गतिरोध के लिये वृक्ष या झाड़ियां लगाना,

(ड) वृक्षों को गिराने या छांटने या झाड़ियां साफ करने पर नियंत्रण,

(ढ) कृषीय प्रयोजनों के लिये हीन(marginal) और अतिहीन (sub-marginal) भूमियों को तोड़ने की मनाही।

२—जल भरने और अवरुद्ध होने के विरोधी उपाय, यथा;

(क) जल भरे क्षेत्रों को पोखर बना देना,

(ख) जल निकासी की नालियां खोलना,

(ग) भूमिगत जल को पंप करके निकालना,

(घ) रेल पथ, नहर अथवा सड़क के बांध की पुलियों और जलमार्गों की संख्या बढ़ाना अथवा वर्तमान पुलियों इत्यादि को चौड़ा करना।

३—भूड़ क्षेत्रों को सुधारने के उपाय, यथा;

(क) मेड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकंडा अथवा अन्य भूमि बंधक घासों और पौधों का लगाना,

(ख) भूमि को समतल करना,

(ग) ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(घ) फलीदार फसलें उगाना,

(ङ) हरी खाद देना और कम्पोस्ट, फार्मयार्ड, मैन्योर (पांस) इत्यादि जैसी अधिक मात्रा वाली आर्गेनिक खादों का प्रयोग,

(च) चराई पर नियंत्रण ।

४—ऊसर भूमि का उद्धार और ऊसर होने से रोकने के उपाय, यथा;

(क) उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल-तल उच्च हों, ऊपर के तथा भूमि के भीतर के जल का निष्कासन,

(ख) उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत जल-तल नीचा हो, हानिकर नमकों को निकालने के लिये बंधियों का निर्माण और बरसाती तथा दूसरी गहरी पानी का बंधान,

(ग) जहां जल भरता हो वहां जल निकासी की नालियों की व्यवस्था करना, तथा

(घ) सेलखड़ी (जिप्सम) का प्रयोग।

४-क—भूमि एवं जल संरक्षण की साधक रचनाओं (Works) का अनुरक्षण और उनकी मरम्मत, वह रचना चाहे योजना के अधीन की या बनायी गयी हो, चाहे अन्यथा।

५—अन्य उपाय जो नियत किये जायें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, अनुसूचियां, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ जैसाकि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ जैसाकि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सहभाषा बनाने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

अब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३४३ के खंड (३) के अन्तर्गत विधि बना कर अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिये सहभाषा बनाने के संबंध में कुंवर श्रीपालसिंह द्वारा उत्तर

प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ५३ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर विवाद होगा ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस पर विवाद शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि अब सदन के समक्ष इसके अलावा कोई कार्य रहा नहीं इसलिये यदि सबन की राय हो तो इस वक्त सदन उठ जाय और २ बजे से साढ़े ५ बजे तक हम बैठें तो बड़ी कृपा हो । हालांकि प्रक्रिया नियमावली के नियम ५३ के अन्तर्गत ढाई घंटे से ज्यादा समय देने का आपको अधिकार नहीं है, परन्तु सदन की राय हो तो आप यह कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

ढाई घंटे से ज्यादा मैं नहीं दूंगा यह निश्चित है । अगर सदन पूरा राजी हो कि इस वक्त हम उठ जायं और दो बजे फिर बैठें तो ठीक है ।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

यदि किसी को आपत्ति नहीं है तो अब हम २ बजे बैठेंगे और साढ़े ४ बजे तक ही यह विवाद चलेगा ।

(इस समय १२ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेंद्रसिंह विष्ट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६३

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा--

मैं उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ५२०-५३० पर)

अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए सहभाषा बनाने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा--(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय कुंवर श्रीपालसिंह अपना भाषण देंग ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय श्रीपाल सिंह जी को दफा ५३ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आपने बोलने के लिये बुलाया है इसके संबंध में हमारा कहना है कि इसमें एक बहुत ही संवैधानिक प्रश्न निहित है उस पर आप पहले अपनी व्यवस्था दे दें तब इजाजत दी जाय । आर्टिकिल ३४३(३) को आप देखें--उसमें लिखा है, कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि वह यूनियन की आफिशियल लैंगुएज निर्धारित कर सकती है । १५ साल के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

लिये अंग्रेजी को ही निर्धारित किया था और पार्लियामेंट को अधिकार है कि यदि वह चाहे तो उस अवधि को पुनः बढ़ा सकती है। यूनियन की आफिशियल लैंगुएज वह चाहे हिन्दी रहने दे या क्लाज (२) के अनुसार १५ वर्ष तक अंग्रेजी चलने दे या क्लाज (३) के अनुसार १५ वर्ष की अवधि को बढ़ा सकती है। आर्टिकिल ३४३ पूरा यूनियन की आफिशियल लैंगुएज से संबंधित है और हमारी स्टेट से कोई संबंध नहीं है। कोई भी प्रस्ताव या संकल्प जो स्टेट लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन में नहीं आता उस पर विवाद इसलिये नहीं कर पाते हैं कि यदि कोई निर्णय करते हैं हम तो अपनी सीमा से बाहर जाते हैं और आपको मालूम है कि संविधान के सातवें शेड्यूल की लिस्ट २ में स्टेट का लेजिस्लेटिव जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है और लिस्ट ३ कानकरेंट लिस्ट है। न तो लिस्ट २ और न ३ में लैंगुएज का प्रश्न स्टेट लेजिस्लेचर की सीमा में आता है जहां तक यूनियन लैंगुएज का संबंध है और जितनी रेसीडुअरी पावर्स हैं वह सब पार्लियामेंट में निहित है। ऐसी स्थिति में यदि इस प्रस्ताव पर आप बहस होने देंगे और सदन कोई निर्णय लेता है तो यूनियन की आफिशियल लैंगुएज के संबंध में हम लोग एक रोक लगाते हैं पार्लियामेंट पर कि वह अपनी आफिशियल लैंगुएज के संबंध में कोई विधान न बना सके। यह स्टेट लेजिस्लेचर की सीमा के बाहर है, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता—

जो सवाल आपने पेश किया है यह उस समय उठाना चाहिये था जब माननीय अध्यक्ष पीठासीन थे। उनकी इजाजत हो जाने के बाद मैं इसको ओवर रूल नहीं कर सकता, क्योंकि अनुज्ञा उस वक्त मिल चुकी है। अतः पेश होगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न और है, मैं आपके निर्णय के विरुद्ध नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं इस मत का हूं कि जो भी अध्यक्ष हो उसके निर्णयों को माना जाय। लेकिन जो आपने निर्णय दे दिया कि जब अध्यक्ष यहां थे उस समय व्यवस्था का प्रश्न उठाते, तो उस समय यह प्रस्ताव पेश नहीं होने जा रहा था, एजेंडे पर छपा हुआ था ....

श्री अधिष्ठाता—

मैं रूलिंग दे चुका हूं कि उस समय अनुज्ञा मिल चुकी है। उनकी प्रार्थना पर यह तय हुआ था कि २ बजे से लिया जाय। पेश करने की अनुज्ञा उनको प्राप्त हो चुकी है इसलिये मैं उसको ओवर रूल नहीं कर सकता। आपको विदित होना चाहिये कि सिर्फ चर्चा के रूप में रखना चाहते हैं और कोई प्रस्ताव के रूप में नहीं है। इसलिये आप इस पर कोई कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट नहीं उठा सकते।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अनायास झगड़े को टाल दिया। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने शायद १९५९ की माननीय खेर साहब की रूलिंग नहीं पढ़ी, १३ पृष्ठ पर है, चीन के बारे में ऐसा ही विवाद खेर साहब ने अलाऊ किया था जो हमारे क्षेत्र के अधिकार के बाहर है....

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण दें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, जो १० मिनट का समय चला गया उसका ध्यान रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, कुछ निवेदन करने के पहले मैं समस्त देश की हिन्दी भाषी जनता की तरफ से माननीय अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इस सदन में कुछ चर्चा करने के लिये समय प्रदान किया । इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? संविधान जब से बना तब से बहुत संशोधन हुये विधि के द्वारा और यह भी उसी में की एक लड़ी है, मगर चर्चा करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि जो विधि द्वारा संशोधन किया जाने वाला है यह संविधान के प्राण पर आघात है। संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना है और राष्ट्रभाषा के लिये १५ साल की अवधि दी गई थी कि इतने समय में हिन्दी पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा हो जायगी । अब वह १५ साल १९६५ में पूरे होने को हैं। चूंकि हिन्दी अभी अपने स्थान पर नहीं पहुंचायी जा सकी इसलिये अंग्रेजी को फिर से प्रोलांग करना संविधान के प्राण पर आघात है । संविधान स्वतंत्रता का द्योतक है और अंग्रेजी परतंत्रता की द्योतक है । इन दोनों का गठबंधन करना प्राण पर आघात है, इसलिये चर्चा करने की आवश्यकता हुई।

श्रीमन्, अंग्रेजी की आवश्यकता हमारे यहां क्यों पड़ी ? जैसा निवेदन किया—अंग्रेजी हमारी परतंत्रता की द्योतक है । १६४० में ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरफ से कुछ पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिये अंग्रेजी का प्रचार सरकारी ओर से किया क्योंकि उस समय धर्म की ओट में ही समाज में अपनी विचारधारा का प्रचार किया जाता था । उसके अलावा स्टेनले रूडले की पुस्तक है "लैंगुएजेज ऐज ए सोशल ऐंड पोलिटिकल फैक्टर इन यूरोप"। उसमें उसने लिखा है "भाषा को कुचलने के लिये सर्वाधिक प्रभावशाली साधन आर्थिक और व्यापारिक है। यदि लोग देखें कि शासकों की भाषा बोले बिना न तो अच्छे पदों की प्राप्ति हो सकती है और न व्यापार में गति मिल सकती है तो वे शासकों की भाषा को सीखते हैं और शनैः शनैः अपनी मातृभाषा को भी खो बैठते हैं।" अंग्रेजों ने यह सोचा कि जब तक हम भारत की जनता के हृदय से भारतीय भाषा के आदर को और बोलने की रुचि को समाप्त नहीं करते हैं तब तक अंग्रेजी को स्थान नहीं मिल पायेगा । इसीलिये अंग्रेजी को उन्होंने अपने राज्य की भाषा बना कर राज्य के अन्दर ऊंचे ओहदों पर या किसी काम के लिये अंग्रेजी का प्रचलन किया। उस प्रचलन का नतीजा यह है कि आज अंग्रेजी लदी तो केवल २ फीसदी लोगों के ऊपर है लेकिन वह २ फीसदी जनता इतनी प्रभावशाली है कि उसके हाथ में राज्य की बागडोर है और उनकी वजह से हिन्दी को वह स्थान प्राप्त करने में महान कठिनता उत्पन्न हो गयी है।

कुछ थोड़ी सी बातें अंग्रेजी के पक्ष में कही जाती हैं कि अंग्रेजी को क्यों रखना चाहिये। वे चार किस्म के लोग हैं जो चाहते हैं अंग्रेजी को। उनमें सबसे पहला नम्बर है सरकारी कर्मचारियों का, उच्चाधिकारियों का, वह इसलिये है कि उन्होंने शुरू से अंग्रेजी में काम किया है। इसलिये वह चाहते यह हैं कि उनको थोड़ी सी भी तकलीफ न हो हिन्दी सीखने के लिये और वह अंग्रेजी में काम करते रहें और धीरे-धीरे हमारे राज्य गुरुओं के मस्तिष्क पर अंग्रेजी की छाप ऐसी पड़ी कि सब एक स्वर में बोलने लग गये। यह उनकी जबरदस्त चीज चल रही है।

इसके बारे में दूसरों को कोट करूं तो अच्छा नहीं होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोट करना चाहता हूं जिनकी बदौलत स्वराज्य मिला, जिनकी बदौलत संविधान बनाने का अधिकार मिला और जिनकी बदौलत इस विषय पर चर्चा करने का अधिकार मिला । उन्होंने कहा है "स्वराज्य होते ही अगर प्रजा की अनुकूलता से लाभ उठा कर हिन्दी में राज्य तुरन्त चलाया तो हम जीत जायेंगे नहीं तो हमारे राज्य कर्मचारी जिन्हें लोकमान्य तिलक नौकरशाही कहते थे अंग्रेजी को मजबूत करेंगे। देशभक्ति की दुहाई देकर गांधी जी ने हमारे राज्य कर्मचारियों से विनय की थी कि राज्य हिन्दी में चलाने में आप हमारी मदद कीजिये । थोड़े कष्ट उठा कर भी हिन्दी सीखने पर आप स्वराज्य को प्रजा राज्य बना सकेंगे।" ये महात्मा गांधी के शब्द हैं । उन्होंने राज्य के कर्मचारियों से यह अपील की है । इसके बाद भी अगर वे नहीं बदले हैं और उसी रास्ते पर चल रहे हैं तो मैं यह निवेदन करना

[कुंवर श्रीपालसिंह]

चाहूंगा कि हमारे राजनीतिक गुरुओं को चाहिये कि वे इस चीज को देखें और अपनी कमजोरी को महसूस करें कि ब्यूरोक्रेसी जो आज कन्धे पर सवार होना चाहती है उसको रोकें।

दूसरा वर्ग जो अंग्रेजी का हिमायती है, क्षमा करेंगे इस सदन के सदस्यों में से और आप भी वकील हैं, वकील पेशा लोग अंग्रेजी के बड़े हिमायती हैं। वे मजबूर हैं—मैं उनको दोष नहीं देता हूं—अंग्रेजी की हिमायत करने के लिये। कारण यह है कि जो भी कानून बनेगा, जिस विधि का भी निर्माण होगा उसको बनाने की जिम्मेदारी होगी हमारी ब्यूरोक्रेसी की और ब्यूरोक्रेसी कानून बनायेगी अंग्रेजी में। हमारे यहां सदन की भाषा हिन्दी होते हुए भी हम हिन्दी को अंग्रेजी का अनुवाद मानते हैं, मूल अंग्रेजी में होता है तो वकील पेशा लोग चूंकि उसी कानून को इजलासों में इंटरप्रेट करते हैं लिहाजा वे मजबूर हैं अंग्रेजी का साथ देने से। शब्दों का अर्थ मोड़ने के लिये जब तक उस भाषा के पूर्ण विज्ञ नहीं होंगे तब तक वैसा नहीं कर सकते। इसलिये वकील लोग अंग्रेजी के हिमायती हैं, क्योंकि उनको कानून से खेलना पड़ता है और वे चाहते हैं कि अंग्रेजी ज्यों की त्यों बनी रहे। उनको भी थोड़ी तकलीफ होगी हिन्दी सीखने में।

तीसरे, श्रीमन्, जो आज हमारे यहां विदेशी कम्पनियां हैं अनेकों प्रकार के व्यापार की, वे तनख्वाहें बहुत ज्यादा देती हैं। लोगों को इससे भी लालच होता है कि अगर हम अंग्रेजी में अच्छे विद्वान् होंगे तो हमें उन विदेशी कम्पनियों में नौकरी मिलेगी। इसलिये लोगों का अंग्रेजी पढ़ने की तरफ रुझान ज्यादा होता है।

अब हिन्दी के विरोध में जो कुछ तर्क दिये जाते हैं उनको मैं एक-एक कर के आपके सामने रखना चाहता हूं सबसे पहला विरोध जो हिन्दी के बारे में किया जाता है वह यह कि हिन्दी भारत की सम्पूर्ण जनता की केवल ३/५ जनता की ही भाषा है। मान लिया मैंने कि ३/५ की भाषा है। मगर जिस अंग्रेजी के लिये इतना जोर और इतना हल्ला है उसका प्रतिशत क्या है? १/५००, तो १/५०० से तो ३/५ ज्यादा है ही। इसलिये यह तर्क देना कि हिन्दी के जानने वाले देश में जन-संख्या के अनुपात में बहुत कम हैं यह कोई माने नहीं रखता है। यह खाली वही है कि ब्यूरोक्रेसी अपनी बात को कन्धे पर लादने के लिये एक चीज कहती है।

दूसरी चीज यह कही जाती है कि हिन्दी कभी शासन की भाषा नहीं रही है। कौन से शासन की भाषा नहीं रही यह नहीं बताते। अंग्रेजी शासन की भाषा हिन्दी नहीं रही, यह मैं मानता हूं। मगर उसी अंग्रेजी राज्य काल में भी जितने देशी राज्य थे उनकी भाषा हिन्दी थी। मैं बहुत से देशी राज्यों का प्रमाण श्रीमन् के सामने रख सकता हूं कि १२ बजे रात तक तो उन राज्यों का काम हिन्दी में चला और भारत में विलीनीकरण के बाद दूसरे दिन प्रातः से सारा काम अंग्रेजी में होने लगा। यह कहना कि हिन्दी कहीं राज्य भाषा नहीं थी, ठीक है, यह मानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी मगर अपने देश में कई जगह थी, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है।

तीसरी चीजश्रीमन्, कही जाती है कि दक्षिण और बंगाल के लोग हिन्दी के विरुद्ध हैं, तो हिन्दी के पक्ष में दक्षिण और बंगाल के जिन लोगों की सहमति है, उनके उद्धरण उपस्थित करना चाहता हूं। सबसे पहला नाम मैं उनका लेता हूं जिनके बारे में माननीय झारखंडेराय सुनकर चौंक जायंगे, माननीय कृष्णा मेनन। उन्होंने कहा है कि, "संविधान द्वारा हिन्दी राष्ट्र भाषा स्वीकृत हो चुकी है अतः उसकी मान्यता प्रत्येक देशवासी के हृदय में होनी चाहिये। देश की अधिकांश जनता हिन्दी ही बोलती तथा समझती है तथा भारतीय भाषाओं का उद्गम स्थान संस्कृत है। अतः संस्कृतनिष्ट हिन्दी राष्ट्रीय समैक्य की पुष्ट सूत्र बन सकती है।" श्रीमन्, यह उनका कहना है। क्या वे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या बिहार या राजस्थान के रहने वाले हैं? वे दक्षिण प्रांत के रहने वाले हैं। इसी प्रकार श्रीमन्, आयंगर जी का कथन है कि "देश में संस्कृत ज्ञान अब भी देव नागरी के माध्यम से ही है। अतः देवनागरी किसी भी क्षेत्र के लिये नई नहीं है। संस्कृत भाषा देश के अन्दर हर जगह ओत-प्रोत है और वह देवनागरी

में लिखी जाती है। इसलिये अपने देश का कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जो उसे न जानता हो। यह उनकी राय है। श्रीमन्, मठाभिराम शास्त्री जी कलकत्ते के हैं। उन्होंने यही राय दी है। श्री सी० के० क्षीरसागर, कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र परिषद् के हैं, उनकी भी यही राय है, शिवशंकर स्वामी जी की भी यही राय है। श्री सुनील कुमार चटर्जी भी बंगाल के ही हैं। उन्होंने कहा है कि यह हिन्दी भाषा भारत तथा विदेशों में रहने वाले साढ़े २४ करोड़ जनों को एक जीवित सूत्र में बांधने वाली मौलिक अंतर्देशिक या अन्तर्जातीय भाषा है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ जी ने कहा है कि विदेशी भाषा के वातावरण में उनका शरीर और मन दोनों घोर यातना का अनुभव करते हैं, यह श्रीमन्, गुरुदेव का कथन है। श्री सुब्रह्मन्य भारती का कथन है कि १२ वर्ष की अंग्रेजी शिक्षा के पाप से मुक्त होने के लिये ४० हजार मठ मंदिरों का दर्शन करना आवश्यक होगा। यह उनकी राय है। इनमें से श्रीमन्, एक भी हिन्दी भाषी प्रान्त का नहीं है। मामा बरेरकर महाराष्ट्र के हैं। उनका कथन है, वह सन् ४७ में जब संसद देखने गए और पहले एक मर्तबे अंग्रेजी समय में गये थे तो अंग्रेजी में बोलते हुए देखा था लोगों को लेकिन फिर स्वराज्य के बाद जब गये तो उनके मन पर जो प्रतिक्रिया हुई वह उन्होंने लिखा है—"परन्तु सन् १९४७ के भारतीय संसद के भारतीय सदस्यों को भारतीय मंत्रियों के साथ भारत छोड़कर गये हुए अंग्रेजों की भाषा में बोलते हुए देखकर कुछ आश्चर्य एवं दुख भी हुआ।" यह उनका कहना है। इसी प्रकार कहां तक मैं श्रीमन्, के सामने रखूं। यह कहना कि दक्षिण और बंगाल के लोग उसके विरोध में हैं यह भी उसी ब्यूरोक्रेसी की एक चाल है और उस चाल के द्वारा वह राजनीतिक पुरुषों के मस्तिष्क को घुमाकर अंग्रेजी के चक्कर में फंसा देना चाहते हैं।

चौथी चीज एक बड़े जोर से कही जाती है कि हिन्दी के विरोध में मुस्लिम जनता है.....

एक सदस्य—

नहीं, ऐसी बात नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही कहता हूं। लेकिन ये हिन्दी का विरोध करने वाले कहते हैं कि मुस्लिम जनता हिन्दी के विरोध में है। तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारे रहीम खानखाना कौन थे? कहां के शुकुल जी, पंडित जी, या ठाकुर साहब थे वह? मलिक मुहम्मद जायसी कौन थे, रसखान कौन थे, आलम शेख आदि कौन थे जो हमारे हिन्दी के महारथी हो चुके हैं और जिनकी एक एक पंक्ति ऐसी है कि जिसका जोड़ नहीं मिल सकता? ये क्या मुसलमान नहीं थे? इसलिये यह कहना कि मुसलमान हिन्दी का विरोध करते हैं यह बात कभी सत्य नहीं हो सकती। यह हो ही नहीं सकता है कि मुसलमान हिन्दी के विरोधी हों। हिन्दी के विरोधी केवल दो हैं। (व्यवधान) हां, कबीर साहब भी थे। कबीर साहब तो हमारे हिन्दी के स्तम्भ थे। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

जो हिन्दी के विरोधी हैं, वह यह कहते हैं। मैं तो कहता हूं मुसलमान एक भी हिन्दी का विरोधी नहीं है।

श्रीमान् जी, अंग्रेजी के पक्ष में कुछ बातें कही जाती हैं। एक चीज कही जाती है कि अंग्रेजी भले ही थोड़े से लोगों की भाषा हो, केवल दो ही फीसदी लोगों की भाषा हो, मगर है देश भर में। यह एक तर्क उपस्थित किया जाता है और बड़े जोर के साथ यह तर्क उपस्थित किया जाता है। मगर उनके साथ यह नहीं कहा जाता है कि इन थोड़े से लोगों को अंग्रेजी जानने में समय कितना लगा? ४०० साल। (व्यवधान) जी हां, ४०० सौ साल में अंग्रेजी उस जगह पर पहुंच पायी है। सोलह सौ कुछ से शुरू हुआ है अंग्रेजी का हिसाब किताब।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य के सिर्फ पांच मिनट हैं, जरा समय का भी ध्यान रखें।

कुंवर श्रीपालसिंह---

थोड़ा समय मुझे और दे दीजिये तो मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा।

तो मतलब यह कहने का है कि इतने दिनों में जिस स्थान पर अंग्रेजी को हम पहुंचा पाये हैं हम चाहते यह हैं कि हिन्दी १५ साल में उस स्थान पर पहुंच जाय। मगर मैं कहता हूं कि उतने स्थान से ज्यादा स्थान पर हिन्दी पहुंच चुकी है। अब भी अंग्रेजी जानने वाले केवल २ फीसदी हैं। आज भी अंग्रेजी के लिए हमारे तमाम देश भर में २ हजार ५ सौ करोड़ रुपया खर्च होता है। आप जोड़िए पूरे देश भर में जितना खर्च होता है वह अंग्रेजी के ऊपर ही होता है। जितने नौकर वह सब अंग्रेजी जानने वाले हैं। हिन्दी जानने वाले के लिए कोई गुंजायश कहीं नहीं हैं। कहीं उठने के लिए, तरक्की पाने के लिए कोई रास्ता उसे नहीं है। इसलिए इतने खर्च और इतने बड़े राज्य के पीछे होने के बाद अब अंग्रेजी कहीं जाकर २ प्रतिशत पर पहुंच चुकी है। एक चीज यह कही जाती है कि अंग्रेजी के बिना अन्तर्राष्ट्रीय काम नहीं चलेगा। यह अंग्रेजी के पक्ष में तर्क दिया जाता है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि रूस, नार्वे, स्पेन, स्वेडन, इटली, चीन और जापान में कैसे काम चलता है? क्योंकि उन देशों की भाषा अंग्रेज़ी नहीं है। वे सब काम अपनी भाषा में ही करते हैं। उनका अन्तर्राष्ट्रीय हिसाब-किताब बिलकुल दुरुस्त है। उनका काम कैसे चलता है? जब कि अंग्रेजी वालों को यह पता है कि तमाम संसार में जनता केवल ६ फीसदी अंग्रेजी जानती है तो ६ फीसदी अंग्रेजी जानने वालों के लिये यह कहा जाय कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति डांवाडोल और गड़बड़ हो जायगी अगर अंग्रेजी नहीं रहेगी तो यह भी ब्यूरोक्रेसी की चाल है।

तीसरी चीज यह कही जाती है कि अंग्रेजी के बगैर विज्ञान और अन्य विषयों में कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। इसके लिये हमको कोई एतराज नहीं है। जिसको आगे पढ़ना हो, विज्ञान जानना चाहे या और किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना हो जो अंग्रेजी के बगैर नहीं हो सकती तो वे अंग्रेजी पढ़ें। जर्मन भाषा पढ़ें, फ्रेन्च भाषा पढ़ें या रसियन पढ़ें। जो भाषा वे पढ़ना चाहें देश के अन्दर उसको पढ़ें, इसमें हमको कोई एतराज नहीं है।

कुछ बात और निवेदन करना चाहता हूं। कुछ विडम्बनायें हैं उनको भी सदन के समक्ष रखता हूं। हम कहते हैं कि हम देश भक्त हैं। इसीलिये देशी भाषा का प्रयोग नहीं होने देंगे। इसी कारण विदेशी भाषा का प्रयोग किया है, कर रहे हैं तथा करते रहेंगे। किन्तु हम देशभक्त हैं। कहां से देशभक्त हैं और कैसे देशभक्त हैं, तो उस देशभक्ति के प्रमाण में यह मान सकते हैं कि हम प्रजातन्त्र के उपासक हैं। उसके लिये मैं उधर के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अंग्रेजी वाले हैं वह २ फीसदी हैं। वे ही २ फीसदी अंग्रेजी के जाननेवाले कहते हैं कि देशभक्त हैं और वे ही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। जब अंग्रेजों का जमाना था तो उन देशभक्तों ने डंडे चलाये थे। अब वे अपने को देशभक्त कहते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं या जो भी हमारे नेता हैं उनसे ब्यूरोक्रेसी कहती है कि तुम पीछे रहो और हम आगे रहेंगे क्योंकि हम देश भक्त हैं। वे ही देश भक्त यह कहते हैं कि हम प्रजातन्त्र के उपासक हैं इसलिये ४० फीसदी की भाषा को कैसे २ फीसदी की भाषा से वरीयता दें। जनतन्त्र का माध्यम जन-भाषा है अतः जनभाषा का विरोध जनतन्त्र का विरोध है। इसीलिये राष्ट्रभाषा उसको बनायेंगे। जो जनता की भाषा है उसको राष्ट्रभाषा नहीं बनायेंगे। कितनी उम्दा प्रजातन्त्र की उपासना है? वही ब्यूरोक्रेसी कहती है कि हम समाजवादी हैं। इसलिये समाज की भाषा को राष्ट्र भाषा कैसे बनने दें। समाजवाद में राज्य ही समाजवाद है। इसलिये समाज की भाषा राज्य की भाषा कैसे हम बना दें। इस कारण हिन्दी का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि हम एकतावादी हैं। इसलिये हमारा विश्वास है कि हमारे देश की एकता दासता की शृंखला से

ही कायम की जा सकती है। वासता की शृंखला अंग्रेजी है। वे कहते हैं कि हम एकतावादी हैं इसलिये हम चाहते हैं कि उस वासता की शृंखला से देश को बांध लें और हिन्दी को राष्ट्र की भाषा न बनने दें। इसी तरह से मुगल राज्य में कहा गया था इसी दिल्ली में जब दिल्ली के बादशाह को अपने जेब में रखकर अंग्रेजों ने यहां के राज्य की हुकूमत की। तब उन्होंने ढिंढोरा पीटा था कि खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का और हुकूमत अंग्रेज बहादुर की। वही मैं अब कहता हूं कि देश हिन्दू का, राष्ट्रभाषा हिन्दी की मगर हुकूमत अंग्रेजी की। यह इसलिये कि हिन्दी राष्ट्रभाषा है। कितनी उम्दा बात कही। राज मुकुट तो हिन्दी के सिर पर रहेगा और राजदंड अंग्रेजी के हाथ में। हिन्दी को राजमुकुट पहनाकर बैठा दिया मगर सुनहरा राजदंड अंग्रेजी के हाथ में रहेगा। यह है विडम्बना। इतना ही नहीं है और भी विडम्बना है। श्रीमन्, मैं और किसी का नहीं, माननीया विजयलक्ष्मी पंडित का एक उद्धरण देना भूल गया था जिसे आपके द्वारा देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि जब मैं संयुक्त राज्य में थी तो मुझ से नार्वे के प्रतिनिधि ने कहा कि सुनता हूं कि आप के देश में १४, १५ भाषायें बोली जाती हैं। तो क्या आपको अपने देश की भाषा नहीं आती कि आप आपस में भी अंग्रेजी में ही बात करते हैं। इस पर मैं निरुत्तर हो गयी। मेरा मस्तक लज्जा से झुक गया। सोचिये—जितने भी देश भक्त हैं, जिनके हृदय के अन्दर रंचक की भावना है देशभक्ति की उनका मस्तक वास्तव में झुक जायगा। मगर मैं क्या कहूं, वह एक तो ब्यूरोक्रेसी है और क्षमा करेंगे आप भी एल-एल० बी० हैं, वकील हैं, यह जो दो हिस्से हैं समाज के उन्होंने तय कर लिया है कि हम किसी भी प्रकार से हिन्दी को अंग्रेजी के ऊपर नहीं जाने देंगे।

एक चीज और कही जाती है कि हम अंग्रेजी को हिन्दी की सखी बनाये दे रहे हैं। तो श्रीमन्, स्त्रियां आम तौर से सखी उसी को बनाती हैं कि जो उनके घर के पास रहती हो, जो उनके जिले की हो, जो उनकी तहसील की हो, जो उनके प्रान्त की हो या उनके देश की हो। हम हिन्दी की सखी यहां किस को बनाये दे रहे हैं? अंग्रेजी को जिससे हम से कोई मतलब नहीं है। उसे मैं तो हिन्दी की सखी नहीं, सौत कहूंगा। वह सौत है हिन्दी की। हिन्दी की सखी तो वह हो ही नहीं सकती। हाथ में राजदंड लिये हुए हिन्दी के सिर पर सवार है वह और हम उसको कहें कि वह हिन्दी की सखी है? सखी नहीं, अरे वह सौत है। श्रीमन्, देश में अंग्रेजी जब पहले पहल आयी तो वह अंग्रेजों की सहूलियत के लिये आयी थी और अब जब वे देश छोड़ गये हैं तो जिनको वे छोड़ गये हैं, मतलब मेरा इन दो तबकों से है, उनकी सहूलियत के लिये इसे कायम रखा जा रहा है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हिन्दी को उस स्थान पर पहुंचाना है जिस स्थान के लिये हमारे संविधान के बनाने वाले बड़े-बड़े राजनायकों ने अपना समय लगा कर एक चीज कायम की थी, देशभक्त राष्ट्रपिता और अनेकों देशभक्तों की जो राय है, उस स्थान पर हिन्दी को पहुंचाने के लिये यह जो अंग्रेजी को, फिर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि अनिश्चित काल तक हिन्दी की साथी बन कर डंडा लेकर हाथ में वह बैठी रहे, यह उचित नहीं है। इसीलिये श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें इधर उधर की बात नहीं है, इसमें विरोध अनुरोध की बात नहीं है, इसमें भावनाओं की बात है, इसमें देश और प्रदेश की बात है, भक्ति की बात है और इसलिये निवेदन है कि हम खुल कर अपने विचार सामने रखें और इसमें हमें किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिये। तभी हमारे राष्ट्रनायक जो हैं उनको मालूम पड़ेगा कि वाकई में देश की जनता हिन्दी के प्रति क्या भावना रखती है ताकि आगे चल कर हिन्दी को अपना उचित स्थान प्राप्त हो सके।

श्री अधिष्ठाता—
माननीय मंत्री महोदय।

वित्त मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—
मान्यवर, मैं क्या पहले ही बोल लूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

नियम में दिया हुआ है कि उन्होंने पेश कर दिया और उसके बाद माननीय मंत्री वक्तव्य देंगे ।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

और उसके बाद क्या होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

नियम यह है कि:

"There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister shall reply shortly. Any other member may be permitted to take part in the discussion."

तो मिनिस्टर का उसके बाद बोलना जरूरी है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

हाउस के सामने कोई मोशन तो है नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मोशन कोई हाउस के सामने नहीं है । यह सदन में केवल चर्चा के लिये रखा गया है । यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं । यह बात आप क्यों बार-बार रिपीट कर रहे हैं । यह केवल चर्चा के लिये है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

एक प्वाइंट आफ आर्डर है । आपने कहा कि मोशन नहीं है तो जब मोशन नहीं है तब आप मंत्री को क्यों कम्पेल करते हैं कि वही बोलें ।

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप नियम का अध्ययन करें तब बातें करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

ज्यादा अच्छा होता कि मेम्बर्स पहले अपने विचार प्रकट करते ।

श्री अधिष्ठाता—

नियम ५५ के मुताबिक ही कार्यवाही हो सकती है । उस नियम का आप क्यों उल्लंघन करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, वैसे तो मैं कुंवर श्रीपालसिंह जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रश्न इस सभा में उपस्थित किया है जिसकी देश में बड़ी चर्चा है, केन्द्रीय पार्लियामेंट में भी और विभिन्न प्रदेशों में भी और अपने प्रदेश में भी । कुछ राजनीतिक दल इस विषय को विशेष रूप से लेकर विशेष रूप से चर्चा भी करते हैं । वैसे प्रश्न भी मैं समझता हूं कि बड़ा गम्भीर है । जैसा कि अभी कुंवर साहब ने कहा हमारे संविधान के अनुसार हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है । और आज से १५ वर्ष पूर्व हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर सारे देश ने, चाहे विभिन्न भाषाभाषी रहा हो, सबने मिलजुल कर हिन्दी को राष्ट्र भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया । संविधान की जो धारा है उसके अनुसार हिन्दी राष्ट्रभाषा है । आज जो परिवर्तन करने की चेष्टा की जा रही है उसके बाद भी हिन्दी राष्ट्रभाषा बनी रहेगी और रहेगी और जो अधिकार हिन्दी का आज है वह वैसा ही रहेगा ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं । नियम ५५ के मुताबिक, जिसके मातहत आपने आदेश दिया, प्रस्तावक एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा और मंत्री भी संक्षिप्त वक्तव्य

देंगे लेकिन किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जायगा। उसके अन्दर कहीं ऐसा नहीं है कि पहले मंत्री ही को उत्तर देने का अधिकार है। सदन के समस्त विचारों को सुनकर मंत्री उत्तर देंगे। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि अन्य लोगों को आप अवसर दें।

श्री अध्यक्षता—

नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। उसमें पहले, प्रस्तावक, उसके बाद मिनिस्टर बोलेंगे और फिर यदि आवश्यक हो और यह नहीं है कि उस पर डिस्कशन होना अनिवार्य हो। अगर अनिवार्य न हो तो डिस्कशन समाप्त भी हो सकता है लेकिन अगर जरूरत समझी जाय तो डिस्कशन में अन्य लोग भी भाग ले सकते हैं।

श्री रामलखन शुक्ल—

मान्यवर, हमारी नियमावली में तो इसी प्रकार है कि अन्य लोगों को सुनने के उपरान्त मंत्री उत्तर देंगे। अगर आपकी नियमावली में कुछ और हो जैसा कि आप कह रहे हैं तो कृपया हम लोगों को बतला दें।

श्री अध्यक्षता—

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। आपकी बात तब सही होती अगर प्रस्ताव के रूप में यह आया होता। लेकिन यह प्रस्ताव के रूप में नहीं है सिर्फ चर्चा के लिये है। चर्चा के अन्तर्गत जैसा आप चाहते हैं वैसा उसका मतलब नहीं है, न इस पर मतदान ही हो सकता है। जो व्यवस्था नियमावली में है उसी के मुताबिक कार्यवाही हो रही है। माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज जो संशोधन प्रस्तावित है संविधान में उसके बाद भी हिन्दी का जो स्थान आज है और आज से १५ वर्ष पूर्व संविधान सम्मेलन ने निर्धारित किया उस स्थान में, उसके अधिकार क्षेत्र में कोई कमी नहीं आती और जिस राष्ट्र के लिये राष्ट्र भाषा के रूप में वह स्वीकार की गई है, उसके लिये वह राष्ट्र भाषा प्रतिष्ठित रहेगी। उसी दशा में यह भी है कि १५ वर्ष तक अंग्रेजी भी साथ साथ चल सकती है। यद्यपि राष्ट्रभाषा हिन्दी ही रहेगी। आज जो संशोधन हो रहा है, उसका अर्थ यह है कि अभी कुछ और काल तक जो वर्तमान स्थिति है, वही बनी रहे। यह बात सही है कि कल्पना यह अवश्य थी कि १५ साल के बाद स्थिति में परिवर्तन हो जायगा और एकमात्र हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा के रूप में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। आज जो संशोधन हो रहा है, वहां कदाचित् यह समझा जा रहा है कि हिन्दी को जो पद हमने दिया है और १५ साल के बाद जो हमारी यह भावना थी कि उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जायगी, उस ध्येय और प्रयास में अभी हमें सफलता नहीं मिल पाई है। अभी वह सब कार्य हिन्दी से नहीं चल पायेंगे जो कार्य १५ वर्ष के बाद उससे चलना चाहिए। जब तक वह स्थिति न आ जाय तब तक के लिये आज जो स्थिति है, वही चलती रहनी चाहिए। इस संशोधन का अर्थ केवल इतना ही है।

श्रीमन्, अब इसमें विचारों में भी मतभेद हो सकता है। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, जो हिन्दी के भाषा के रूप में भी भक्त हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के अवसर पर संविधान सम्मेलन में भी अपनी ओर से बड़ा प्रयास किया था। मैं यह निवेदन कर दूं कि मैं भी उन आदमियों में से था, जो कि संविधान सम्मेलन में उस समय उपस्थित थे। राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का जो संघर्ष चल रहा था, उसमें बहुत से लोग इस पक्ष के थे कि हिन्दी को ही वह स्थान नहीं मिलना चाहिए। किन्तु प्रसन्नता की बात यह है कि केवल हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश के लोग ही नहीं, अर्थात्, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तथा कुछ पंजाब का भाग, केवल इतना ही नहीं प्रत्युत भगवान की कृपा से, अन्य भाषा भाषी प्रदेशों के अर्थात् अहिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों के लोगों में से भी बहुत से लोग उसके समर्थक

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

थे। पर्याप्त विचारों के संघर्ष के उपरान्त हिन्दी अपने पद पर प्रतिष्ठित हुई।

अभी जो माननीय कुंवर साहब ने अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने अंग्रेजी के विरुद्ध बहुत से तर्क दिये कि इस देश में अंग्रेजी नहीं रहनी चाहिए। मेरे विचार में आज बहुत अधिक आवश्यकता इस तर्क की नहीं है। किसी भी स्वाभिमानी देश के लिये जिसकी राष्ट्रीयता हो, अपने यहां किसी विदेशी भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में बनाये रखना, कोई शोभा की बात नहीं हो सकती है। फिर भारतवर्ष ऐसे देश के लिये जो और चाहे किसी भी विषय में दरिद्र न रहा हो, अकिंचन रहा हो, परन्तु भाषा के विषय में, साहित्य के विषय में, संस्कृति के विषय में, केवल शताब्दियों से ही नहीं, सहस्त्रशताब्दियों से कभी अकिंचन नहीं रहा है। इस देश में कोई विदेशी भाषा राष्ट्र भाषा बनी रहे, यह कोई स्वीकार नहीं कर सकता है और न करेगा। यह निश्चित मत है कि अंग्रेजी को हटना है, जो भी उसको आज स्थान प्राप्त है, उससे उसको अवश्य हटना है। अंग्रेजी का जो पठन-पाठन है, उसको उससे नहीं हटना है, जो उसका साहित्य है, उससे उसको नहीं हटना है, जो उससे देश को लाभ हो सकता है, उससे उसको नहीं हटना है और न उन लाभों से देश को वंचित कराना ही उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। हमारे देश में वह रहेगी, वह हमारे जीवन में रहेगी, वह हमारे अध्ययन, पठन-पाठन और हमारे अनुशीलन में एवं हमारे अनुसंधान क्षेत्र में रहेगी। पर राष्ट्रभाषा के रूप में अंग्रेजी बनी रहे, यह स्वीकार नहीं हो सकता देश को, और यह अस्वीकार आज से नहीं, आज से १५ वर्ष पूर्व हो गयी। फिर अंग्रेजी के विरुद्ध तो तर्क देने की आवश्यकता नहीं। यह मानी हुई बात है कि हमारे देश की एक राष्ट्र-भाषा रहे। हिन्दी के पक्ष में भी बहुत अधिक तर्क देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समस्त तर्क अनेक बार आ चुके हैं, विवादों में आ चुके हैं। आज हिन्दी २०–२४ करोड़ आदमी इस देश का बोलता है, समझता इससे भी अधिक है। जो अहिन्दी प्रदेश के लोग हैं वह भी हिन्दी बोल न सकते हों, लिख न सकते हों, लेकिन हिन्दी समझते हैं, बहुत काफी समझते हैं। यह बात सही है कि अगर हिन्दी संस्कृत-निष्ठ होगी तो अधिक प्रदेशों के लोग समझते हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत बात है, आपसे क्षमा मांगत हुए निवेदन करता हूं कि संविधान सम्मेलन में किसी एक विषय पर मुझे बोलने का अवसर दे दिया गया। कुछ बोला वहां, तो हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति बाबू श्रद्धेय राजेन्द्र प्रसाद जी हमारे संविधान सम्मेलन के अध्यक्ष थे—उन्होंने एक अवसर दिया था बोलने के लिए। तो उन्होंने अहिन्दी प्रदश के लोगों के सामने पुर्जा भेजा कि कितनी हिन्दी तुम समझ पा रहे हो। वहां तामिल, कन्नड़, आंध्र और करनाटक के लोग थे, उन्होंने लिख कर भेजा कि ८५ परसेंट समझ रहे हैं (तालियां)। तो उस वक्त उन्होंने संविधान सम्मेलन में किसी वक्त कहा कि इस प्रकार की हिन्दी को ८०–८५ फीसदी लोग समझते हैं। तो हिन्दी समझते बहुत ह। उसको राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का आग्रह इसलिए नहीं है कि हम हिन्दी भाषा भाषी हैं। हिन्दी राष्ट्रभाषा बनान के पीछे कोई साम्प्रदायिक दृष्टि नहीं है, जैसा कि अक्सर कह दिया जाता है कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है, इसलिए उसको राष्ट्रभाषा बना दिया जाय और जैसा कि अभी कुंवर साहब ने कहा कि देश हिन्दू का, राष्ट्रभाषा हिन्दी की और हुकूमत अंग्रेजी की। हम तो इस देश को हिन्दू का नहीं मानते और और न हिन्दी को हिन्दू की भाषा मानते हैं। हम तो मानते यह हैं कि यह हिन्द देश है और उसकी भाषा हिन्दी है। तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के पीछे कोई साम्प्रदायिक दृष्टि नहीं है केवल एक दृष्टि यह थी कि राष्ट्र भाषा वही भाषा हो सकती ह जिसको राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग बोलते हों और समझते हों। वही भाषा हो सकती है जिसके द्वारा राष्ट्र का हृदय, उसकी आत्मा की अनुभूति, उसकी आकांक्षा, उसकी महात्वाकांक्षा सब व्यक्त हो सकती हो और ऐतिहासिक दृष्टि से समझा यह जाता है कि हमारे देश में किसी युग में संस्कृत का प्रचलन था, श्रीमन्, समय कितना है ?

श्री अधिष्ठाता—

२५ मिनट आर्डिनरली दिये जाते हैं, वही मैं दे दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---
लेकिन प्रश्न जरा महत्वपूर्ण है.....

श्री अधिष्ठाता---
यदि आप चाहें तो ३० मिनट दे सकता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---
श्रीमन्.....

श्री अधिष्ठाता---
आप अपना भाषण जारी रखें, मैं देखूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---
मैं बहुत शीघ्र समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

मैं निवेदन यह कर रहा था कि किसी युग में संस्कृत यहां प्रचलित थी। वह एक ऐसी भाषा जो सारे देश में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिसे साहित्यिक भाषा कहते हैं, वह रही होगी-बोली जाने वाली नहीं थी, वह भाषा तो प्राकृत थी, अपभ्रंश थी, लेकिन उसकी सारी संस्कृति, सारा साहित्य, सारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सारी जीवन-चर्या, उसका आचरण, उसकी विधि और निषेध वह सब संस्कृत में व्यक्त हुआ। कहते हैं तामिल का उतना संबंध उससे नहीं है यद्यपि उसके भी ४० फीसदी शब्द इसमें मिलते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अन्य प्रदेश की भाषाओं का संबंध भी हमारी संस्कृति से है। जो भाषा हमारी संस्कृत से निकली है, वही भाषा राष्ट्र भाषा बन सकती है और हिन्दी ही वह भाषा है जो राष्ट्रभाषा बन सकती है, उसे राष्ट्रभाषा बना भी लिया गया है।

अब प्रश्न दो तीन सामने आते हैं। न तो अंग्रेजी के पक्ष में कोई तर्क दिये गये हैं, न हिन्दी के विरोध में। जो भी तर्क आप सब देते हैं, उससे हम सब सहमत हैं। प्रश्न सामने यह आता है कि भाषा का एक सबसे बड़ा काम होता है और वह होता है उसका राष्ट्र की एकता में सहायक होना। कोई भाषा राष्ट्र भाषा हो नहीं सकती यदि वह भाषा राष्ट्र की एकता में सहायक न हो। यदि कोई भी भाषा राष्ट्र की एकता में बाधक होती है तो आपको उसे हटाना होगा। वह किसी भी कारण से बाधक हो, चाहे लोगों की भ्रांतियों के कारण हो, चाहे दुराग्रह के कारण हो, चाहे किसी स्वार्थ की वजह से हो, उसके अनेक कारण हो सकते हैं, अगर वह बाधक है तो राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। उसके लिये जरूरी है कि वह राष्ट्र की एकता के लिये सहायक हो। संविधान की धाराओं से ही या कानून से या डंडे के बल पर कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती, वह बन सकती है जिसको राष्ट्र ने हृदय से स्वीकार किया है। ४०० वर्षों तक, अंग्रेजों द्वारा, हजार चेष्टा करने पर भी अंग्रेजी को वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका जो स्थान उसके जनकों ने इस देश और प्रदेश में थोपने के लिये सोचा था। मेरा खयाल है अंग्रेजी जानने वाले हमारे यहां ०.१ परसेंट ही हैं, मुझे ठीक पता नहीं, किसी ने शायद २ परसेंट बताया, जो भी हो, मगर आप देखें कि ४०० वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद भी, तमाम प्रलोभनों के बाद भी, उसका प्रतिशत इतना कम रहा। मैं कहता हूं कि मुगलों के जमाने में परशियन जितनी बोली और समझी जाती थी उतनी अंग्रेज ४०० वर्षों में भी नहीं पनपा सके। इसलिये मैं कहता हूं कि डंडे और प्रलोभन आदि के भय से कोई भाषा राष्ट्र भाषा नहीं बन सकती। इतिहास और मनोविज्ञान का अध्ययन करने वालों की दृष्टि से यह सम्भव नहीं है। हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिये हिन्दी को अहिन्दी भाषा भाषियों के निकट ले जाना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो केवल संविधान में हिन्दी को रख देने से, वहां से अंग्रेजी को हटा देने से, और डंडे और लाठी के जरिये हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने में सफलता नहीं मिल सकती। हम हिन्दी के भक्त हैं, हम समझते हैं कि वह देश की आत्मा को स्पष्ट करती है। हिन्दी में हजारों वर्षों की अनुभूति अभिव्यंजित हो रही है। लेकिन जब हम उसको राष्ट्रभाषा का स्वरूप देते हैं तो उसका मतलब

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

होता है कि वह देश में एकता उत्पन्न करे। अगर कोई भाषा एकता को उत्पन्न नहीं करती तो वह भाषा राष्ट्र भाषा बनने के योग्य नहीं है। आज हिन्दी के प्रति यह हो गया है। किसी कारण हो गया है। कारण स्वार्थ हो किसी का, राजनतिक दलबन्दी या गुटबन्दी हो, नौकरियों की इच्छा हो या एक संकुचित दृष्टि अपना ली हो जो लोग वह कह रहे हैं। भाषा का प्रश्न बड़ा भावुक प्रश्न है और उसका हृदय से उतना ही सम्बन्ध रहता है जितना मां के रक्त और दध का सम्बन्ध होता है बेटे से। भाषावार प्रान्तों के कारण देश विघटित हो सकता ह। भाषा का प्रश्न हृदय से सम्बन्ध रखता है। वह ऐसे ही आता है प्राणी में जैसे कि, मैंने अभी निवेदन किया, मां के रक्त और दूध के साथ उसके संस्कार बच्चे में आते हैं। बहुत सी भाषायें ऐसी हैं जिनकी प्रभुता, जिनके साहित्य की प्रभुता, हिन्दी के साहित्य से कम नहीं है। तेलगू, बंगला, मराठी, कन्नड़, तामिल को देखिये। ये ऐसी भाषायें हैं जिनका बड़ा विशाल और प्रौढ़ साहित्य है। अगर तुलना की जाय तो किसी प्रकार से भी हिन्दी के साहित्य से राई बराबर भी इनका साहित्य कम नहीं है, अधिक ही है। अब उनके मन में यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि जब हमारी भाषा किसी भाषा से कम नहीं है तो हमारी भाषा को क्यों न अपनाया जाय।

साहित्य की दृष्टि से हिन्दी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है। बनाई गई है इस दृष्टि से कि कितने आदमी इसे समझते हैं और बोलते हैं। आपको इन तर्कों को देखना है जो कि उपस्थित किया जाता है कि हिन्दी इम्पीरियलिज्म, जैसा कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। वे कहते हैं कि कानून के द्वारा, लाठी-सोटे से, बलपूर्वक हिन्दी हमारे ऊपर लादी जा रही है। ऐसे आन्दोलन हुए हैं और हो रहे हैं। एक आन्दोलन के प्रवर्तक वह रहे हैं जो हमारे आदरणीय अजेय राजाजी हैं। किसी जमाने में उन्होंने, जब वह चीफ मिनिस्टर थे, हिन्दी का विरोध करने के लिये सैकड़ों को जेल में बन्द किया जो कहते थे कि हिन्दी हमारे ऊपर जबरदस्ती लादी जा रही है। जिन महात्मा गांधी का नाम आपने लिया उनके शिष्यों में यह विरोध होता है जो सामने दिखाई दे रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप चाहें कि हिन्दी को बलपूर्वक राष्ट्रभाषा बनावें तो उससे देश का अहित होगा।

हिन्दी किसी भी क्षेत्रीय भाषा की प्रतिद्वन्दी नहीं है। तमाम क्षेत्रीय भाषायें अपने-अपने स्थान पर आदरणीय हैं, प्रतिष्ठित हैं, पूज्य हैं, उनकी उन्नति हो, उसके पठन-पाठन की तमाम सुविधायें मिलें। हिन्दी उर्दू की भी प्रतिद्वन्दिनी नहीं है। उर्दू हिन्दी की ही एक शैली है, उसे बढ़ना चाहिये, विकसित होना चाहिये। उसकी जबान में बड़ा लचीलापन है, नजाकत और जोर है, उसे बढ़ना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं है। हिन्दी किसी की प्रतिद्वन्दिनी नहीं है। अगर है तो अंग्रेजी की है। उसके स्थान पर हम इसे स्थापित करना चाहते हैं। पर आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सामने यह व्यू आ रहा है कि हिन्दी, तामिल, बंगला, तिलगू, मलियाली की प्रतिद्वंद्विनी है और हिन्दी इम्पीरियलिज्म का नारा उठाया जा रहा है। अगर हिन्दी को इस स्वरूप में हम जबरदस्ती ले जावें तो उस लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे जिसके लिये हम इच्छुक हैं कि भाषा के सूत्र से राष्ट्र को एक जगह बांधना है। उसमें हमारी दिक्कत होती है। जनतांत्रिक देश है आपका। आप संविधान की बात करते हो। आप राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और स्वाभिमान की बात करते हो। वह स्वाभिमान कहां रह जावेगा जब किसी भाषा के नाम पर उच्छृंखलता हमारे सामने आवे? किस प्रकार हमारी वह इच्छा पूरी होगी कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर हम रख दें और सचमुच प्राणी के हृदय के, प्राण के निकट वह आ जावें इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है।

आज जो संशोधन का प्रस्ताव हो रहा है वह केवल इस लिये हो रहा है कि किसी के मन पर इस बात की छाया न रहे कि हम हिन्दी भाषा-भाषी होने के कारण किसी के ऊपर बलपूर्वक, अपनी भाषा से प्रेम होने के कारण, उसे किसी की छाती पर लादने जा रहे हैं। कठिनाइयां भी उनकी प्रत्यक्ष हैं। वह भी देखने और सोचने की बात है। तमाम आल-इंडिया सर्विसेज, मिलीटरी सर्विसेज, जो हैं उनमें वे भी आना चाहते हैं और हम

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर सकें। और इसी प्रकार से हिन्दी को अंग्रेजी की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आप इसी दृष्टिकोण से विचार करें और राजनीतिक स्तर से ऊंचे उठ कर विचार करें तो मुझे आशा है आप हमारे विचारों से सहमत होंगे क्योंकि यह एक साधारण प्रश्न नहीं है, भावुकता का प्रश्न है, अकारण ही इस प्रश्न को रगड़ कर राजनीति के क्षेत्र का अखाड़ा बना देना उचित न होगा। "न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंज्ञिनाम्" इससे साधारण समाज में केवल बुद्धिभेद ही उत्पन्न होगा और हमारा जो लक्ष्य है वह हमें मिलेगा नहीं। जो देश भक्त हैं वे राष्ट्र की एकता के लिये भाषा को बलिदान कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता को भाषा के लिये बलिदान नहीं कर सकते। वह हमारा लक्ष्य नहीं है साधन है और लक्ष्य हमारा स्वतंत्र और देश की एकता है। अतः हमें कभी भी उस साधन को नहीं अपनाना चाहिये जिससे हमारे लक्ष्य की सिद्धि न हो। हमारे राजनीति का साधन इसे भले ही हम बना लें लेकिन उससे हमें जो हमारा लक्ष्य है वह प्राप्त न होगा। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैंने अपने विचार व्यक्त किये। मैं आशा करता हूं कि कुंवर साहब और उनके साथी हिन्दी को जिस राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन करना चाहते हैं, इस साधन से नहीं कर सकते हैं। उसके लिये हमें अपने लक्ष्य को ही ध्यान में रखना होगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जिस विषय पर चर्चा हो रही है और माननीय कुंवर श्रीपालसिंह ने उसके संबंध में जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं, उनसे अपनी असहमति प्रकट करता हूं। माननीय त्रिपाठी जी ने जिन शब्दों में और जिस प्रकार इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। भाषा का प्रश्न राष्ट्रीय एकता के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है और आज हमारे देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय एकता का है। यह बात हम सभी लोगों को याद है कि चीनी आक्रमण के पहले हमारे देश में सबसे बड़ा प्रश्न राष्ट्रीय एकता का ही था और ऐसा लग रहा था हमारे देश के महान् नेताओं और मनीषियों को कि हमारी राष्ट्रीय एकता शायद कायम न रह सकेगी। दक्षिण हिन्दुस्तान के अलग होने की बात, द्रविड़स्थान के बनाये जाने की मांग, सिक्खस्थान की बात, नागालैन्ड का सवाल, आसाम के कछार को एक अलग सूबा के रूप में बनाये जाने की बात, हिन्दी उर्दू का सवाल, ये तमाम चीजें इस प्रकार की उठायी गयीं थी कि हम सब को इस बात का भय पैदा हो गया और इसीलिये भारत सरकार ने एक कमेटी बनायी और राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनायी कि वे इस प्रश्न पर विचार करें कि राष्ट्रीय एकता किस प्रकार कायम रखी जा सकती है। भाषा एकता का बहुत बड़ा स्रोत भी है और भाषा जाति और विभिन्न जन के हिस्से को अलग करने का बहुत बड़ा कारण और आधार भी बन जाती है।

मान्यवर, हमारा देश बहुभाषी और बहुजातीय देश है और हजारों वर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे पूरे देश की बहुत सी भाषायें और बहुत सी जातियां बनी हुई हैं और उनका अपना अलग-अलग अस्तित्व हमारे देश के पूरे क्षेत्र में मौजूद हैं। हिन्दी के अत्युतसाहियों ने अनजाने में ही सही, लेकिन हिन्दी का अहित करना शुरू कर दिया है। मान्यवर, हमें इस बात को नहीं भूल जाना है कि हमारे देश में सांस्कृतिक एकता बराबर रही है। जब बद्रीनाथ, सेतुबन्ध रामेश्वरम्, द्वारिकाधाम, जगन्नाथधाम की हम कल्पना करते हैं तो हमारे देश में कल्चरल यूनिटी का भाव पैदा होता है लेकिन इतिहास के किसी दौर में भी हमारे देश में पोलिटिकल यूनिटी नहीं रही है। चाहे अशोक के युग को लिया जाय, चाहे समुद्रगुप्त के युग को लिया जाय, चाहे अकबर और औरंगजेब के युग को लिया जाय, कभी पोलिटिकल युनिटी हमारे देश में नहीं हो पायी। अंग्रेजी राज्य के जमाने में ही हिन्दुस्तान एक झंडे के नीचे आया जो विरासत के रूप में हमारी मौजूदा नेशनल सरकार को मिला है। देशी राज्यों के मिटने के बाद हमारे देश में पहली बार सही माने में एक संविधान के अन्तर्गत पोलिटिकल यूनिटी कायम हुई है। लेकिन इसके

साथ ही हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे अलग होकर एक नये देश के रूप में पैदा हो गया। मेरा आशय पाकिस्तान के निर्माण से है।

मान्यवर, भाषाओं के विकास का अपना अलग-अलग इतिहास है। इतिहास के विकास के क्रमों में अनेक भाषायें पैदा हुई हैं। विश्व की विभिन्न भाषाओं और हमारे देश की अनेक भाषाओं का महत्व है और हिन्दुस्तान में उनका एक साहित्यिक रूप है। तो इन सभी चीजों को आपको अपने ध्यान में रखना है। माननीय त्रिपाठी जी ने बतलाया कि हमारे देश में हिन्दी ही नहीं बल्कि संस्कृत भी सही माने में पूर्व में जनभाषा नहीं बन पायी और प्राकृत ही अपभ्रंश के रूप में हमारी जनभाषा उस युग में रही लेकिन साहित्यिक भाषा संस्कृत रही। यह भी सत्य है कि हिन्दी हमारे देश के इतिहास में कभी राष्ट्र भाषा नहीं बन पायी जिसको सही माने में अपनी राष्ट्र भाषा बनाने का हमारा स्वप्न और आदर्श है और जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। हिन्दी को जब कोई राष्ट्रीय सहायता नहीं मिलती थी तब भी वह हमारे देश के अन्दर बढ़ी और अंग्रेजी जमाने में भी हिन्दी को कोई राजकीय सहायता नहीं मिली, फिर भी हिन्दी अपने आन्तरिक गुणों के कारण धीरे-धीरे ही देश के कोने-कोने में फैली। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पच्छिम तक करोड़ों आदमी ऐसे थे जो कि अंग्रेजी और मुसलमानी जमाने में हिन्दी समझते थे और यह स्थान हिन्दी को इतिहास के क्रम में स्वतः प्राप्त रहा है और आज जब मौजूदा सरकार हिन्दी को उत्साहित भी कर रही है और हिन्दी को उस स्थान पर आरूढ़ करने के लिए प्रत्यत्नशील भी है और जब कि हमारी संविधान सभा ने पहले ही उसको राष्ट्रीय भाषा की मान्यता दे दी है और यदि इस उत्साह के बल पर सही ढंग से हमने हिन्दी के विकास पर ध्यान दिया तो हिन्दी को वह स्थान प्राप्त हो जायगा जिस की हम सब को आकांक्षा है और जो सब चाहते हैं लेकिन थोड़ी-सी ही गलती से भयंकर परिणाम हो सकते हैं। हिन्दी की अन्धभक्ति हिन्दी को ही नहीं, बल्कि देश की एकता को भी खंडित कर सकती है और सारे राष्ट्रीय जीवन को गड्ढे में बढ़ा सकती है। इस खतरे की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय गान के प्रमुख अध्याय में ही जो 'जन मन गण अधिनायक' है उसी में हम अपनी राष्ट्रीय एकता को नहीं भुला सकते और उसी के द्वारा हमारा सारा राष्ट्रीय आन्दोलन पूरे देश में प्रवाहित होता था। सामन्तशाही जमाने में भी उस समय के सामंतों के अपने छोटे दायरे में ही सही 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी'। उन लोगों ने आजादी के लिये लड़ाई लड़ी और कुरबानी की अपने छोटे से क्षेत्र के लिये, उनको वही जन्मभूमि दिखाई पड़ती थी। जब केरल में श्यामलां कोमलां के गाने गाये जाते हैं दक्षिण क्षेत्र में तो उस छोटे से भूखंड में एक निष्ठा जो उनकी है वह सामने आती है। जहां अलग-अलग निष्ठायें हैं, अलग-अलग उपराष्ट्रीयता की भावनायें हैं वहां पर यदि कोई भी जल्दबाजी होगी या अवैज्ञानिक कदम उठाया जायगा तो हमारा लक्ष्य ही धूमिल हो जायगा और जहां हम पहुंचाना चाहते हैं हिन्दी को, उस ध्येय से ही हम भटक जायेंगे।

मान्यवर, आप देखें कि इसी देश में हिन्दी के अतिरिक्त और भी भाषायें हैं जिनका साहित्य बहुत धनी है और बंगला व मराठी के बारे में तो मैं बिना बहस के ही मान सकता हूं कि उनका साहित्य हमारी हिन्दी से भी ऊंचा और धनी है। उन भाषाओं का पोषण करने वालों के दिलों में भी यह भावना पैदा हो सकती है कि हमारी भाषा ही क्यों न राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करे और जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने कहा आरम्भ में ऐसी भावनायें रहीं, परन्तु इतिहास की दौड़ में यह स्थान हिन्दी को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो गया जिसको कि हम सब चाहते हैं कि उसको वह स्थान पूर्ण रूप से प्राप्त हो। यदि यहां अंग्रेजी राज्य न हुआ होता तो यहां अंग्रेजी के आने का सवाल न हुआ होता, लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास के थपेड़ों ने अंग्रेजी राज्य को यहां कायम किया और अंग्रेजी यहां आयी, वह हमारे जनजीवन में काफी हद तक पहुंची। हमारे यहां टेलीफोन टेलीग्राफ, रेल, टिकट, कापी, ट्यूबवेल, लाउड स्पीकर आदि शब्द अंग्रेजी के हजारों ऐसे हैं जो हमारे जनजीवन के भाग बन गये हैं और उनको हम किसी कलम की नोक से अब अलग नहीं कर सकते। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति भी ऐसी नहीं रही, हमने कितनी ही

[श्री झारखंडेराय]

भाषाओं और संस्कृतियों को आत्मसात किया है, निरस्त किया है और अपने में पचाया है, उनके गुणों को अपनाया है, वह हमारे देश की परम्परा रही है, एक विशेषता रही है हमारे इतिहास की। अगर आज हम उससे मुंह मोड़ते हैं तो न वह देशभक्ति होगी और न वह हिन्दी भक्ति ही होगी। अब उसी अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप अंग्रेजी को एक स्थान हमारे देश में मिला और वह राज्य भाषा बनी। राज्य करने वालों के इर्दगिर्द एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहे २ परसेंट हो या प्वाइन्ट वन परसेंट हो, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का हो गया। ऐसी स्थिति में विवश हो कर विशेष परिस्थितियों के कारण और व्यावहारिक दृष्टिकोण से देश को और सरकार को न चाहते हुये यह कदम उठाना पड़ा कि अंग्रेजी सह भाषा के रूप में रहे। हिन्दी भाषा भाषी हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं इसमें दो राय नहीं। सारी दुनिया की भाषाओं में जो सबसे ज्यादा भाषायें बोली जाती हैं उनमें हिन्दी भाषा भाषी भी हैं। हिन्दी हमारे प्रदेश की मातृ भाषा है, राष्ट्र भाषा है, राज्य भाषा है, यह राष्ट्र भाषा मान ली गयी है और सही मानी में उसे जनता के जीवन में कृतार्थ करना है। यह हमारा लक्ष्य है लेकिन हिन्दी को हम अन्य भाषा भाषियों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध लाद नहीं सकते, लादने का खयाल भी नहीं कर सकते। उनकी भावनाओं, इच्छाओं और कामनाओं का हमको समन्वय करना होगा तभी हम देश में एकता कायम कर सकते हैं। दक्षिण भारत में यह भावनायें हैं कि हिन्दी उन पर लादी जा रही, है उन भावनाओं को हमें दूर करना है और उस सन्देह को दूर करना है। अंग्रेजी दुनिया के कोने-कोने में है। इन्टरनेशनल लैंगवेज उसे कहा जा सकता है। उसको संसार में लोग काफी समझते हैं। आज की विशेष परिस्थितियों के कारण अंग्रेजी को अगर कुछ दिन तक हम सह भाषा के रूप में रखें तो हिन्दी की कोई हानि नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में और जनता के जीवन में और हिन्दी वह स्थान प्राप्त कर लेगी जो कि आज अंग्रेजी को प्राप्त है।

व्यावहारिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक विशेषताओं को देखते हुये हमारी परिस्थितियों का तकाजा है कि अभी उसे हिन्दुस्तान में रखा जाय। फिर ऐसी परिस्थिति में जब कि बाहर का देश हमारे दुश्मन के रूप में हमारी सीमाओं पर खड़ा हो और राष्ट्रीय एकता हमारा सर्वाधिक राष्ट्रीय प्रश्न बन गया हो और जिसके बिना हम अपने राष्ट्र के जीवन का कल्याण नहीं कर सकते उस समय इस सवाल को उठाना गलत होगा। दक्षिण भारत के लोगों को हमको संतुष्ट करना होगा तभी हम हिन्दी को उसका उचित स्थान दिला सकेंगे। मान्यवर, अन्त में मैं यह चाहूंगा कि कोई भी दल इस तरह का कोई कार्य इस बीच में न करे जिससे उसको आघात पहुंचे। नीयतों की कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कदम न उठाये जिससे हमारी सब से महत्वपूर्ण चीज राष्ट्रीय एकता पर किसी प्रकार से कोई चोट पहुंचे और वह राष्ट्रीय एकता जो हमारे देश में इतनी कभी भी नहीं रही, अनादिकाल से नहीं रही, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आन्दोलन के जमाने में भी नहीं रही, सन् ४२ के विद्रोह में भी जो राष्ट्रीय एकता नहीं पैदा हुई वह राष्ट्रीय एकता आज पैदा हुई है। इसलिये इस राष्ट्रीय एकता पर चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करनी है। अगर दक्षिण भारत के बहुत से अहिन्दी भाषा भाषी और अन्य लोग चाहते हैं कि अंग्रेजी को अभी कुछ दिन तक कायम रखा जाय तो कम से कम हम उत्तर प्रदेश के लोगों को तो कतई इस पर एतराज नहीं करना चाहिये और हमें यह बात मान लेनी चाहिये ताकि उनका शक और संदेह बिलकुल मिट जाय और इस बीच में हिन्दी के प्रेमियों का यह सब से बड़ा काम होगा कि हम हिन्दी को इस प्रकार का बनायें कि अन्य भाषा भाषी स्वयं कहें और लोक सभा में प्रस्ताव पेश करें कि अब अंग्रेजी को हटा देना चाहिये और हिन्दी का जो स्थान संविधान सभा ने मान लिया है वह उसको मिलना चाहिये। यह हमारे मुंह से न निकले, कुंवर साहब के मुंह से न निकले बल्कि यह निकले अहिन्दी भाषाभाषी लोगों को मुंह से।

इन शब्दों के साथ जो भावनायें माननीय त्रिपाठी जी ने व्यक्त की हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि कुंवर साहब अपने प्रस्ताव को वापस लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुकन्दीलाल। आप केवल १० मिनट बोलेंगे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने राष्ट्र भाषा और हिन्दी की उपयोगिता पर बहुत से लेख पढ़े हैं और भाषण सुने हैं पर जो भाषण आज हमारे वित्त मंत्रीजी ने राष्ट्र भाषा और हिन्दी की उपयोगिता पर दिया है वह मैं समझता हूं कि इस किस्म का भाषण है जिसको मैं अपने इनफार्मेशन मिनिस्टर से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि हिन्दी में छपवायें और अनुवाद अंग्रेजी में भी करवा कर दक्षिण में भेजें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमको इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि हमारे सामने इस वक्त क्या बातें हैं। एक प्रश्न है राष्ट्र भाषा का, एक प्रश्न है राज भाषा का और एक प्रश्न है संचार भाषा का। जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने कहा है, भाषा का प्रश्न एक साधारण प्रश्न नहीं है, वह केवल भावुकता का प्रश्न नहीं है, केवल देशभक्ति का प्रश्न नहीं है। वह उपयोगिता का और जिसको अंग्रेजी में प्रैक्टिल क्वेश्चन कहते हैं, उसका प्रश्न है। आजकल की हिन्दी में हम कैसे पहुंचे। क्या हमारे बीच में कोई एसा व्यक्ति है जो प्राकृत भाषा को या संस्कृत भाषा को समझता है या आजकल की हिन्दी को समझ पाता है। कुंवर श्री पार्लसिंह ने रहीम का नाम लिया, जायसी का नाम लिया, लेकिन वह रसखान को भूल गये। क्या जिस हिन्दी को हम आज प्रयोग में ला रहे हैं वह मलिक जायसी, रसखान, तुलसीदास या कबीर की भाषा है? हम ऐसी क्लिष्ट हिन्दी को बना रहे हैं जिसके कारण आज हिन्दी का विरोध हो रहा है। इसलिये जैसा कि हमारे वित्त मंत्रीजी ने कहा है, हमको चाहिये यही कि हम उसको राष्ट्रीय भाषा बनायें जो कि सारे देश को स्वीकार हो और वह कैसे बन सकती है? अन्य भाषाओं के, अंग्रेजी के भी, फ्रेन्च के भी अल्फाज हम लें। क्या हम इससे हिन्दी की सेवा कर रहे हैं कि बजाय पेशाबघर को मूत्र गृह कहें, बजाय तम्बाकू कहने के धूम्रपान कहें? मैं यही दो शब्द कहूंगा। ऐसे हजारों क्लिष्ट शब्द बनाये गये हैं जिनको उन शब्दों की रचना करने वाले भी नहीं समझ पाते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमको भाषा इस तरह से अपनानी चाहिये, या उसका इस तरह से सुधार करना चाहिये जो कि सर्व-व्यापी हो, सबकी समझ में आवे। अब सवाल दूसरा यह आता है कि अंग्रेजी हमारे ऊपर कैसे थोप दी गई? हम सब जानते हैं कि अंग्रेज जब यहां आये तो उन्होंने एक राजभाषा बनायी। १८५४ में कानून बनाया कि स्कूलों में यह भाषा होनी चाहिये, दफ्तरों में होनी चाहिये। जब हमने अंग्रेजों को निकाल दिया तो फिर राष्ट्र-भाषा का सवाल उपस्थित हुआ कि कौन-सी भाषा राष्ट्रभाषा हो। हिन्दी को हमने इसलिये रखा कि हमने सोचा कि तीन चार प्रान्त ऐसे हैं कि जहां हिन्दी बोली जाती है, समझी जा सकती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि दक्षिण के लोगों को कुछ शुबहा हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी प्रान्तीय भाषा नष्ट कर दी जाय, हिन्दी हमारे ऊपर थोप दी जाय, तो हमारे नेताओं ने यह सोचा है कि हम अंग्रेजी को कुछ दिन चलते रहने दें और हिन्दी को धीरे-धीरे आगे बढ़ायें। श्रीपाल सिंह जी ने बहुत सारे नाम हिन्दी के हिमायतियों के दिये हैं। मगर वह भूल गये कि हमारे राष्ट्र के नेता नेहरू जी की क्या राय है, राधाकृष्णनन् जी की क्या राय है, और बड़े-बड़े नेताओं की क्या राय है, मास्टरों की क्या राय है, प्रोफेसरों की क्या राय है, बड़े-बड़े विद्वानों की क्या राय है? अगर आज हम अंग्रेजी को बिलकुल बायकाट कर दें, उसका बहिष्कार कर दें तो क्या आज हमारे पास विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें हैं, मेडिकल साइंस की पुस्तकें हैं जिनसे हमारा काम चल सके? यही कारण है कि हमारे नेताओं ने यह निश्चय किया है कि धीरे-धीरे अंग्रेजी अपने आप ही चली जायगी और तब तक धीरे-धीरे हम अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुवाद कर लेंगे और फिर जब और देशों के लोग तीन तीन चार चार भाषायें सीखते हैं तो क्या हम दो तीन भाषायें नहीं सीख सकते हैं—अंग्रेजी भी सीखें, हिन्दी भी सीखें और प्रान्तीय भाषा भी सीखें, क्योंकि भाषा इतने आगे कैसे आ गई? हम जानते हैं कि यूरोप में एक ऐसा समय था जब लैटिन सारे यूरप की भाषा थी, फिर फ्रेंच सारे यूरप की भाषा हुई और आज सारे यूरप की नहीं सारे संसार की व्यावहारिक भाषा बिजनेस की भाषा, राजनीतिक भाषा कौन है? अंग्रेजी है। तो जब अंग्रेजी भाषा प्रचलित है तो

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

हम भी उसको क्यों न सीखें, उसके सीखने में हमें क्या हर्ज है ? हम लोग अपने को बड़े भारी पंडित मानते हैं, हम हिन्दी सीख सकते हैं, बंगला सीख सकते हैं और अन्य भाषायें सीख सकते हैं तो क्या अंग्रेजी को नहीं सीख सकते हैं ? मैं कुंवर साहब से पूछूंगा कि कुंवर साहब के बालक अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ते हैं या हिन्दी पढ़ाने वाले किसी स्कूल में पढ़ते है ? आज हम खुद यह जानते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है । एक समय था सन् ४७ में जब कि हम यह समझते थे कि अंग्रेज गये, अब अंग्रेजी स्कूल सब बन्द हो जायेंगे । लेकिन आज क्या हालत है ? जिन अंग्रेजी स्कूलों में पहले ५०–५० लड़के पढ़ते थे आज वहां पांच-पांच सौ लड़के हैं । वह बालक-बालिकायें किनके हैं ? हमीं लोगों के तो हैं जो अंग्रेजी को जल्द से जल्द हटाना चाहते हैं । इससे साफ जाहिर होता है कि हम जानते हैं इस समय वैज्ञानिक पुस्तकें चिकित्सा संबंधी और इतिहास पर अध्ययन व पाठ की सब पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। जब तक हिन्दी में इन विषयों पर मूल ग्रन्थ नहीं लिखे जाते हैं तब तक अंग्रेजी सीखना जरूरी है । इसलिये हम उसमें अपने बालकों को अंग्रेजी शिक्षा देने वाले स्कूलों में भेजते हैं । कोई यह नहीं कहता कि जितने अंग्रेजी स्कूल हैं सब में हिन्दी न पढ़ाई जाय । इसलिये यह प्रस्ताव पेश करना की अंग्रेजी को आगे नहीं चलने देना चाहिये, उसको हटा दिया जाय, यह नष्टकारी धारणा बहुत ही हानिकारक है । हमको चाहिये कि विकासकारी धारणा अपने अन्दर पैदा करें । हिन्दी का विकास सरलतापूर्वक चलता रहे तो मुमकिन है कि एक दिन अंग्रेजी का प्रचार कम हो जाय, लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अंग्रेजी भारतवर्ष से बिल्कुल लोप हो जायगी, अगर कोई ऐसा वक्त आये कि ऐटम बम से संसार ही नष्ट हो जाय तो मुमकिन है, अंग्रेजी भी और दुनिया की जितनी भी भाषायें हैं वह सब नष्ट हो जायं और फिर कोई दूसरी भाषा आये, लेकिन वर्तमान स्थिति में हिन्दी भी चलेगी और अंग्रेजी भी चलती रहेगी ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यह न समझा जाय कि मैं हिन्दी का विरोधी हूं । मैं तो हिन्दी को सन् ४ से अपना चुका था । सब उस समय से मैं हिन्दी में लिखता आ रहा हूं । पंडित मदनमोहन मालवीय जी ने "अभ्युदय" प्रकाशित किया था तो उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि तुम हिन्दी के अभ्युदय के लिये लिखो । तब से बराबर मैं हिन्दी में मासिक और पाक्षिक पत्रिकाओं को लेख लिखकर देता रहा । मैं यह जानता हूं कि हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए, उसकी सुविधा के लिए यह जरूरी है कि हिन्दी की उन्नति करें । मगर कैसी हिन्दी हो ? जैसी हिन्दी का वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया है––साधारण हिन्दी । मैं तो यह बात भी चाहता हूं कि अगर कुंवर श्रीपाल सिंह जी के व्याख्यान का यह असर होता है कि जितने हमारे विधेयक है सब हिन्दी में लिखने का प्रयास करें यह उचित होता । कितने ऐसे-ऐसे मेम्बर्स हैं, जो इस बात का प्रण करें कि हम हिन्दी में लेख लिखेंगे, हिन्दी में पुस्तकें लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखता हूं, तभी हिन्दी की सेवा हो सकती है । सिर्फ यह कह देने से कि अंग्रेजी को निकाल दो, उसका प्रयोग बन्द कर दो और हिन्दी सब के सिर पर लाद दो, इससे हमारा काम नहीं चलेगा । अन्त में, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारे संकुचित विचार हैं, जो संकुचित भावना हमारे मन में हैं उनको छोड़ कर ऐसे साधन प्रयोग करें कि जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में सहायक हों । हमारे कामों में और हमारे विचारों में समता रहनी चाहिये । हमारा ध्येय है इस राष्ट्र का पुनःनिर्माण करना, इस राष्ट्र को सर्वशक्तिमान बनाना और उन शत्रुओं से बचाना कि जो हमारे पर आक्रमण करने के लिये तैयार हैं । यह हम कैसे कर सकते हैं ? कैसे हमारे बीच में एकता हो सकती है , जिससे बढ़ें और राष्ट्रयता जाग्रत हो ? यह हमें सोचना है । केवल नारे लगाने से यह कार्य नहीं होगा और बहुत सोच विचार कर हमको इसके लिये कदम उठाने पड़ेंगे । धन्यवाद ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, आज साल भर के बाद यह पहला मौका है कि मुझे उन बेंचों पर बैठने वाले लोगों का समर्थन करने का अवसर मिला। बात यह है कि शायद पहली बार एक ऐसी चीज सदन के अन्दर आयी है कि जिसे मैं समझता हूं कि उधर बेंचों पर बैठने वालों का समर्थन प्राप्त है। बावजूद इस बात के कि देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी है, सन् १९४७ के बाद एक आन्दोलन देश के अन्दर चला और उसके बाद देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया, लेकिन पोलिटिकल खयालात को ध्यान में रखते हुये देश के हालात बदले। देश में जो एलेक्शन हुए उन्होंने हिन्दी को नुकसान पहुंचाया। उस जमाने में हिन्दी के समझने वालों ने, हिन्दी का प्रचार करने वालों ने हिन्दी को जितना नुकसान पहुंचाया उतना नुकसान हिन्दी के दुश्मनों ने भी उसे नहीं पहुंचाया। वे उतना नुकसान पहुंचाने की सोचते भी नहीं थे।

मैं आप के सामने एक दूसरी चीज पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि अगर हिन्दी के समर्थक उस भावना से शान्ति के साथ यह चाहते कि अहिन्दीभाषी लोग भी हिन्दी को अपनायें तो कोई ऐसी चीज देश के अन्दर पैदा ही नहीं होती कि जिससे हिन्दी को नुकसान पहुंचने की बात होती, लेकिन शायद हिन्दी को चाहने वाले दिल से चाहते भी थे या नहीं, या उन्होंने केवल पोलिटिकल खयालात को सामने रखते हुए उस हिन्दी के नाम पर देश के अन्दर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि जिसने हिन्दी को बहुत नुकसान पहुंचाया और जिसकी कहानी हम जानते हैं। पंजाब में जो हिन्दी एजीटेशन चला वह उस वक्त न चलता तो अच्छा होता। आप जानते हैं कि उस एजीटेशन के समय तक देश के सभी सूबों में हिन्दी फैलती जा रही थी, लेकिन उस आन्दोलन ने ऐसा रूप पकड़ा कि पंजाब गवर्नमेंट को और यहां की गवर्नमेंट को उस तरफ मजबूर होकर ध्यान देना पड़ा। जब यहां से आन्दोलनकारियों के जत्थे पर जत्थे पंजाब में जाने लगे तो कोई भी सरकार उसे सहन नहीं कर सकती थी और उस आन्दोलन से देश में ऐसा वातावरण पैदा हुआ कि जिससे पंजाब ही ने इन्कार न किया, बल्कि उसने कहा कि हम उर्दू को अपने प्रान्त में रखना बेहतर समझेंगे बजाय हिन्दी के। एक ऐसी हवा वहां पैदा हो गयी और उसकी देखा-देखी बंगाल ने भी इन्कार कर दिया कि हम हिन्दी के समर्थक नहीं हैं। राजा जी भी खड़े हो गये कि हम इस तरीके से मंजूर करने के लिये तैयार नहीं हैं। तो देश में इस बात को लेकर इतना डिसटीग्रेशन दिखायी देने लगा कि हर सूबा एक दूसरे से बिखरने लगा और ऐसा नजर आने लगा कि देश जैसे टुकड़े-टुकड़े हो जायगा। हिन्दी के समर्थक अगर अच्छी भावना के रहते हुये भी हिन्दी को बढ़ोत्तरी देना चाहते हैं, अगर वह चाहते हैं चौतरफा हिन्दी की तरक्की हो तो उन्हें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना चाहिये, जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा, मैं उनके एक-एक शब्द का समर्थन करता हूं, उनकी भावनाओं का समर्थन करता हूं जिसको लेकर आज वे हमारे सामने खड़े हुये थे, हम लोगों को अन्य लोगों की भावनाओं का खयाल रखना है और एकता का विचार अपने से नहीं हटाना है। अगर हम देश की एकता को सामने रखते तो आज इस रिजोल्यूशन को सामने न लाते। इस पर यहां विवाद न होता तो ज्यादा बेहतर होता और देश की एकता को ज्यादा बल मिलता। बहरहाल, चूंकि यहां इजाजत दे दी गयी और हमको कुछ कहना सुनना पड़ा लेकिन इससे भी ऐसी भावना देश के अन्दर नहीं पैदा हो सकती है कि हिन्दी को हम लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप अच्छी तरह से यह जानते हैं कि अंग्रेजी का स्थान चाहे जैसे हो, जैसा कि झारखंडे राय जी ने कहा कि देश के अन्दर बढ़ा। यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे रोजाना के जीवन में अंग्रेजी को स्थान मिला।

इसके अलावा देश के अन्दर कोई ऐसी दूसरी जबान नहीं है जो हर सूबे के अन्दर समझी जा सकती हो। अगर बंगालवाला पंजाब में आकर कोई बात करना चाहे और अंग्रेजी नहीं जानता तो वह अनपढ़ है और अगर पंजाब वाला मद्रास में जाकर कोई बात करना चाहे या जीवन व्यतीत करना चाहे तो वह अनपढ़ है। यह कहा जाता है कि जापान वाले जापान में काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

करते हैं, दूसरे देश वाले जर्मनी वाले जर्मनी में, फ्रांस वाल फ्रेंच में, पुर्तगाल वाले पुर्तगीज में, यानी उनकी अपनी-अपनी लैंग्वेजेज हैं। लेकिन उसके साथ-साथ हमें यह भी देखना है कि वह जितने देश हैं वह इतने बड़े देश नहीं है। हमारे देश के अन्दर हर १० मील के अन्दर लैंग्वेज में तबदीली हो जाती है। सहारनपुर और बिजनौर जिलों की जबान में फर्क है। बिजनौर और बरेली की जबान में फर्क है। तो इतने बड़े देश के अन्दर एक जबान की बात कहना कुछ काफी कठिन-सी बात है और इसलिये आज यह महसूस करके हिन्दी के साथ-साथ अभी अंग्रेजी को रखा गया है और वह सर्वमान्य होना चाहिये। इसको हौसला अफजाई होनी चाहिये। मुझे दुख है कि यहां ही नहीं, बल्कि केन्द्र में भी हिन्दी को लेकर एक उपद्रव खड़ा किया जा रहा है। जिस वक्त हम यह पढ़ते हैं कि ये लोग हिन्दी की सेवा करना चाहते हैं लेकिन सचमुच में वह हिन्दी के घातक साबित होते हैं तो मेरी प्रार्थना है माननीय कुंवर साहब से कि माननीय वित्त मंत्री जी के वक्तव्य के बाद मुनासिब यह होगा कि वे अपने विचारों को बदलें, क्योंकि न आप हिन्दी के दुश्मन हैं और न हम आपसे कम उसके समर्थक है। हिन्दी का जहां तक ताल्लुक है, यह सर्वमान्य है कि वह राष्ट्र की भाषा है। वह राष्ट्र भाषा बनकर रहेगी, लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि एकदम जबर्दस्ती किसी पर ठूंसा जाय यह मुनासिब बात नहीं है और देश की एकता के लिये देश के अन्दर मनोबल को पैदा करने के लिये प्रान्तों को प्रान्तीयता से बचाने के लिये घातक है। इन शब्दों के साथ मैं फिर अपील करता हूं कि इस किस्म का रेजोल्यूशन माननीय श्रीपाल सिंह जी वापस ले लें।

*कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)—

अधिष्ठाता महोदय, आज जिस प्रश्न पर विवाद हो रहा है वह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक देश जब स्वतंत्र होता है जो उसके सामने बहुत समस्यायें एक साथ पैदा होती हैं। भाषा की समस्या भी उनमें से एक बड़ी समस्या है। यह सही है कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है। हमारे देश ने भी अपनी राष्ट्र भाषा को तय किया है। यह भी सही है कि हमारे देश में हिन्दी ही मौजूदा परिस्थितियों में देश की राष्ट्र भाषा हो सकती है। परन्तु प्रश्न केवल इतना ही है कि किस प्रकार हिन्दी को सारे देश से मंजूर कराया जाय कि जो उसका उचित स्थान है, और जो उसके लिये उचित सम्मान है, वह कैसे प्राप्त कराया जाय। उसके लिये नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। जल्दी करने से और तेजी करने से उसका विपरीत असर पड़ने का भय रहता है। वह किसी खास हिस्से में रहने वालों पर लादी जाती है, तो उसका दूसरा असर होने लगता है और उल्टी प्रतिक्रिया होने लगती है। मेरा तो यह विचार है कि फैलाव, एक्सपैन्शनज्मि चाहे किसी देश के नाम पर, किसी भाषा के नाम पर हो, उसकी प्रतिक्रिया होती है। इसलिये हिन्दी को इस ढंग से उन खास हिस्से के लोगों को अपनाने का प्रयास कराया जाना चाहिये और उसे फैलाने की चेष्टा को जानी चाहिये, कि उससे भ्रम न पैदा हो। शंकायें पैदा होने से उसमें कोई आशा के अनुरूप फल नहीं निकल सकता है। उदाहरण के लिये, दक्षिण भारत में काफी मात्रा में हिन्दी को स्वयं पढ़ने लगे थे, जिसे हम टूटी फूटी हिन्दुस्तानी भी कह सकते हैं। वह प्रायः सभी स्थानों में बोली जाने लगी थी, परन्तु जब से हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने और उसके अपनाने में गति प्रदान की गई, तब से स्थिति कुछ दूसरी हो गई है। आप देखें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जहां पर कि सारे देश के लोग इकट्ठा होते हैं, यदि हम हिन्दी में बोलने की चेष्टा करते हैं, तो उसका विरोध प्रकट होने लगता है। इसीलिये विरोध का कारण राष्ट्र भाषा नहीं होनी चाहिये। उसको लाना चाहिए, मगर उसको लाने की टेक्निक क्या है? किस-किस ढंग से वह लोगों से मनवाई जाय? यह एक व्यावहारिक प्रश्न है। इसलिये मैं समझता हूं कि उसमें कुछ ज्यादा जल्दी या तेजी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा रवैया होना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए कि एक तरफ तो भाषा होनी चाहिए, उसके विचार को बल देना चाहिए। दूसरी तरफ भाषा का स्वरूप क्या हो, कैसे लोग उसको मंजूर करें, उसके लिये व्यावहारिक तरीके अपनाये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाने चाहिये। इस संबंध में एक बात और यहां पर कह देना जरूरी समझता हूं कि पिछले १० सालों के अनुभव एक बड़ी अजीब चीज हमारे सामने पेश करते हैं। वह यह कि जिन प्रदेशों में हिन्दी चली और जिन प्रदेशों में भाषा हिन्दी है, जिनमें इस बात का आन्दोलन हुआ कि राष्ट्र भाषा हिन्दी होनी चाहिए आज उनकी सारी शक्ति इस बात में उलझ गई है कि हमारी भाषा ही हमारी राष्ट्र भाषा होनी चाहिये। उन क्षेत्रों का ध्यान अपने विकास के कार्यों की ओर से हटने लगता है। जहां भी यह भाषा का विवाद उठा है, वह क्षेत्र पिछले १० सालों से आर्थिक विकास की गति में पिछड़ गये हैं। इसलिये इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और इसके कारण की रिसर्च होनी चाहिए। उदाहरण के लिये आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश आजादी से पहले सारे भारतवर्ष का अनेकों बातों में नेतृत्व करता था, क्योंकि हमारे सोचने का ढंग एसेन्शियली बुनियादी तरीके का था, और राष्ट्रीय था। वह आर्थिक, और सामाजिक विकास करने का था। इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश ने काफी मान्यता कमाई थी। आजादी के बाद हमारा दृष्टिकोण भाषा को लेकर कुछ बदला और उग्र हुआ। उसके साथ ही सारा सोचने का ढंग भी बदलने लगा। आजादी के पहले हम प्रोग्रेसिव ढंग पर सोचते थे और उनका इस्तेमाल करते थे परन्तु भाषा के प्रश्न से वह दिशा बदल गई। आजादी के बाद हम हिन्दी को लेकर चले, और उस प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया भी हुई। उसका प्रभाव यह हुआ कि हमारे सारे सोचने के ढंग में हिन्दी, हिन्दू और हिन्दुस्तानी, का वह दृष्टिकोण बदलने लगा। एक-एक शब्द पर बहस होने लगी। आपने पढ़ा होगा कि कारपोरेशन के अन्दर इस बात पर बहस होने लगी कि "जयहिन्द" होना चाहिए या "जय भारत" होना चाहिए, क्योंकि "हिन्द" शुद्ध हिन्दी नहीं है। तो यह दृष्टिकोण का सवाल है। जब दृष्टिकोण एक तरफ से हटता है, जो भाषा है, सोचने का ढंग है, आर्थिक समाजिक ढंग से चीजों पर विचार करने का रुख है जब भाषा के प्रश्न को लेकर चलते हैं तो उसके अन्दर एक एक्सपैंशनिज्म की गंध आने लगती है और दूसरे प्रकार समझने की प्रवृत्ति और समस्याएं पैदा करती है। भाषा कभी लादी नहीं जाती। वह नीचे से उठती है। जिन लोगों ने प्रदेश के साथ भाषा के प्रश्न को हल किया है, समझ-बूझ कर किया है, लोगों में आकांक्षा पैदा की है और भाषा का निर्माण बोल-चाल के शब्दों के आधार पर बनाया है उनके यहां भाषा खिली है, फली-फूली है, लेकिन जहां ऊपर से लादी गयी है, उसमें प्रतिक्रियायें हुई हैं और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हम हालांकि मेल की तरफ चले हैं लेकिन वास्तव में तकसीम की तरफ और विभाजन की तरफ बढ़े हैं।

इस तरफ के बैठने वालों का ऐसा खयाल नहीं है कि इस देश की भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसकी टेक्नीक और दृष्टिकोण क्या हो और किस तरीके से हम दूसरों के दिलों में आस्था पैदा करें, यह प्रश्न आता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि कोई पेचीदगी न पैदा की जाय, बल्कि जिस ढंग से हमें बापू ने सिखाया है कि हमें सक्त लकड़ी की तरह से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन सख्त लकड़ी नहीं है, बल्कि एक दरिया की तरह से है, उसी तरह से हमारे अन्दर लचीलापन होना चाहिए। लोगों में जोर होता है लेकिन साथ ही लचीलापन होना चाहिए, बरदाश्त का माद्दा होना चाहिए तभी हम राष्ट्र का विकास कर सकेंगे, भाषा का विकास कर सकेंगे जिसे सारा देश मंजूर करेगा। अगर सख्ती से किसी भाषा पर जोर दिया गया और लोगों ने नहीं माना तो वह कभी देश की भाषा नहीं बन पायेगी।

मैं आशा करता हूं और मैं कह सकता हूं कि श्रीपाल सिंह जी का नया-नया शौक है, नये-नये नारे हैं, वह इस झमेले में न पड़ें, वह आचार-विचार से, दृष्टिकोण से बहुत लचीले आदमी हैं, इतने सख्त स्वभाव के नहीं है, इसलिए इस जमाने को न बदलें और जिस ढंग से चल रहे हैं उसी तरह से चलने दें, उसमें ज्यादा गुंजायश है एक राष्ट्रभाषा बनाने की।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय श्यामलाल।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह कब तक चलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

साढ़े चार बजे तक ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आलोचना करने की गरज से आलोचना नहीं करता और न कभी की है । जहां आलोचना करने की बात आती है वहां करता हूं । आज में केन्द्रीय सरकार द्वारा अंग्रेजी को सहभाषा बनाने की जो नीति है और उससे संबंधित जो विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत होने वाला है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्रीमन्, भाषा जो है यह विचारों का आदान-प्रदान करने का एक माध्यम है । कोई भी भाषा हो जो हमारी विचारधारा का आदान-प्रदान करने में आसानी पैदा करती है उसे अख्तियार करने में हमें कभी आपत्ति नहीं होनी चाहिए । हिन्दी हमारी मदर टंग है । वह राष्ट्र भाषा बना दी गयी है, मानता हूं । क्योंकि हिन्दी भाषा-भाषी सूबे में रहता हूं इसलिए सरल मालूम होती है, लेकिन आप बंगाल में जाइये, आसाम जाइये, तामिल-नाड, केरल, आंध्र, मैसूर में जाइये तब पता चलेगा कि उनके लिए वह कितनी कठिन है श्रीमन्, एक चीज जो एक आदमी के लिये आसान होती है वह विदेशियों के लिये उतनी ही कठिन होती है । हमें गौरव है कि हिन्दी हमारी भाषा है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर आसान होना चाहिये, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । आज तो हमें हर चीज राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कसौटी पर कसनी होगी । गांधी जी बराबर कहा करते थे कि विश्व एक बहुत बड़े पैमाने पर परिवार ही है । इसलिये इस प्रकार से उसको साकार रुप आप नहीं दे सकते हैं ।

हमारे संविधान की धारा १९ (१) (सी०) हमें देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, यात्रा करने का अधिकार हमें देती है । अगर अंग्रेजी हटा दी जाती है तो यू० पी० का एक ग्रेजुएट दूसरे सूबे की यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएटन करना चाहे तो कैसे कर सकता है ? यह एक मौलिक बात मैं आपके सामने रख रहा हूं । यह सही है कि बहुत से मलयाली हिन्दी जानते हैं । वे पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को गवर्नमेंट आफ इंडिया स्कालरशिप देती है । लेकिन आंध्र वाले, उड़ीसा वाले, मैसूर वाले, बंगाल, आसाम और गुजरात वाले हिन्दी कहां जनाते हैं ? हमारे यहां १६ भाषायें हैं और गवर्नमेंट आफ इंडिया का यह लक्ष्य है कि हमारे देश में सारी भाषायें उतरोत्तर उन्नति करें हमारे सूबे में हिन्दी, संस्कृत और उर्दू आदि ३–४ भाषायें है हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितना विकास हिन्दी संस्कृत का हो रहा है उतना उर्दू का नहीं हो रहा है । इस बात पर मैं कांग्रेस हुकूमत का क्रिटिक हूं ।

देहात में एक कहावत है कि चौबे गये छब्बे होने लेकिन दुब्बे होकर आये । अंग्रेज यहां आये थे राज्य करने के लक्ष्य से और हिन्दोस्तान में एक बाबू वर्ग कायम करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज में दूरदर्शिता नहीं थी । अंग्रेजी यहां आयी और बहुत से यहां के लोग इंगलैंड गये और वहां से डेमोक्रेसी जिसको इंगलैंड मां कहलाती है, उसको यहां ले आये और उसके नाते यहां पर यह चेतना आयी कि हम डेमोक्रेसी चाहते हैं । हम गुलाम नहीं रहना चाहते और अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगिल शुरु हो गयी और १९४७ में हम स्वतंत्र हो गये । हम हिन्दी की उपेक्षा नहीं करते है, लेकिन अंग्रेजी को हमें इगनोर नहीं करना चाहिये । अगर हिन्दोस्तान में अंग्रेजी न होती तो परम निर्वाणप्राप्त डाक्टर अम्बेडकर न चमक पाते और कोटि कोटि हरिजन आज भी नाली के कीड़े बने रहते । हिन्दी और संस्कृत अगर होती तो आज भी नाली के कीड़े होते । इसलिये हम आज इसके हामी नहीं है कि अंग्रेज चले गये पर अंग्रेजी न जाय, लेकिन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए यह कहूंगा कि १९६५ के बाद भी कुछ दिनों तक हमारे देश में साहित्यिक भाषा के रुप में उसका रहना परमावश्यक है । अंग्रेजी एक अन्तर्राराष्ट्रीय भाषा है, इसलिये परम आवश्यक है कि वह हमारे यहां भी फैले । इस विश्वास के साथ हमें इसे देखना है कि अगर हमारे यहां अंग्रेजी नहीं रही तो हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नहीं चल सकेंगे । इसलिये सहभाषा के रूप में अंग्रेजी का बना रहना बहुत ही जरूरी है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्यामलाल जी ने बहुत ही सुन्दर भाषण दिया है और मुझे पूर्ण बिश्वास है कि उनके भाषण को सुन कर राजा साहब की समझ में आ गया होगा कि केन्द्रीय सरकार १५ वर्ष की अवधि के बाद भी जो अंग्रेजी को एक सहभाषा के रूप में रखना चाहती है वह किन परिस्थितियों में है। श्रीमन्, मैं इस विवाद में पड़ना भी नहीं चाहता क्योंकि जहां तक उत्तर प्रदेश के रहने वाले है, हिन्दी उनकी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा है और उनके खून के हर बूंद में हिन्दी रमी हुई है। अतः हिन्दी के विरोध में कोई भी विधान सभा का सदस्य या कोई भी व्यक्ति हो, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन यदि राजा साहब श्रीपाल सिंह जी इस प्रस्ताव को इसलिये लाये हैं कि कुछ लोग केन्द्रीय सरकार के इस विधेयक की प्रशंसा में और हिन्दी के विरुद्ध बोलेंगे तो विरोधी दल को इस बात का मौका होगा कि कांग्रेस के लोगों को एक्सपोज कर सकें। तो उनकी यह गलत नीति रही है। उन्होंने प्रथम वाक्य में ही जो कहा वह यह था कि संविधान की आत्मा के बिलकुल विरुद्ध केन्द्रीय सरकार यह विधेयक ला रही है लेकिन मुझे बड़ा दुख रहा कि माननीय राजा साहब ने संविधान को देखने का प्रयास नहीं किया। संविधान के आर्टिकल ३४३ में हिन्दी राष्ट्र भाषा घोषित हो चुकी है और उसके क्लाज (२) में यह दिया हुआ है कि संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिये संघ के उन सभी राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजीय भाषा प्रयोग की जाती रहेगी। उसी के बाद क्लाज (३) में व्याख्या की गयी है कि यदि पार्लियामेंट आवश्यक समझे तो १५ वर्ष की यह अवधि बढ़ायी जा सकती है। लेकिन वह भी आर्बिट्रेरी तरीके से ऐसा नहीं है कि प्रेसीडेंट या पार्लियामेंट वह अवधि बढ़ा दें। आर्टिकल ३४४ में दिया हुआ है कि पार्लियामेंट कोई कमीशन या कमेटी मुकर्रर करेगी और उसके रिकमेंडेशन के अनुसार भाषा सम्बन्धी नीति को अपनायेगी। सन् १९५६ में श्री बी० जी० खेर, जो बम्बई के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन भाषा सम्बन्धी नियुक्त हुआ था और काफी प्रयास के बाद तथा देश की समस्त परिस्थितियों के देखने के बाद कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि अंग्रेजी के एकाएक हट जाने से राष्ट्रीय एकता तथा देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक प्रगति में बाधा पड़ेगी। उसी कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार जहां तक मैं जानता हूं यह विधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा लाया गया है। आर्टिकल ३४४ (२) में लिखा हुआ है कि कमीशन जब कभी भी भाषा सम्बन्धी रिकमेंडेशन करेगा तो उसमें भारत की राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक, सांस्कृतिक विकास के प्रश्नों को सामने रख कर ही करेगा। तो यह कहना है कि यह विधेयक केन्द्रीय सरकार जो १५ वर्ष की अवधि को बढ़ाने के लिये लाने जा रही है, इससे भारतीय संविधान की आत्मा की हत्या हो रही है, हमारी समझ में यह एक ऐसा रिमार्क है जो राजा साहब को नहीं करना चाहिये था। श्रीमन्, भाषा का यह प्रश्न राजा साहब ने यहां क्यों उठाया, यह सभी को मालूम है।

श्रीमन्, भाषा के सम्बन्ध में भावनायें होती हैं, रीजनल भावनायें होती हैं, जातीय भावनायें होती हैं, प्रादेशिक और क्षेत्रीय भावनायें होती हैं, और वे इतनी तीव्र होती हैं कि यदि उनके विरुद्ध में कोई बात कही जाय तो वह उनको अच्छा नहीं लगता। वे अपने पक्ष की बात ही सोचते रहते हैं। यही कारण है कि आज यह जानते हुये भी कि देश में राष्ट्रीय एकता को देखते हुये ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, खासतौर पर इस इमरजेन्सी के जमाने में बहुत आवश्यक है कि इस भाषा के प्रश्न को लाकर कोई ऐसा कदम न उठाया जाय कि उत्तर दक्षिण का झगड़ा खड़ा हो। इससे कहीं ऐसा न हो कि हिन्दुस्तान में जो एक नैशनल इंटेग्रिटी स्वतः बन गयी है उसमें एक विडम्बना उपस्थित हो। मैं यह नहीं मान सकता कि जनसंघ या राजा साहब को यह जानकारी नहीं है या उन की यह भावना नहीं है कि राष्ट्रीय एकता सबसे बड़ी चीज है और उस के आगे यह भाषा सम्बन्धी, क्षेत्र सम्बन्धी या प्रदेशीय मामलों को अधिक बल नहीं मिलना चाहिये। लेकिन लोकतंत्र में विधानसभाओं और संसद में जब भी माननीय सदस्य बोलने खड़े होते हैं तो उनके दिमाग में अपनी कांस्टीटुएंसी ही रहती है, उधर ही उनकी नजर रहती है और वह सोचते हैं कि इस से हमारी कांस्टीटुएंसी की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय राजा साहब को एक उदाहरण देकर समझाऊंगा कि जब तक हमारे यहां लोगों में एक लोकतन्त्रात्मक

[श्री कृष्णानन्द राय]

लीडरशिप की भावना पैदा न होगी तब तक हम राष्ट्र क अहम प्रश्नों के सम्बन्ध में सही निर्णय नहीं कर सकेंगे । अमरीका में अब्राहम लिंकन के जमाने में एक प्रस्ताव दक्षिण के सीनेटर्स ने प्रस्तुत किया । वहां प्रश्न यह आया कि अगर अमरीका की सीनेट सेग्रेगेशन के खिलाफ प्रस्ताव पास करती है तो दक्षिण की रियासतों को अपने को अलग करने का हक होगा । उस समय वहां पर सीनेटर वेब का बड़ा प्रभाव था और चूंकि वह एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे इसलिये सबका ध्यान उनके विचार की तरफ लगा था कि यदि वह सेग्रेगेशन के पक्ष म भाषण देंगे तो सम्भव है कि अमरीका संघ के आक्रमण की कहानी आरम्भ हो जाय । लेकिन उन्होंने यह जानते हुये भी कि सेग्रेगेशन का विरोध कर के मैं अपने राजनैतिक जीवन के वारंट पर दस्तखत करने जा रहा हूं लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भले ही सदस्य न रहूं लेकिन मैं राष्ट्रीय एकता को दृष्टि में रखकर किसी भी ऐसे प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता । इस तरह से दक्षिण विद्रोह काबू में किया गया । इस लिये मैं राजा साहब से अनुरोध करूंगा कि थोथी लोकप्रियता की ऐसी भावनामय बातों से थोड़ा ऊपर उठने का प्रयत्न करें ।

*श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

अधिष्ठाता महोदय, संविधान में देश की मान्यता प्राप्त हिन्दी भाषा में संशोधन लाने की बात से जनता की चिरप्रत्याशित आशा पर कुठाराघात किया जा रहा है । इस से मातृभूमि और यहां की मातृभाषा के सम्मान को बड़ा भारी धक्का लगा है ।

(इस समय ४ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

माननीय त्रिपाठी जी ने यह स्वीकार किया कि संविधान सभा में १५ वर्ष पहले ऐसे स्वीकार किया गया था कि ८५ प्रतिशत लोग संस्कृत निष्ठ हिन्दी समझ सकते हैं । उन्होंने स्वीकार किया कि किसी प्रकार से हिन्दी के इशू को राजनैतिक इशू न बनाया जाय । मैं बताना चाहता हूं कि किसी तरह से भी यह राजनैतिक इशू नहीं है लेकिन वह हमारे देश की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और उसको बात करने से कोई भी राष्ट्रीय अनहित नहीं हो सकता । जो लोग हिन्दी के विरोध में आज पग उठाते हैं और यह कहते हैं कि कुछ लोग उसको एक राजनैतिक इशू बना रहे हैं, जिन के पास किसी तरह की अपनी भाषा के सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त या नीति नहीं है और जो राजनीति में हिन्दी को ही समाप्त कर के जिन्दा रहना चाहते हैं उनको इस विषय में सोचना होगा । जो हिन्दी के पक्षपाती हैं उन के दिमाग में हिन्दी कभी भी राजनीतिक इशू नहीं है । भारतवर्ष में संस्कृत ने जो अपना उच्च स्थान ग्रहण किया था वह उसने अपने आध्यात्मवाद पर ही किया था और अंग्रेजी ने जो यहां पर यह स्थान ग्रहण किया था तो वह केवल अपने अर्थवाद पर ही किया था । जब संविधान सभा ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तो १५ साल की इस अवधि में कौन से ऐसे प्रयास हुये आध्यात्मवाद या अर्थवाद के आधार पर जिस से हिन्दी को वह प्रोत्साहन मिलता कि जो कमियां हिन्दी में हैं वह पूर्ण होतीं । कितने पग वर्तमान शासन ने हिन्दी की उन्नति के लिये उठाये ? राष्ट्रभाषा के स्तर तक पहुंचने के लिये जो हिन्दी में कमियां थीं उनको दूर करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये ? जब ४० फीसदी हिन्दी भाषा-भाषी यहां रहते हैं तो क्या सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की जब केन्द्रीय सर्विसेज में जो अंग्रेजी के माध्यम से इम्तहान दिलाये जाते हैं उसी के समानान्तर हिन्दी को भी एक माध्यम रखते । जब लखनऊ विश्वविद्यालय ला की परीक्षा हिन्दी में देने की अनुमति दे सकती है तो केन्द्रीय नौकरियों के लिये क्यों इसको कंसीडर नहीं किया, मैं जानना चाहता हूं ।

माननीय श्यामलाल जी ने कहा, जनतंत्र को इंगलैण्ड से लाये । मैं पूछता हूं झांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने कौन सी डिग्री पायी थी जिसने १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था । इस प्रकार की धारणायें गलत हैं । भाषा को कुचलने वाला सबसे प्रभावशाली साधन आर्थिक और व्यापारिक होता है । जब लोग समझ लेते हैं कि शासकों की भाषा सीखे बगैर न तो अच्छी नौकरी मिल सकती है और न व्यापार ही चल सकता है तो मजबूरन शासन की भाषा सीखी जाती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है और उस प्रयास में अपनी मातृभाषा को खो बैठते हैं । गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह समझा था। उन्होंने शिक्षा, व्यापार तथा शासन में अंग्रेजी के औपनिवेशिकवाद के रूप को अच्छी तरह से समझा था तथा कहा था कि लाखों लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना उनको गुलाम बनाना है । उन्होंने मैकाले की नीति का विरोध करते हुये कहा था कि जिस उद्देश्य से उसने शिक्षा भारत में चलायी थी उससे करोड़ों भारतीयों को गुलाम बनाया है तथा इस देश को गुलाम बना कर रखा । उन्होंने कहा था इसके लिये मैं अंग्रेजी को दोष दूं अथवा अपने को । उन्होंने कहा राष्ट्र का अभिशाप अंग्रेजी नहीं है बल्कि हम लोग हैं जो अंग्रेजी सीखते हैं । दुख की बात है इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, यह देश पर संकट है । गांधी जी ने इस बात के लिये हमेशा जोर दिया था कि हिन्दी राष्ट्रभाषा को स्वाभाविक स्थान दिया जाय । प्रान्तों में प्रान्तीय भाषाओं को स्थान दिया जाय । गांधी जी की उस इच्छा की पूर्ति के लिये, हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये गये ? उन्होंने कहा था बीजगणित हो, रसायनशास्त्र हो, भौतिक शास्त्र हो जो विषय ४ दिन में अंग्रेजी में सीख सकता था वह गुजराती में अगर पढ़ाया गया होता तो १ दिन में सिख लेता इस तरह से समय तथा शक्ति बचती । आज लाखों, करोड़ों नवयुवक अपनी बुद्धि बरबाद कर रहे हैं । जो एक दिन में सीखा जा सकता है उसके लिये ४ दिन लगते हैं । गांधी जी ने कहा था अंग्रेजी से घृणा नहीं करता, परन्तु अंग्रेजी तथा विश्व की दूसरी भाषाओं की जो निधियां हैं वह मातृभाषा में प्राप्त हों। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा अंग्रेजी इतनी शक्तिशाली भाषा है जिसमें रशन, फ्रैन्च तथा विश्व की हर भाषा का अनुवाद हो जाता है । क्या सरकार ने विभिन्न विषयों के जो अनुसंधान थे उनका हिन्दी में अनुवाद करके शिक्षालयों में चलाया ? केवल इच्छा मात्र से हिन्दी भाषा बनी रहे और अंग्रेजी में काम होता रहे इससे हिन्दी प्रगति नहीं करेगी । इस दिशा में प्रगति करनी पड़ेगी । १९५८ में नेहरू समिति ने यह तय किया था कि प्रान्तों में सारे कार्य प्रांतीय भाषा में अगर होना है जो कि अनिवार्य है तो प्रान्तों का विभाजन भाषावार करना होगा । प्रान्तों का विभाजन भाषावार हो गया, परन्तु हमारी राष्ट्र भाषा को न प्रान्तीय. स्तर पर स्थान मिला और न केन्द्रीय स्तर पर स्थान मिला । हम अपने को जनतंत्र कहते हैं, लेकिन अपनी मातृ भाषा का इस्तेमाल भी न कर सकें यह कैसा जनतंत्र है ? यह मखौल है। ९८ प्रतिशत लोग चाहे अनुसंधान हो, चाहे विकास हो या विज्ञान हो अपना योग देने से वंचित हैं । क्या यही जनतंत्र है ? विकास योजनाओं में २०२५ करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है अंग्रेजी के माध्यम से न कि भारतीय भाषाओं के स्तर से । जिले के स्तर तक ही हिन्दी का विकास हो रहा है । यह प्रजातंत्र नहीं है । आंग्लतंत्र बन रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

नवयोजित संयुक्त समाजवादी दल को मान्यता के सम्बन्ध में घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—

एक घोषणा मुझे करनी है । वह यह है कि होरीलाल यादव जी का एक पत्र आया था । माननीय अध्यक्ष ने उस पर निर्णय दिया है उसे मैं सुनाये देता हूं । आज प्रातःकाल घोषणा की गयी थी कि कोई नेता चुना जाय तो उस प्रार्थना पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा। अब लिखित रूप से मेरे पास सूचनाएं आई हैं जो संलग्न हैं । माननीय गेंदा सिंह ने विश्वास दिलाया है कि इस नवयोजित समाजवादी पार्टी में स्थायी रूप से पदाधिकारी शीघ्र ही निर्वाचित हो जायेंगे तथा सब लोकतंत्रीय पद्धतियों के अनुसार सदन के कार्य में सहयोग देंगे । अब कार्यवाहक नेता श्री बलवान सिंह के नेतृत्व में इस संयुक्त समाजवादी दल को मान्यता दी जाती है ।

जो दो पत्र आये थे वह माननीय बलवान सिंह जी तथा माननीय गेंदा सिंह जी के हैं। एक में श्री बलवान सिंह ने लिखा है कि वे कार्यवाहक नेता चुने गये हैं । दूसरे में श्री गेंदा सिंह ने लिखा है कि दल की बैठक में निश्चय हुआ है कि श्री बलवान सिंह कार्यवाहक नेता चुने गये हैं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

कुछ परिपाटी बन गयी है जब चेयर रूलिंग देती है तो साथ में एक सिफारिश जरूर जोड़ देती है । माननीय गेंदा सिंह जी ने विश्वास दिलाया तो विश्वास हो गया और होरीलाल जी ने विश्वास दिलाया जो कमजोर विश्वास था ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं ऐसा तो नहीं है । मैं आशा करूंगा कि उनके दल के लोग आयेंगे, विराजेंगे और भाग लेंगे ।

अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिये सहभाषा बनाने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय भाषा के सम्बन्ध में जब से हमारा संविधान का बनना प्रारम्भ हुआ तभी से एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

श्रीमन्, अब समय तो बढ़ेगा नहीं, हम मूवरों में से थे यों ही रह गये ।

श्री उपाध्यक्ष—

समय तो साढ़े ५ बजे तक का है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—

इसका समय तो ढाई घंटे ही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

साढ़े ४ बजे तो यह विषय समाप्त होगा । उसके बाद एक एनाउन्समेंट करना है ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने जो सूचना पेश की और माननीय वित्त मंत्री ने जो उत्तर दिया उसके बाद मैं यह नहीं समझता कि माननीय कुंवर साहेब से मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहूं और कुछ उत्तर दूं, लेकिन आज आवश्यकता इस बात को देखने की है कि हमारी राष्ट्रीय और मनोवैज्ञानिक एकता समाप्त न हो ।

मेरे विचार से इस संशोधन को पेश करने की जो लोक सभा में सरकार को आवश्यकता हुई उसमें आप व्यावहारिक कठिनाइयां देखिये और इसके लिये देखना होगा अपने देश के दक्षिण और पूर्व की तरफ है । दक्षिण में जिन कारणों से अंग्रेजी को राष्ट्र भाषा के रूप में रखे जाने की जो मांग हुई है वह नौकरियों के भय से, प्रान्तीय स्वार्थ के कारणों से और राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता आदि के कारण यह स्थिति पैदा हुई है और मैं समझता हूं कि इसी कारण इस संशोधन को लाना पड़ा होगा । बड़े संघर्ष के बाद हिन्दी को संविधान में राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया गया था । इसलिये हमारी यह जिम्मेदारी हो गयी है कि शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाने के लिये वह प्रयत्न करें जिनकी आवश्यकता है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, साढ़े ४ तो बज गये ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये २ बज कर ५ मिनट पर यह विवाद शुरू हुआ था । अभी ५ मिनट बाकी हैं । इसलिये ४ बज कर ३५ मिनट पर समाप्त होगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

व्यवस्था का प्रश्न है । पहले आपने एक बार यह कहा था कि साढ़े ४ बजे समाप्त होगा और अब कह रहे हैं कि ४.३५ पर समाप्त होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये न, मुझे यह बताया गया है कि २.५ पर यह शुरू हुआ था तो ढाई घंटे ४.३५ पर समाप्त होते हैं ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

वैसे राष्ट्र कवि मैथिलिशरण जी के शब्दों में मेरी भी यह कामना है कि शिक्षा तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हेतु बनी । शिक्षा के अन्दर साहित्य भाषा आदि आती हैं लेकिन इस समय यह व्यावहारिक भी है या नहीं क्योंकि हमारे ही कारण इसमें कठिनाई है । यह हमारे ऊपर ही निर्भर हो गया है कि ऐसा प्रयत्न करें कि शीघ्रातिशीघ्र अंग्रेजी समाप्त हो और हिन्दी को पूरा दर्जा मिले । इस दिशा में हमारा और आपका बड़ा भारी कर्त्तव्य है । हमने देखा है कि हमने ईमानदारी से और सच्चाई से जो कहा ठीक उसके विपरीत कार्य हुआ । जैसे हमने कहा था कि देश का विभाजन न हो, लेकिन हालात ऐसे पैदा हुये कि विभाजन करना पड़ा । क्या राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी चाहते थे कि देश का विभाजन हो ? उसी तरह से इस सम्बन्ध में भी खबरदार रहने की आवश्यकता है हमारे नेताओं को, जनता को और सरकार को तथा जाग्रत जनमत को । बाज वक्त वह चीज हो जाती है जिसको हम चाहते नहीं हैं । हिन्दी को राष्ट्र भाषा और अंग्रेजी को विदा देने में कुछ कठिनाई है । इसके २-४ कारण हैं लेकिन मुख्य कारण यह है कि आर्डर हिन्दी में होता है लेकिन अफसर के दस्तखत अंग्रेजी में होते हैं । यह सब बातें हम देखते हैं । हम चाहते हैं कि हिन्दी के विरुद्ध हमारे काम न हों और हम दूसरी भाषाओं को अपमाने की कोशिश करें । मेरे खयाल से हमारी यह भावना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फायनेन्स मिनिस्टर ने डिबेट में जो बातें कही हैं मैं उनकी ताईद करता हूं । इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि हमारी मादरी जुबान हिन्दी हो । एक शेर यह है कि—

"नाहक मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की,
चाहे है सो आप करे हैं हमको क्यों बदनाम किया ।
नकल करने में भी अक्ल की जरूरत है, मेरे खयाल से
अक्ल तो है लेकिन नक्ल ठीक से करनी आती नहीं ।"

सभी लोगों की दिली ख्वाहिश है कि हिन्दी धनी और मजबूत हो और उसका खजाना इतना व्यापक हो जाये कि जिससे हर तरह की मजबूती आये । मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हिन्दी में मैं खुद इतनी काबलियत नहीं रखता हूं । हालांकि मैं यहां पर पहुंच गया हूं और फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगा और अगर आपकी मेहरबानी हो तो जरा और आगे चलूं ।

हमारे देश की पार्लियामेंट ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा माना है । लोक सभा में जो संशोधन आया है कि हिन्दी के साथ अंग्रेजी को कुछ दिन और चलाया जाय उसकी खास वजह यह है कि जो गैर हिन्दी भाषा वाले राज्य हैं उनको यह महसूस होने लगा है कि हिन्दी जबरदस्ती हमारे ऊपर ठूंसी जा रही है । श्रीमन्, भाषा का सवाल कानून से या डंडे के जोर से समाज पर नहीं लादा जा सकता है बल्कि वह भाषा कबूल की जाती है जो जनता के दिल को जीत ले । इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रेमसिंह]

जब हिन्दी राष्ट्र भाषा मान ली गई है तो उसको उस ओहदे से हटाने की कोई बात ही नहीं उठती है बल्कि टाइम की बात है। हमारी राष्ट्र भाषा नेशनल यूनिटी पैदा करती है। मैं अंत में एक श्लोक संस्कृत का सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं उस श्लोक का अर्थ सुनाये देता हूं। वह श्लोक तो संस्कृत में मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका अर्थ यह है कि "जो कार्य करता है वह जीवित रहता है।" इसके बाद मैं इस विषय का अन्त करता हूं।

विभिन्न समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन कार्य-क्रम की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं और वह यह है कि उत्तर प्रदेश लाभप्रद विषयक समिति के लिये १ सदस्य, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के २ सदस्यों, बोर्ड आफ हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडियेट एजूकेशन के २ सदस्यों, एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्शदात्री समिति के २ सदस्यों, रुड़की विश्वविद्यालय सिनेट के ४ सदस्यों और उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद् के ४ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अतिरिक्त नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय, दिनांक २८ मार्च, १९६३ के सायंकाल ५ बजे तक वापस लेने के लिये निर्धारित किया गया था। निर्वाचन अब ३० मार्च, १९६३ के स्थान पर १ अप्रैल, १९६३ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ४० मिनट पर अगले दिन के साढ़े १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२८ मार्च, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४११ पर।)

विवरण

जांच से यह मालूम हुआ कि प्रार्थी श्री भगोले शाह पुत्र कन्हैया लाल वैश्य, साकिन रामपुर मथुरा ने अपने मकान के दक्खिन की जमीन के कुछ भाग पर छप्पर डाला था। इस जमीन को प्रार्थी के पट्टीदार श्री प्यारे जो इस गांव में अब नहीं रहते अपना बताते थे। इस भूमि को गांव के श्री जैन द्वारा १५० रु० में श्री प्यारे से लेना बताया जाता है। श्री भगोले शाह इसे अपनी जमीन बताते थे। पर श्री जैन इस पर बल पूर्वक अधिकार करना चाहते थे। दिनांक १३-१२-१९६२ को लगभग १२ बजे दिन में श्री राजमल जैन ने अपने सशस्त्र आदमियों को इकट्ठा करके प्रार्थी का छप्पर आदि हटाना आरम्भ कर दिया। प्रार्थी व उनकी पार्टी के लोग भी वहां आ गये। ग्राम प्रधान द्वारा सूचना देने पर दो कांस्टेबिल भी मौके पर पहुंच गये। उन्होंने श्री जैन की पार्टी के लोगों को बहुत समझाया और पंचायत द्वारा मामले को आपस में तय करने का प्रयत्न किया, पर वे न माने। श्री भगोले शाह की पार्टी के लोग भी अपनी बात पर अड़े थे और कब्जा देने को तैयार नहीं थे। उनकी संख्या कम होने के कारण श्री जैन ने बलपूर्वक भूमि पर अधिकार करना आरम्भ कर दिया। शान्ति भंग का पूरा अंदेशा देखकर, कांस्टेबिलों ने श्री जैन की पार्टी के १९ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। श्री भगोले शाह व उसके मददगार भाग गये थे। बाद में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही दोनों पार्टियों के आदमियों का चालान १०७/११७ के अन्तर्गत कर दिया गया। श्री जैन के पार्टी के ३२ व्यक्तियों में से १९ व्यक्तियों के विरुद्ध १५१ भारतीय दंड विधान की भी कार्यवाही की गई। उक्त मुकदमे न्यायालय के विचाराधीन हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१२ पर)

दिसम्बर, १९६२ में जिला फतेहपुर के विभिन्न थानों के अन्तर्गत हुई हत्या की घटनाओं का विवरण

नाम थाना	घटनाओं की संख्या	मृतकों की तादाद
कोतवाली	२	३
कल्यानपुर	..	..
हुसेनगंज	..	..
हथगांव	..	..
धरियांव	..	..
खागा	१	१
खखेरेरू	..	..
किशुनपुर	१	१
बिन्दकी	..	..
जहानाबाद	१	२
चांदपुर	१	१
ललौली	१	२
गाजीपुर	१	१
टोटल (योग) ..	८	११

नत्थी 'ग'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर)

संलग्न सूची

शिक्षक का नाम	भुगतान की राशि	सामान की कमी का मूल्य जो सरकार को पाना है	विवरण
१—श्री के० के० श्रीवास्तव	६३.००	८.५१	इनकी रकम में से जो सरकार को पाना था वह वसूल कर लिया गया है। शेष रकम के भुगतान के लिये जिला उद्योग अधिकारी, मिर्जापुर से पास बुक मांगी गई है जैसे ही आ जावेगी भुगतान कर दिया जावेगा।
२—श्री देवराज सिंह ..	२३.५६	..	बिल ए० जी० को प्रीआडिट हेतु भेजा गया है और ए० जी० के आदेश आ जाने पर ही उनका भुगतान किया जा सकेगा।
३—श्री शम्भूनाथ शर्मा	जमानत अवकाश वेतन लगभग १५००.००	सरकार का ८९४.०५ सोसायटी १६४४.६४	इनके ऊपर सरकार व सोसाइटी का इतना अधिक रुपया बाकी है कि सरकार व सोसायटी को इनकी जमानत का कुल रुपया ले लेने के बाद भी शेष रकम इनकी जायदाद से वसूल करना पड़ेगी। इस प्रकार से इनको कुछ भी नहीं पाना है।
४—कु० सुशीला सक्सेना	२३६.१२	१६७.६८	स्टाक के कमी के मूल्य के जमा हो जाने पर शेष धन भुगतान किया जावेगा।
५—श्री शफी खां ..	१९.६९	९.७५	इनकी कमी का रुपया काटकर शेष के भुगतान के लिये जिला उद्योग अधिकारी, बलिया और गाजीपुर को लिखा जा चुका है।
६—श्री मंगू सिंह ..	१७८.२०	..	७४.१४ रुपये का बिल ए० जी० के प्री-आडिट के आदेश आ जाने पर ही रुपया दिया जा

शिक्षक का नाम	भुगतान की राशि	सामान की कमी का मूल्य जो सरकार को पाना है	विवरण
			सकेगा। १०४.०६ रुपये के बिल के लिये ए० जी० द्वारा जांच के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।
७—श्री रामश्रोतार ..	१२७८.१६	..	इनका १८.१६ रुपये का टी० ए० बिल सब-जोनल आफीसर, गोरखपुर को काउन्टर सिग-नेचर के लिये भेजा जा चुका है और आशा की जाती है कि इसका भुगतान भी हो गया होगा। इनके पिछले वेतन का १२६०.० का बिल जिला उद्योग अधिकारी, बस्ती द्वारा जोनल आफीसर, लखनऊ को भेजा गया है, वहां से आ जाने पर भुगतान के लिये कार्यवाही की जावेगी।
८—श्री लक्ष्मी कांत पांडे ..		..	इनका केस अदालत के विचाराधीन है। वहां से फैसला हो जाने पर ही विभाग कुछ कर सकेगा।
९—श्री राजबहादुर सक्सेना ..	६०७.५७	७२६-६३	इनके ऊपर सरकार का जो रुपया बाकी है वह इनकी जमानत से ११९.०६ रुपये ज्यादा है। अतः उसकी वसूली उनकी जायदाद से की जायगी।
१०—श्री बबऊ राम ..	४६४.७५ एवं अवकाश वेतन	..	इनका अवकाश स्वीकृत कर दिया है और जिला उद्योग अधि-कारी, गोरखपुर को भुगतान हेतु भेजा गया है। ४६४.७५ रुपये जमानत के लिये जिला उद्योग अधिकारी, गोरखपुर ने जिला उद्योग अधिकारी, आजमगढ़ को एकाउन्ट ट्रांसफर हेतु लिखा है। पोस्ट आफिस द्वारा एकाउंट ट्रांसफर होने पर जमानत मुक्त कर दी जावेगी।

शिक्षक का नाम	भुगतान की राशि	सामान की कमी का मूल्य जो सरकार को पाना है	विवरण
११—श्री लाल जी ..	२१७.७८	६९६.१०	इनके ऊपर सरकार का इतना अधिक रुपया बाकी है कि इनकी जमानत का रुपया काट लेने के बावजूद भी शेष इनकी जायदाद से वसूल करना पड़ेगा इस प्रकार से इनको कुछ भी नहीं पाना है।
१२—श्री रंगनाथ दुबे ..	६२.७२	..	टी० ए० बिल ए० जी० को प्री-आडिट हेतु भेज दिये गये हैं। वापस आने पर भुगतान किया जावेगा।

नत्थी 'घ'

तालिका 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर)

थाना कोडिया, जिला गोंडा, में १ जनवरी, १९६२ से १५-२-६२ तक घटित, कत्लों, डकैतियों तथा चोरियों का विवरण

अपराध	रिपोर्ट किए गए	चालान किया गया	चालान किये गये मामलों का परिणाम			लापता रहे
			छूटे	सजा दी गई	न्यायालय के विचाराधीन	फाइनल रिपोर्ट लगी
			१	२	३	
१	२	३	४			५
१—डकैती ..	५ (इनमें से दो रिपोर्ट गलत पाई गई अपराध खारिज किए गए)	..	..	..	..	..
२—कत्ल ..	३	१	..	..	१ विचाराधीन	१
३—चोरी तथा नकबजनी ..	७७	१२	१	..	११ ,,	४५

नत्थी 'ङ'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर)

थाना कोडिया, जिला गोंडा में १-१-६२ से १५-२-६३ तक घटित कत्ल तथा डकैतियों का विवरण

तालिका 'ख'

अपराध	स्थान	गिरफ्तार अपराधियों के नाम तथा पता
क—डकैती ..	अशोकपुर	
ख—डकैती ..	बाबूपुर ..	१—लक्ष्मी प्रसाद, पुत्र त्रिभुवन २—रामजंग, पुत्र त्रिभुवन ३—कमला प्रसाद पुत्र रामधीरज, गांव रणजीतपुर ४—माता प्रसाद, पुत्र अयोध्या ५—गोपाल, पुत्र बूजराज ६—त्रियुगी, पुत्र साकी प्रसाद, गांव रुकमगदपुर ७—राजकिशोर, पुत्र संगम, गांव माझा थाना कोडिया ८—बंशीधर, पुत्र फिदा अली, गांव मकामात पुरवा, थाना करनलगंज
ग—डकैती ..	रामपुर फकीर ..	
घ—डकैती ..	धोबहाराय	१—शिव प्रसाद, पुत्र नकछेदी, थाना गांव विक्रमपुर २—कालिका, पुत्र मोहन ब्राह्मण ३—रामवरण, पुत्र शिव पाल ४—बृजलाल ५—सुखलाल, पिसरान राम प्रसाद अहीर, गांव अशोकपुर, थाना कोडिया
ङ—डकैती ..	नेवादाहासिम ..	,, ,,
कुल ५ डकैती		

क—कत्ल ..	राजगढ़, अमीनपुर		
ख—कत्ल ..	बनगांव	..	१ टेड २ मेजे पिसरान नवाब भिगरिहा गांव चनगांव थाना कोडिया
ग—कत्ल ..	माधवपुर	..	मोती पुत्र बद्री दयाल ब्राह्मण गांव माधवपुर, थाना कोडिया
कुल ३ कत्ल			

नत्थी 'च'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२२ पर)

आगरा जिले में पिछले ६ माह (सितम्बर, १९६२ से फरवरी, १९६३) में हुई डकैती, कत्ल व अपहरण की घटनाओं एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

नाम अपराध	रिपोर्ट	विवेचना	चालान	सजा	रिहा	कार्यवाही: जेर तजवीज	कार्यवाही: जेर तफतीश	कार्यवाही: लापता
	१	२	३	४	५	६	७	८
डकैती ..	२२	२२	९	..	..	९	१०	३
कत्ल ..	२१	२१	११	२	..	९	८	२
अपहरण	१६	१६	२	..	..	२	१०	४

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३३ पर)

डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों के नाम, पते आदि

नाम व पता	नजरबन्दी की तिथि	नजरबन्दी का स्थान	जेल जहां नजरबन्द है	वर्गीकरण
१	२	३	४	५
१-हाजी मुहम्मद इस्लाम, मुहल्ला घोलीखार । पु० स्टेशन रफाबगंज, आगरा	८-२-६३	आगरा	जिला जेल, आगरा ।	उच्च श्रेणी
२-मुहम्मद जाहिद, बड़ा गली बपुरा नाई की मंडी, पु० स्टेशन रफाबगंज, आगरा ।	८-२-६३	आगरा	जिला जेल, आगरा ।	उच्च श्रेणी
३-मकसूद उल्ला खां, गली नसीर खां नई बस्ती, पु० स्टेशन कोतवाली, आगरा ।	८-२-६३	आगरा	जिला जेल, आगरा ।	उच्च श्रेणी
४-सईदउद्दीन कुरेशी, सदर भाटी आगरा ।	८-२-६३	आगरा	जिला जेल, आगरा ।	उच्च श्रेणी
५-मुहम्मद नादिर, ऐ० नादिर अली, नादिर महाल, देहली दरवाजा, अलीगढ़ ।	८-२-६३	अलीगढ़	जिला जेल, अलीगढ़ ।	उच्च श्रेणी

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३४ पर)

विवरण

दिनांक २८-५-६२ को एक ट्रक जिस पर ४१ रेल की पटरियां लदी हुई थीं, आलमबाग थाने की पुलिस तथा आर० पी० एफ० ने पकड़ा था। ये पटरियां अजगैन स्टेशन के पास से चुराई गई थीं। परन्तु उनके गंतव्य स्थान के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ट्रक का ड्राइवर तथा क्लीनर एक अन्य व्यक्ति के साथ ट्रक से सामान ले जाते हुए मौके पर पकड़े गये। कुछ व्यक्ति भाग गये और घटनास्थल पर पकड़े नहीं जा सके।

इस सम्बन्ध में एक अभियोग अपराध संख्या ११६ रेलवे स्टोर्स (Unlawful Possession) ऐक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत आलमबाग पुलिस थाने पर कायम किया गया। गिरफ्तार किए तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पत्र (Charge Sheet) न्यायालय भेजा जा चुका है। भागे हुए अभियुक्तों में से ५ बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किए तथा २ ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इनकी कार्यवाही शिनाख्त होना बाकी है।

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३९ पर)

१—बांदा
२—अलीगढ़
३—बहराइच
४—बलिया
५—बाराबंकी
६—बस्ती
७—बैरिया
८—इटावा
९—फर्रुखाबाद
१०—गाजीपुर
११—गोंडा
१२—हरदोई
१३—जालौन
१४—जौनपुर
१५—झांसी
१६—कानपुर
१७—खीरी
१८—लखनऊ
१९—मुजफ्फरनगर
२०—मेरठ
२१—मिर्जापुर
२२—गढ़वाल
२३—पीलीभीत
२४—प्रतापगढ़
२५—रायबरेली
२६—रामपुर
२७—सहारनपुर
२८—सीतापुर
२९—सुल्तानपुर
३०—टेहरी
३१—आगरा
३२—इलाहाबाद
३३—अल्मोड़ा
३४—बरेली
३५—देहरादून
३६—गोरखपुर
३७—मुरादाबाद
३८—नैनीताल
३९—उन्नाव ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३९ पर)

कितना धन		किसके द्वारा
११४	रु०	.. जिला स्वास्थ्य अधिकारी, फतेहपुर
१०	,,	.. सुपरवाइजर कानूनगो, वाराणसी
४५०	,,	.. प्रधान-श्रमदान, बहराइच
२३२	,,	.. प्रधान अध्यापक, जाट हायर सेकेंड्री स्कूल, मेरठ
४–५	हजार	.. मो० शमीम, साइनिंग क्लब, फर्रुखाबाद
१,३००	रु०	.. चकबन्दी अधिकारी, राजापुर, बहराइच
७,०००	,,	.. प्रधान, हसनपुर, मथुरा
१४,०००	,,	.. प्रिंसिपल तथा मैनेजर, किसान राष्ट्रीय कालेज, बिरौड़ी, मेरठ ।
१३०	,,	.. लेखपाल, लालपुर, मुजफ्फरनगर ।

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४० पर)

दिनांक १३-१२-६२ को १२-१५ बजे ग्राम डिकोली, जिला मेरठ के श्री राम सिंह ने थाना बासेनी पर इस आशय की एक लिखित रिपोर्ट दी कि ग्राम उकाबली, थाना खेकड़ा के श्यामा जाट पिछले दिन १० बजे रात को उसे अपने ग्राम उकावली ले गए और बताया कि उनका (राम सिंह का) नाती रोहताश उनके झोपड़ी के बाहर मरा पड़ा है और उससे लाश को अपने गांव ले जाने के लिये कहा। उसके इन्कार करने पर श्यामा जाट स्वयं लाश को गाड़ी में रख कर डिकोली ग्राम तक पहुंचा गया और उससे कहा कि लाश उठा ले जाओ। पूछने पर श्यामा ने मृत्यु का कोई कारण नहीं बताया। लाश गैला के मकान में रखी हुई है। यह नहीं मालूम कि रोहताश कैसे मरा है।

२—पुलिस ने लाश को पंचायतनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिये भेजा। पोस्टमार्टम से यह ज्ञात हुआ कि मृतक रोहताश को कोहनियों पर मामूली चोटें आई हैं किन्तु मृत्यु का कारण नहीं मालूम हुआ। विसरा केमिकल एक्जामिनर, आगरा को जांच के लिये भेजा गया है। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। अब तक की पुलिस जांच से मालूम हुआ है कि मृतक रोहताश श्यामा जाटव के यहां कोल्हू झोंकने पर नौकर था। घटना के दिन वह कोल्हू झोंक रहा था और शाम हो जाने पर उसने कहा कि देर हो रही है, अब घर जा रहा हूं। उससे कुछ देर और कोल्हू झोंकने के लिये कहा गया किंतु वह राजी न हुआ और कोल्हू छोड़ कर चल दिया। श्यामा के कहने पर रघुनाथ नामक एक व्यक्ति उसको वापस लाने गया और लात-घूंसों से उसे मारा जिसके फलस्वरूप वह मर गया। थाने पर एक मुकदमा धारा ३०४/१०६ भा० द० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया है जो जेर तफतीश है।

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १० तथा १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४० पर)

सूची नं० १

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोरखपुर और वाराणसी डिवीजन में स्थापित होने वाली औद्योगिक आस्थानों की जिलेवार सूची

क्रम-सं०	नाम जनपद	औद्योगिक आस्थान का नाम और स्थिति	श्रेणी	लक्ष्य की पूर्ति की अवधि	योजना की कुल लागत	भूमि व्यवस्था
१	२	३	४	५	६	७
				सन्	रु०	
१	(क) वाराणसी ..	वाराणसी, ग्राम महेशपुर ..	वृहत औद्योगिक आस्थान	१९६५-६६	२६,३१,०००	२६.०६ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है।
	(ख) वाराणसी ..	औद्योगिक आस्थान काशी विद्यापीठ, वाराणसी का तृतीय पंचवर्षीय योजना में विस्तार (ग्राम महेशपुर)।	विस्तार ..	१९६५-६६	१०,२५,०००	भूमि पहले से ही उपलब्ध है।
२	मिर्जापुर ..	मिर्जापुर (ग्राम बरौंध)	मध्यम	१९६५-६६	१०,२५,०००	१५.८१२ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है।
३	जौनपुर ..	जौनपुर ..	ग्रामीण ..	तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक	४,००,०००	६.७ एकड़ भूमि प्राप्त की जा रही है।
४	(क) गोरखपुर ..	ग्राम नथमल ..	मध्यम ..	१९६५-६६	१०,२५,०००	१७.४५ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है।

अतारांकित प्रश्न

	(ख) गोरखपुर	..	भटहट गोरखपुर	..	ग्रामीण	..	१९६५–६६	२,००,०००	३.८९ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है, किन्तु सरकार के विरुद्ध अभ्यर्थना (रिट) दाखिल है।
५	देवरिया	..	सलेमपुर, देवरिया	..	ग्रामीण	..	१९६५–६६	२,००,०००	५ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है।
६	(क) आजमगढ़	..	आजमगढ़	..	लघु	..	१९६५–६६	७,५०,०००	७ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है।
	(ख) आजमगढ़	..	ग्राम घोसी, आजमगढ़	..	ग्रामीण	..	१९६५–६६	२,००,०००	४.१८८ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४० पर)

सूची नं २

१--जिप फास्टनर्स
२--प्रेस तथा नाइलान के बटन
३--ताले
४--नाप जोख तथा गणित के यंत्र
५--कांच के खिलौने
६--लालटैन तथा बरनर
७--सिलाई की मशीन तथा उसके पुर्जे
८--साइकिल की तीलियां तथा फ्रिव्हील
९--रेफ्रीजरेटर तथा उसके पुर्जे
१०--स्टील के बने हुए नापने के फीते
११--कागज बनाना
१२--गन्ना पेरने की मशीन
१३--फाउन्टेनपेन बनाना
१४--लकड़ी के फ्रेम वाली स्टेट तथा उन पर लिखने वाली पेंसिलें
१५--बिजली का सामान
१६--डिजिल आयल से चलने वाले इंजिन
१७--खेल-कूद का सामान बनाना
१८--दाढ़ी बनाने के लिये ब्लेड्स
१९--चित्रकारी का सामान
२०--टीन की बाल्टियां बनाना
२१--आल्पीन बनाना
२२--कटीले तार बनाना
२३--मिट्टी के तेल से चलने वाले चूल्हे
२४--खेती तथा बागवानी के औजार
२५--छाते की छड़ियां
२६--सिगरेट लाइटर
२७--बैटरीज
२८--बिजली के पंखे
२९--प्लास्टिक तथा पोलीथीन के थैले
३०--वार्निश
३१--नाइट्रिक एसिड बनाना
३२--प्लास्टिक के खिलौने तथा अन्य वस्तुएं
३३--चमड़े का सामान
३४--फल संरक्षण
३५--जूतों की पालिश बनाना
३६--दियासलाई
३७--कपूर बनाना

नत्थी 'ढ'

तालिका

(देखिये अतारांकित प्रश्न २१–२३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

क्रम-सं०	लाइसेंसदारों का नाम जिनकी बन्दूक जमा कराई गई	जमा कराई गई बन्दूकों की संख्या	अपराध जिसमें बन्दूकें जमा कराई गईं	क्या चालान अदालत किया गया ? यदि हां, तो परिणाम	यदि छूट गया तो बन्दूक की वापसी के लिये किस तारीख को प्रार्थना-पत्र दिया	की गई कार्यवाही
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री राम स्वरूप ..	१	डकैती के समय गांव वालों की सहायता नहीं की।	नहीं	..	..
२	श्री चिरन्जी लाल ..	१	,, ,, ,,	,,	..	..
३	श्रीमती नरायनी कुंवर ..	१	,, ,, ,,	,,	..	..
४	श्री भवानी ..	१	४१२ भा० दं० वि० के संबंध में ..	हां सजा हुई	..	..
५	श्री चेतराम ..	१	१४८/३०२ ,, ,,	नहीं	..	..
६	श्री वीरेन्द्र भारतीय ..	१	बन्दूक और ४२०/४६८ भा० दं० वि० १ रिवाल्वर के संबंध में।	,, (फाइनल रिपोर्ट),,	..	..
७	श्री सिपाई सिंह ..	१	१४७/३२३ भा० दं० वि० के संबंध में	हां, छूट गया ..	..	..
८	श्री नत्थू सिंह ..	१	४५२/३२४ ,, ,,	,,	२०–१२–६१	बन्दूक वापस की गई
९	श्री गंगाराम ..	१	डाकुओं को कारतूस सप्लाई करने की शिकायत में।	नहीं	..	..
१०	श्री जानकी प्रसाद ..	१	कारतूस सप्लाई करने की शिकायत में	नहीं	..	..
११	श्री शिव दयाल ..	१	१४८/३०७/३७९/३२३भा० दं० वि०	हां, छूट गया	५–४–६२	प्रार्थना पत्र हाकिम परगना की जांच में है।

क्रम-सं०	लाइसेंसदारों का नाम जिनको बन्दूक जमा कराई गई	जमा कराई गई बन्दूकों की संख्या	अपराध जिसमें बन्दूकें जमा कराई गई	क्या चालान अदालत किया गया? यदि हां, तो परिणाम	यदि छूट गया तो बन्दूक की वापसी के लिये किस तारीख को प्रार्थना-पत्र दिया	की गई कार्यवाही
१	२	३	४	५	६	७
१२	श्री नेकराम ..	१	१४८/३०७/३७९/३२३ भा० दं० वि०	हां, छूट गया	..	..
१३	श्री श्याम सिंह ..	१	३९५ भा० दं० वि० ..	हां, छूट गया	२१-६-६२	प्रार्थना-पत्र पुलिस की जांच में है।
१४	श्री महेन्द्र सिंह ..	१	पुत्र विद्याराम पर मुकदमा १४८/३२३ /३५३ भा० दं० वि० में चलाया गया। पुत्र ने पिता की बन्दूक इस्तेमाल की थी।	नहीं	..	..
१५	श्री त्रिवेनी सहाय ..	१	पुलिस की शिकायत पर कि बदमाशों से मेल है।	नहीं	..	..
१६	श्री छोटे सिंह ..	१	पुलिस की शिकायत पर ..	नहीं	..	..
१७	श्री श्रीराम ..	१	पुत्र भद्दवीर का चालान धारा ४६० भा० दं० वि० के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जिले में हुआ।	नहीं	..	..
१८	श्री घनपाल ..	१	३०२ भा० दं० वि० ..	हां (विचाराधीन है)	..	..
१९	श्री महेश चन्द ..	१	१४८/३०७/४५२ भा० दं० वि० ..	,,	..	..
२०	श्री बच्चन लाल ..	१	,, ,, ,,	,,	..	..
२१	श्री भजन लाल ..	१	१०७/११७ सी० आर० पी० सी० ..	हां (विचाराधीन है)	..	..
२२	श्री महाराज सिंह ..	१	३०२ भा० दं० वि० ..	,,	..	..
२३	श्री कल्लू ..	१	कारतूस सप्लाई करने की शिकायत पर ..	नहीं	..	..

(देखिये अतारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

परिशिष्ट 'क'

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले के अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा दिये गये अनुदान का तहसीलवार विवरण

	विवरण	प्राविधान	जौनपुर	केराकत	मछलीशहर	मड़ियाहूं	शाहगंज	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
	प्रथम पंचवर्षीय योजना—							
१	स्थानीय विकास कार्य अनुदान ..	३,३९,०००	३२,७००	२९,८८०	२८,५८०	२८,३००	३५,५४०.	१,५५,०००
२	निजी सहयोग (self help) ..	६२,०००	४,४००	५,६८०	३,६१३	१,६२८	८,५००	२३,८२१
	योग ..	४,३१,०००	३७,१००	३५,५६०	३२,१९३	२९,९२८	४४,०४०	१,७८,८२१
	द्वितीय पंचवर्षीय योजना—							
१	स्थानीय विकास कार्य अनुदान ..	१०,६१,५००	१३६७५६	११५८२५	१००२१७	१७०५३८	१८५९५०	७०९२८६
२	निजी सहयोग अनुदान(self help grant)	२,९६,३८३	१३८५८	१२६५०	१३५४८	१८३४८	२५३६८	८३७७२
३	मड़ियाहूं—मछलीशहर सड़क ..	३,३५,२५०	..	..	..	..	..	..
	योग ..	१६,९२,१३३	१५०६१४	१२८४७५	११३७६५	१८८८८६	२११३१८	७९३०५८

परिशिष्ट 'ख'

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जौनपुर जिले के विकास क्षेत्र आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों तथा तकावी ऋणों में प्रदत्त तथा व्यय की गई धनराशि का तहसीलवार विवरण ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना
विवरण

तहसीलों का नाम		कृषि तथा पशुपालन	जन स्वास्थ्य	शिक्षा	समाज शिक्षा	यातायात	ग्रामीण कला तथा उद्योग	ऋण तथा अग्रिम ऋण
१		२	३	४	५	६	७	८
जौनपुर ..	(प्रदत्त) ..	..	..	..	..	..	..	..
	(व्यय) ..	..	..	..	..	..	..	..
केराकत ..	(प्रदत्त) ..	१८४४३	२०७०७६	२६०४०	२१८९२	१५०००	..	५०००
	(व्यय) ..	१८८४३	२०६०७६	२६०४०	२१८८८	१५०००	..	५०००
मछलीशहर ..	(प्रदत्त) ..	१००००	१९०९९६	११०४०	१८०००	१०००००	..	१४२०००
	(व्यय) ..	१००००	१९०९९६	११०४०	१८०००	१०००००	..	१४२०००
मड़ियाहूं ..	(प्रदत्त) ..	८०००	४५५००	२९०००	१४०००	४५०००	..	१४०००
	(व्यय) ..	८०००	४५५००	२९०००	१४०००	४०५००	..	१४०००

शाहगंज ..	(प्रदत्त) ..	६०००	१७०००	१५०००	५०००	१५०००	..	५०००
	(व्यय) ..	६०००	१७०००	१५०००	५०००	१५०००	..	५०००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

जौनपुर ..	(प्रदत्त) ..	३३७४२	३६५१३	२७९७४	३१६३३	३८६००	१८५७६	२०९१००
	(व्यय) ..	३३४३७	३५५५८	२७११०	२४८८५	३८६००	२५३८	२०९१००
केराकत ..	(प्रदत्त) ..	६६५३९	८५३७७	७७४८९	९३४३६	६७५००	१३४६७	२७९४००
	(व्यय) ..	५८६०६	८३८२३	६३१७०	७२२५६	६७५००	९३९७	२७९४००
मछलीशहर ..	(प्रदत्त) ..	४७८८३	७०४६७	५१३१३	५४१२९	५२५००	१०२७१	१३३५००
	(व्यय) ..	४६३०६	७०१६५	५०९८३	५२२६८	५२५००	३४७५	१३३५००
मड़ियाहूं ..	(प्रदत्त) ..	५०५२७	९३७५२	६६७८२	६३४८१	७३१५३	२२५४२	२२७०००
	(व्यय) ..	४६४३०	९२६७७	६१८८५	५३१२३	७०६५३	१८४८९	२२७०००
शाहगंज ..	(प्रदत्त) ..	३२०८४	५२५०९	४३६००	३८२६२	६४२२१	७०६५	२५८१००
	(व्यय) ..	३०७८२	५२४७८	३२६००	३०४५८	६४००१	४८२८	२५८१००

नत्थी 'त'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४७१ पर)

उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३

उत्तर प्रदेश में कतिपय कर-विधियों का संशोधन करने के लिये

विधेयक

ऐक्ट संख्या ७, १८७० ऐक्ट संख्या २, १८९९ सं० प्रा० अधि-नियम सं० १५, १९४८ ई०

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० और इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ तथा उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, १९४८ ई० में और संशोधन किये जायं :

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की अनु-सूची १ का संशोधन

२—कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० में—

(१) अनुसूची १ में—

(क) अनुच्छेद १ संख्या में शब्द "Fifty naya paise for every five rupees or part thereof" के स्थान पर शब्द "Subject to a minimum of five rupees, fifty naya paise for every five rupees or part thereof" रख दिये जायें; और

(ख) वादों के निवेशन पर मूल्यांकनानुसार दी जाने वाली फीस की दरों की सारणी में, प्रथम दस प्रविष्टियों के स्थान पर, स्तम्भ (१) में बिन्दु ".....", स्तम्भ (२) में अंक "५०" तथा स्तम्भ (३) में अंक "५.००" रख दिये जायं :

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की अनु-सूची २ का संशोधन

(२) अनुसूची २ में—

(क) अनुच्छेद संख्या १ में—

(१) खंड (बी) के सामने, जहां भी शब्द "One rupee and twenty five naya paise" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "One rupee and fifty naya paise" रख दिये जांय

(२) खंड (सी) के सामने, शब्द "Two rupees and fifty naya paise" के स्थान पर शब्द "Three rupees" रख दिये जायें; और

(३) खंड (एक) के सामने, शब्द "Two rupees and fifty naya paise" और शब्द "Five rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "Five rupees" और शब्द "Ten rupees" रख दिये जायें;

(ख) अनुच्छेद संख्या १० में शब्द "One rupee and twenty five naya paise" और शब्द "Two rupees and fifty naya paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "One rupee and fifty naya paise" और शब्द "Three rupees" रख दिये जायें;

(ग) अनुच्छेद संख्या १७ में शब्द "Twenty five rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty rupees" रख दिये जायें; और

(घ) अनुच्छेद संख्या २२ में खंड (ए) और (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(*a*) As a President, Vice-President or Adhyaksha, Upadhayaksha, Nagar Pramukh, or Up Nagar Pramukh of a Municipal Board, Zila Parishad or Nagar Mahapalika or any other local body except those mentioned in clause (*c*).	Two hundred rupees.
(*b*) As a Sadasya or Vishishta Sadasya of a Nagar Mahapalika or as a member of a Municipal Board or Zila Parishad or any other local body except those mentioned in clause (*d*)."	One hundred and fifty rupees.

३—इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ की अनुसूची १ बी में— ऐक्ट संख्या २, १८९९ की अनुसूची १—बी का संशोधन

(१) अनुच्छेद संख्या ५ में, शीर्षक "Exemptions" के अन्तर्गत खंड (ए) निकाल दिया जाये;

(२) अनुच्छेद संख्या २४ में शब्द "two rupees" के स्थान पर शब्द "three rupees" रख दिये जायें;

(३) अनुच्छेद संख्या ४६ में शब्द तथा अंक "Rs. 5,000" के स्थान पर शब्द तथा अंक "Rs. 4,000" रख दिये जायें; और

(४) अनुच्छेद संख्या ५५ में शब्द तथा अंक "Rs. 3,000" के स्थान पर शब्द तथा अंक "Rs. 2,000" रख दिये जायें।

४—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में— सं० प्रा० अधि-नियम सं० १५, १९४८ ई० की धारा २ और धारा ३—क का संशोधन

(१) धारा २ में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाये और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाये—

"(कक) "खरीदने या बेचने का व्यापार" के अन्तर्गत ऐसा वह व्यापार भी है जो लाभ कमाने के प्रयोजन के बिना किया जाता हो" और

(२) धारा ३—क की उपधारा (२) में शब्द "सात नये पैसे" के स्थान पर शब्द "दस नये पैसे" रख दिये जायें।

उद्देश्य और कारण

तृतीय पंचवर्षीय योजना संबंधी विभिन्न विकास कार्यों के सफल निष्पादन के लिये तथा उस भारी व्यय को पूरा करने के लिये भी, जो वर्तमान संकटकाल के कारण आवश्यक हो गया है, राज्य सरकार अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये बाध्य हो गयी है। इस दिशा में कार्यवाही करने के लिये यह प्रस्ताव है कि कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० तथा उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित किया जाये तथा उसके फलस्वरूप कोर्ट फीस ऐक्ट की अनुसूची १ के अनुच्छेद १ तथा अनुसूची २ के अनुच्छेद १, १०, १७ और २२ में व्यवस्थित कोर्ट फीस की दरों में वृद्धि की जाये तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट की धारा ३–क में दी गयी एक स्थानीय कर (single point tax) की सीमा बढ़ायी जाये। कोर्ट फीस की संशोधित दरें प्रस्तावित अधिनियम के प्रचलित होते ही प्रभावी होंगी, किन्तु बिक्री कर के संबंध में अभिप्राय केवल यह है कि राज्य सरकार को बढ़ी हुई दरों पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो जिससे, यदि परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो, तो उसका उपयोग भविष्य में किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट में एक और संशोधन यह स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जा रहा है कि व्यापार चाहे लाभ कमाने के प्रयोजन से किया जाये या अन्यथा, कर उन सभी बिक्रियों पर लिया जायेगा, जो अन्यथा कर से विमुक्त न हों।

उपर्युक्त संशोधनों के अलावा इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ की अनुसूची १–बी के अनुच्छेद ५, २४, ४६ तथा ५५ में कतिपय छोटे-मोटे संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

अतएव यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

कमलापति त्रिपाठी,
वित्त मंत्री।

उत्तर प्रदेश में यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०, इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ और उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में दिये गये उपबन्धों का विवरण जिन्हें इस विधेयक द्वारा संशोधित करना है।

कोर्ट फीस ऐक्ट, १७८०

SCHEDULE I

Number		Proper fee
*1. Plaint, written statement pleading a set-off or counter-claim or memorandum of appeal (not otherwise provided for in this Act) presented to any Civil or Revenue Court except those mentioned in section 3.	When the amount or value of the subject-matter in dispute—	
	(i) does not exceed one hundred rupees;	Fifty naye paise for every five rupees or part thereof.

*Table of rates of *ad valorem* fees leviable on the institution of suits.

Where the amount or value of the subject-matter exceeds	But does not exceed	Proper fee
1	2	3
Rs.	Rs.	Rs. nP.
..	5	0 50
5	10	1 00
10	15	1 50
15	20	2 00
20	25	2 50
25	30	3 00
30	35	3 50
35	40	4 00
40	45	4 50
45	50	5 00

SCHEDULE II

Number		Proper fee
10. Application or petition ..	(*a*) x x x (*b*) When containing a complaint or charge of any offence and presented to any Criminal Court ;	

SCHEDULE II—(*contd.*)

Number	——	Proper fee
1. Application or petition—(*contd.*)	or when presented to a Collector containing a request from a local body, such as the Municipal Board, the District Board or the Notified Area Committee, for the realization of any dues by issue of warrant or any other distress ;	
	or when presented to a District Magistrate for permission to have displays of fire-works or for a police escort ;	
	or when presented to a District Magistrate, in the form of a programme or in any other form, for the exhibition of a film as a shorter notice than that permitted by the conditions of the licence issued to cinema companies for exhibiting films ;	One rupee and twenty-five naye paise.
	or when presented to a District Magistrate or Collector or any officer subordinate to him, under the village Panchayat Act, the Indian Arms Act, the Poisons Act, the Explosives Act, the Stage Carriage Act, the India Cinematograph Act,	

SCHEDULE II—(*contd.*)

Number		Proper fee
1. Application or petition—(*contd.*)	or any other enactment for the time being in force, unless specifically exempted from payment of court-fee;	
	or when presented to a Civil, Criminal or Revenue Court, or to a Collector, or any Revenue Officer having jurisdiction euqal or subordinate to a Collector, or to any Magistrate in his executive capacity, and not otherwise provided for by this Act;	One rupee and twenty-five naye paise.
	or to deposit in Court revenue or rent;	
	or for determination by a Court of the amount of compensation to be paid by a landlord to his tenant.	
	(*c*) When presented to a Chief Commissioner or other Chief Controlling Revenue or Executive Authority, or to a Commissioner of Revenue or Circuit, or to any chief officer charged with the executive administration of a division and not otherwise provided for by this Act.	Two rupees and fifty naye paise.

SCHEDULE II—(*contd.*)

Number		Proper fee
1. Application or petition—(*contd.*)	(*d*) x x x	
	(*e*) x x x	
	(*f*) When presented under Chapter IV of the Motor Vehicles Act, 1939 (IV of 1939)—	
	(i) to a Regional Transport Authority or its Chairman or Secretary ;	Two rupees and fifty naye paise.
	(ii) to the State Transport Authority or its Chairman or Secretary.	Five rupees.
x	x x	x
10. Mukhtar-nama, Vakalatnama or any paper signed by an Advocate, Attorney or Pleader signifying or intimating that he is retained by a party.	When presented for the conduct of any one case—	
	(*a*) to any Civil or Criminal Court other than a High Court, or to any Revenue Court, or to any Collector or Magistrate, or other Executive officer except such as are mentioned in clauses (*b*) and (*c*) of this number ;	One rupee and twenty-five naye paise.
	(*b*) to a Commissioner of Revenue, Circuit, or Customs or to any officer charged with the executive administration of a division not being the Chief Revenue or Executive Authority.	Two rupees and fifty naye paise.
x	x x	x

SCHEDULE II—(*contd.*)

Number		Proper fee
17. Plaint or memorandum of appeal in each of the following suits—		
(i) x x x		
(ii) x x x		
(iii) to obtain a declaratory decree where no consequential relief is prayed, in any suit, not otherwise provided for by this Act ;	(*a*) When the value of the suit or appeal for purposes of jurisdiction does not exceed one thousand rupees;	Twenty-five rupees.
(iv) and (*v*) [*Deleted by U.P. Act XIX of* 1938].	x x x x x x	
(iv) for relief under section 14 of the Religious Endowments Act, 1863, or under section 91 or section 92 of the Code of Civil Prodedure, 1908 ;		
(vii) every other suit not otherwise provided for by this Act.		
22. Election Petition questioning the election of any person.	(*a*) As a President, Chairman or Mayor of a Municipal Board, District Board, Corporation or any other local body except those mentioned in clause (*c*) ;	One hundred and fifty rupees.
	(*d*) As a member of a Municipal Board, District Board, Corporation or any other local body except those mentioned in clause (d).	One hundred and twenty-five rupees.

इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९

SCHEDULE I-B

5. AGREEMENT OF MEMORANDUM OF AN AGREEMENT—	
(*a*) if relating to the sale of a bill of exchange;	Sixty naye paise.
(*b*) if relating to the sale of a Government security or share in an incorporated company or other body corporate ;	Subject to a maximum of forty-five rupees ; thirty naye paise for every Rs. 10,000 or part thereof of the value of the security or share.
(*c*) if not otherwise provided for ..	Two rupees and twenty-five naye paise.
Exemption	
Agreement or memorandum of agreement—	
(*a*) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under no. 43 ;	
× ×	×
24. COPY OR EXTRACT, certified to be a true copy or extract by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees—	
(i) if the original was not chargeable with duty or if the duty with which it was chargeable does not exceed two rupees.	Two rupees and twenty-five naye paise when the copy or extract is of an agricultural lease or of a mortgage deed or sale deed of agricultural land; in any other case, three rupees.
(ii) in any other case not falling within the provisions of section 6-A.	Three rupees, when the copy or extract is of an agricultural lease or of a mortgage deed or sale deed of agricultural land and the value of the subject-matter of the original does not exceed one thousand rupees; in any other case, four rupees and fifty naye paise.
× ×	×

46. PARTNERSHIP—	
A—Instrument of—	
(*a*) where the capital of the partnership does not exceed Rs. 5,000 ;	The same duty as a Bond (No. 15).
(*b*) in any other case ..	One hundred rupees.
B—Dissolution of—	Twenty two rupees and fifty naye paise.
Pawn or pledge. *See* Agreement relating to Deposit of Title Deeds, Pawn or Pledge (No. 6).	
× ×	×
55. RELEASE, that is to say, any instrument not being such a release as is provided for by section 23(A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property—	
(*a*) if the amount or value of the claim does not exceed Rs. 3,000 ;	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount or value as setforth in the Release.
(*b*) in any other case ..	Fifty rupees.
× ×	×

उदय प्रहरी

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई०

२—परिभाषायें—इस ऐक्ट में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विपरीत न हो :—

(क) "कर-निर्धारक अधिकारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिस राज्य सरकार ने इस ऐक्ट में कर निर्धारित करने का अधिकार दिया हो।

.. ..

बिक्री क्रम में केवल एक बार कर का लगाया जाना

३-क—(१) धारा ३ में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति देकर, यह घोषित कर सकती है कि क्रमानुगत व्यापारियों द्वारा बिक्रियों के क्रम में किसी ऐसी बिक्री को छोड़कर किसी माल अथवा माल की किस्मों के विक्रय-धन पर कर नहीं लगेगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे।

(२) यदि राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन कोई घोषणा करती है तो वह यह भी घोषणा कर सकती है कि ऐसे माल के संबंध में विक्रय-धन पर ऐसी दरसे कर लगाया जायगा, जो निर्दिष्ट की जाय, किन्तु वह सात नये पैसे प्रति रुपया से अधिक न होगा।

———

उदय प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—४२ एल० ए०—१९६३ (ओ०) ८५० ।